जनवरी, 2022

I.S.S.N. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त

संपादक

श्री अविनाश शुक्ला
श्री असलम खान

सहायक संपादक

श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह
श्री जसवन्त सिंह

ISSN-2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2022 अंक - 1

प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त

सहायक संपादक

पुंडरीक शर्मा

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2022) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on

Website ➡ **https://bharatkosh.gov.in/product/product**

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

क्या बलात्संग के किसी मामले में चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा पीड़िता के कथन का समर्थन न किए जाने तथा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के माध्यम से पीड़िता के कथन की पुष्टि न होने की दशा में केवल पीड़ित लड़की के कथन के आधार पर दोषसिद्धि को कायम रखा जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **बिपिन भोई** बनाम **ओडिशा राज्य** (2022) 1 दा. नि. प. 1 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए कथन में लघु प्रकृति के विरोधाभास विद्यमान हैं, किन्तु इसके बावजूद पीड़ित लड़की द्वारा उसके साथ हुई बलात्संग की घटना का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया और संपूर्ण विचारण के दौरान पीड़ित लड़की के साक्ष्य का अकाट्य और विश्वसनीय बना रहा तथा अन्य साक्षियों से उसके साक्ष्य को पर्याप्त रूप से पुष्टि प्राप्त हुई है । अत:, अपीलार्थी की दोषसिद्धि का निर्णय और पारिणामिक दंडादेश सर्वथा उचित प्रतीत होता है, अपितु अपीलार्थी की अत्यंत निर्धनता को विचार में रखते हुए उस पर अधिरोपित जुर्माने की रकम को घटाया जाता है ।

क्या किसी मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से की जाने वाली मुख्य परीक्षा और साक्षियों की प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के पश्चात् के प्रक्रम पर प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह प्रतिवाद किया जा सकता है मामले में कतिपय नए तथ्य सामने आए हैं और इसलिए सारवान् साक्षियों की पुन: परीक्षा की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **बलजिन्दर सिंह** उर्फ **काका** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** (2022) 1 दा. नि. प. 66 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि प्रतिरक्षा पक्ष को पहले ही शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की गहन प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया जा चुका है अत: उन्हें परीक्षा हेतु पुन: न्यायालय के समक्ष बुलाया जाना अपेक्षित नहीं है और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा साक्षियों से कतिपय प्रश्न पूछने में असफल रहना

साक्षियों को परीक्षा हेतु पुन: बुलाने का आधार नहीं हो सकता । अत: याचिका खारिज की गई ।

क्या मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन दुर्घटना के किसी मामले में दोनों पक्षकारों के बीच किए गए समझौता करार के अनुसार उनके बीच विद्यमान विवाद का समाधान हो जाने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने **शरवण कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य** (2022) 1 दा. नि. प. 116 वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि याची के विरुद्ध अभिकथित अपराधों में नैतिक अधमता सम्मिलित नहीं है और उक्त अपराध जघन्य/गंभीर अपराध नहीं है और चूंकि दोनों पक्षकारों के बीच परस्पर समझौता हो गया है इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण है और ऐसी परिस्थिति में दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखे जाने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अत:, याचिका को स्वीकार करते हुए याची के विरुद्ध दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया गया ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में केन्द्रीय अधिनियम सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

पुंडरीक शर्मा
सहायक संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2022

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
कर्नाटक राज्य **बनाम** रंजीत आनंद चौहान और अन्य	44
बलजिन्दर सिंह **उर्फ** काका **बनाम** पंजाब राज्य और अन्य	66
बिपिन भोई **बनाम** ओडिशा राज्य	1
मार्सेल कूयो **बनाम** कर्नाटक राज्य और अन्य	31
रामाशीष महतो **बनाम** बिहार राज्य	81
शरवण कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य	116

संसद् के अधिनियम

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 36

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 167(2) [सपठित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36क(4) और 22(ग)] – अभिकथित रूप से याची के पास से प्रतिषिद्ध पदार्थों की बरामदगी किया जाना – याची को गिरफ्तार करके उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा 180 दिन की विहित अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करके याची के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल करने में असफल रहना – अभियोजन पक्ष द्वारा अन्वेषण पूरा करने हेतु समय सीमा के विस्तारण की ईप्सा करते हुए एक आवेदन फाइल करना और दूसरी ओर याची द्वारा कानूनी जमानत के लिए आवेदन फाइल करना – विचारण न्यायालय द्वारा अन्वेषण पूरा करने हेतु समय सीमा के विस्तारण को मंजूर करते हुए याची की जमानत याचिका को नामंजूर किया जाना – याची द्वारा उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाना – अभिलेख से यह तथ्य सामने आना कि अभियोजन पक्ष समय विस्तारण के लिए फाइल किए गए आवेदन के संबंध में कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा है – उक्त तथ्य के आलोक में विचारण न्यायालय द्वारा अन्वेषण पूरा करने हेतु समय सीमा के विस्तारण की मंजूरी संबंधी आदेश का विधिपूर्ण न होना और अभिलेख के परिशीलन से यह तथ्य भी सामने आना कि अन्वेषण पूरा करके आरोप पत्र फाइल करने की 180 दिन की विहित अवधि पूरी हो चुकी है और अन्वेषण अधिकारी आरोप पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा है, अत:, याची कानूनी जमानत के लिए

पृष्ठ संख्या

हकदार है और इसलिए कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए याची के जमानत संबंधी आवेदन को मंजूर किया जाता है ।

मार्सेल कूयो बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य** 31

– धारा 311 – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने एक लोहे की छड़ से लैस होकर शिकायतकर्ता के घर बलपूर्वक प्रवेश किया और उसका उत्पीड़न करने का प्रयास किया और साथ ही उसने शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारा और उसे तथा उसकी सास पर प्रहार करके उन्हें क्षतियां कारित कीं – विचारण के दौरान शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के पश्चात् के प्रक्रम पर प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह प्रतिवाद किया जाना कि चूंकि वर्तमान मामले में कतिपय नए तथ्य सामने आए हैं और उनको ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता तथा अन्वेषण अधिकारी की पुन: परीक्षा की अनुमति प्रदान की जाए – विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिरक्षा पक्ष के उक्त अनुरोध से इनकार किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि चूंकि प्रतिरक्षा पक्ष को पहले ही शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की गहन प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया जा चुका है अत: उन्हें परीक्षा हेतु पुन: न्यायालय के समक्ष बुलाया जाना अपेक्षित नहीं है और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा साक्षियों से कतिपय प्रश्न पूछने में असफल रहना साक्षियों को परीक्षा

पृष्ठ संख्या

हेतु पुन: बुलाने का आधार नहीं हो सकता, अत: याचिका खारिज की गई ।

बलजिन्दर सिंह उर्फ **काका** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** 66

– धारा 482 [सपठित दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 187] – याची पर यह आरोप लगाया जाना कि उसने अत्यंत उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन से अपने वाहन का चालन करते हुए प्रत्यर्थी की कार में सामने से टक्कर मारी – इस संबंध में याची के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना और विधि के सक्षम न्यायालय में दांडिक कार्यवाहियां आरंभ किया जाना – याची और प्रत्यर्थी के बीच परस्पर समझौता करार होना और उक्त समझौता करार के अनुसार दोनों पक्षकारों द्वारा उनके बीच विद्यमान विवाद का समाधान किया जाना – याची द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए वर्तमान याचिका फाइल किया जाना कि उपरोक्त समझौता करार को स्वीकार करते हुए उसके विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाए – उच्च न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करते हुए और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए अनेक निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि याची के विरुद्ध अभिकथित अपराधों में नैतिक अधमता सम्मिलित नहीं है और उक्त

पृष्ठ संख्या

अपराध जघन्य/गंभीर अपराध नहीं है और चूंकि दोनों पक्षकारों के बीच परस्पर समझौता हो गया है इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण है और ऐसी परिस्थिति में दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखे जाने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अतः, याचिका को स्वीकार करते हुए याची के विरुद्ध दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया गया ।

शरवण कुमार बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य** 116

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 304ख और धारा 498क – अपीलार्थी और उसके माता-पिता पर दहेज की मांग करने और दहेज की मांग को पूरा न करने पर पीड़िता के प्रति क्रूरता बरतने और उसे तंग करने तथा दहेज मृत्यु कारित करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्तों के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया जाना कि उन्होंने दहेज की मांग पूरा न किए जाने पर पीड़िता को विष देकर उसकी हत्या कर दी – पीड़िता के पढ़े-लिखे होने के बावजूद उसके द्वारा दहेज की मांग किए जाने और उसके साथ क्रूरता किए जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई पत्र न लिखा जाना – अन्य साक्षियों द्वारा भी इस प्रभाव के अस्पष्ट आरोप लगाया जाना कि पीड़िता के ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग की गई थी – विसरा को परिरक्षित किए जाने के बावजूद उसकी रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष न रखा जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता को प्राथमिक उपचार देने

पृष्ठ संख्या

वाले डाक्टर की परीक्षा करने में असफल रहना, जो पीड़िता की बीमारी के संबंध में प्राथमिक जानकारी उपलब्ध करा सकता था – शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा यह राय अभिव्यक्त किया जाना कि वर्तमान मामले में मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता – शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया जाना कि मिरगी के दौरे की दशा में मुख से झाग आ सकता है – विचारण न्यायालय द्वारा समान साक्ष्य के आधार पर सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – इस प्रकार धारा 304ख और धारा 498क के अनिवार्य घटकों का स्थापित न होना – उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश उचित प्रतीत नहीं होता और इस प्रकार अपीलार्थी सह-अभियुक्तों की भांति दोषमुक्ति के लिए हकदार है ।

रामाशीष महतो बनाम **बिहार राज्य** 81

– धारा 323, 324, 504, 506 और 34 [सपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x)] – अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अभिकथित रूप से शिकायतकर्ताओं, जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, की जाति को दुर्भावना से निर्दिष्ट किया जाना और साथ ही स्वैच्छिक रूप से उन पर हमला करके उन्हें क्षति कारित करना – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से शिकायतकर्ताओं के साथ गाली-गलौज करना – मामले के विचारण के दौरान यह तथ्य

पृष्ठ संख्या

सामने आना कि दोनों पक्षों के बीच कतिपय रिक्त भूखंड को लेकर पूर्ववर्ती विवाद विद्यमान है – साथ ही यह तथ्य भी सामने आना कि अभिकथित घटना को निर्दिष्ट करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध शिकायत फाइल की गई थी, जिसका विचारण नियमित न्यायालय के समक्ष किया गया और उक्त मामले में वर्तमान मामले के शिकायतकर्ताओं को दोषमुक्त ठहराया गया था – विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर इस आधार पर विश्वास न किया जाना कि वे परस्पर नातेदार हैं और हितबद्ध साक्षी हैं – अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी भी निष्पक्ष साक्षी की परीक्षा न किया जाना – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से इस बात का संकेत प्राप्त होना कि मामले और प्रतिमामले में सभी व्यक्ति दो समूहों में बटे हैं और उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध कथन किया है और अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है – इसके अतिरिक्त, अपराध में प्रयुक्त हथियारों की पहचान का स्थापित न होना – इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कोई दोष या त्रुटि प्रतीत नहीं होती है और विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित है ।

कर्नाटक राज्य बनाम **रंजीत आनंद चौहान और अन्य** 44

– धारा 376(2)(i) और धारा 506 भाग 2 [लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की

पृष्ठ संख्या

धारा 6] – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने उस समय पीड़ित लड़की, जिसकी आयु घटना के समय 12 वर्ष से कम थी, के साथ बलात्संग किया जब वह स्नान करने पानी की टंकी पर गई थी – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि वह पीड़ित लड़की को उठाकर झाड़ियों में ले गया और वहां उसने उसकी पैंटी उतारकर उसके साथ बलात्संग किया – अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित लड़की के विद्यालय प्रवेश रजिस्टर के माध्यम से इस तथ्य को भलीभांति स्थापित करना कि घटना के समय पीड़ित लड़की कक्षा 5 की छात्रा थी और उस समय उसकी आयु 12 वर्ष से कम थी – पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा इस प्रभाव का अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि पीड़ित लड़की की योनि के आस-पास के क्षेत्र में लाली, सूजन और संवेदनशीलता विद्यमान थी और पीड़ित लड़की के भगोष्ठ सामान्य थे – डाक्टर द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया जाना कि उक्त सूजन और संवेदनशीलता किसी संक्रमण के कारण भी उत्पन्न हो सकती है – पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए कथन में लघु प्रकृति के विरोधाभासों का पाया जाना, किन्तु इसके बावजूद पीड़ित लड़की द्वारा उसके साथ हुई बलात्संग की घटना का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाना और संपूर्ण विचारण के दौरान पीड़ित लड़की के साक्ष्य का अकाट्य और विश्वसनीय बने रहना तथा अन्य साक्षियों से उसके साक्ष्य को पर्याप्त रूप से पुष्टि प्राप्त होना – पीड़ित लड़की के वस्त्रों की रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट में इस तथ्य

पृष्ठ संख्या

का सामने आना कि उसके वस्त्रों पर किसी प्रकार के रक्त या वीर्य चिह्न विद्यमान नहीं है – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहना कि घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु 12 वर्ष से कम नहीं थी और साथ ही प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पीड़ित लड़की की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से उसके साक्ष्य के संबंध में कोई संदेह या संशय उत्पन्न करने में असफल रहना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अपने इस तर्क को स्थापित करने में असफल रहना कि पीड़ित लड़की सिखाई-पढ़ाई गई साक्षी है – उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थी की दोषसिद्धि का निर्णय और पारिणामिक दंडादेश सर्वथा उचित प्रतीत होता है, अपितु अपीलार्थी की अत्यंत निर्धनता को विचार में रखते हुए उस पर अधिरोपित जुर्माने की रकम को घटाया जाता है और इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यह आग्रह किया जाता है कि वह पीड़ित लड़की को समुचित प्रतिकर रकम का संदाय करे – उक्त उपांतरणों के अधीन रहते हुए अपील को खारिज किया जाता है ।

बिपिन भोई बनाम **ओडिशा राज्य** 1

बिपिन भोई

बनाम

ओडिशा राज्य

(2018 की जे.सी.आर.एल.ए. सं. 103)

तारीख 22 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति एस. के. साहू

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(i) और धारा 506 भाग 2 [लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6] – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने उस समय पीड़ित लड़की, जिसकी आयु घटना के समय 12 वर्ष से कम थी, के साथ बलात्संग किया जब वह स्नान करने पानी की टंकी पर गई थी – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि वह पीड़ित लड़की को उठाकर झाड़ियों में ले गया और वहां उसने उसकी पैंटी उतारकर उसके साथ बलात्संग किया – अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित लड़की के विद्यालय प्रवेश रजिस्टर के माध्यम से इस तथ्य को भलीभांति स्थापित करना कि घटना के समय पीड़ित लड़की कक्षा 5 की छात्रा थी और उस समय उसकी आयु 12 वर्ष से कम थी – पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा इस प्रभाव का अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कि पीड़ित लड़की की योनि के आस-पास के क्षेत्र में लाली, सूजन और संवेदनशीलता विद्यमान थी और पीड़ित लड़की के भगोष्ठ सामान्य थे – डाक्टर द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया जाना कि उक्त सूजन और संवेदनशीलता किसी संक्रमण के कारण भी उत्पन्न हो सकती है – पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन

लेखबद्ध कराए गए कथन में लघु प्रकृति के विरोधाभासों का पाया जाना, किन्तु इसके बावजूद पीड़ित लड़की द्वारा उसके साथ हुई बलात्संग की घटना का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाना और संपूर्ण विचारण के दौरान पीड़ित लड़की के साक्ष्य का अकाट्य और विश्वसनीय बने रहना तथा अन्य साक्षियों से उसके साक्ष्य को पर्याप्त रूप से पुष्टि प्राप्त होना – पीड़ित लड़की के वस्त्रों की रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट में इस तथ्य का सामने आना कि उसके वस्त्रों पर किसी प्रकार के रक्त या वीर्य चिह्न विद्यमान नहीं है – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहना कि घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु 12 वर्ष से कम नहीं थी और साथ ही प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पीड़ित लड़की की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से उसके साक्ष्य के संबंध में कोई संदेह या संशय उत्पन्न करने में असफल रहना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अपने इस तर्क को स्थापित करने में असफल रहना कि पीड़ित लड़की सिखाई-पढ़ाई गई साक्षी है – उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थी की दोषसिद्धि का निर्णय और पारिणामिक दंडादेश सर्वथा उचित प्रतीत होता है, अपितु अपीलार्थी की अत्यंत निर्धनता को विचार में रखते हुए उस पर अधिरोपित जुर्माने की रकम को घटाया जाता है और इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यह आग्रह किया जाता है कि वह पीड़ित लड़की को समुचित प्रतिकर रकम का संदाय करे – उक्त उपांतरणों के अधीन रहते हुए अपील को खारिज किया जाता है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 5 अप्रैल, 2015 को प्रात: लगभग 10.00 बजे पीड़ित लड़की जो एक अप्राप्तवय लड़की है, जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष है, अपने घर के समीप स्थित गांव की टंकी पर स्नान करने गई थी और उसी समय अपीलार्थी वहां आ गया और वह उसे उठाकर अमारी झाड़ियों में ले गया और उसने उसे वहां भूमि पर लिटा दिया । उसके पश्चात्, उसने उसकी पैंटी को उतार दिया तथा उसके साथ बलात्संग किया । घटनास्थल छोड़ते समय अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की को यह धमकी दी कि यदि उसने इस मामले से संबंधित जानकारी को किसी के

समक्ष प्रकट किया तो वह उसे जान से मार देगा । जब पीड़ित लड़की घटनास्थल से वापस अपने घर जा रही थी तो उस समय अपीलार्थी उसका पीछा कर रहा था किन्तु पीड़ित लड़की की माता को देखकर वह वहां से भाग गया । पीड़ित लड़की ने इस संपूर्ण घटना की जानकारी अपनी माता को दी । अभि. सा. 2 ने इस पूरे मामले की जानकारी उस समय अपने पति को दी जब वह अपने कार्य से वापस घर आया । उसके पश्चात् वे उसी दिन तुम्मूसिंगा पुलिस थाने गए और रात्रि लगभग 9.00 बजे अभि. सा. 2 ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे ग्राम पंडुआ के निवासी सुभाष द्वारा उसके अनुदेश पर हस्तलिखित किया गया । उक्त सुभाष ने रिपोर्ट को हस्तलिखित करने के पश्चात् उसे अभि. सा. 2 को पढ़कर सुनाया और रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को उसके समक्ष स्पष्ट किया तथा अभि. सा. 2 ने उसे सही पाए जाने पर रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए । अभि. सा. 15 - सत्यनारायण प्रधान, जो तुम्मूसिंगा पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी था, ने अभि. सा. 2 से लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर किया, जो तुम्मूसिंगा पुलिस थाना मामला सं. 29, तारीख 5 अप्रैल, 2015 के रूप में चिह्नित है । अभि. सा. 15 ने मामले का अन्वेषण आरंभ किया और अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान उसने इत्तिलाकर्ता और पीड़ित लड़की की परीक्षा की तथा उनके कथनों को लेखबद्ध किया । उसके पश्चात् वह इत्तिलाकर्ता के ग्राम में गया और वहां उसने अन्य साक्षियों की परीक्षा की । उसके पश्चात्, वह घटनास्थल पर भी गया किन्तु घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण वह वहां से लौट आया । घटना के अगले दिन, अर्थात् तारीख 6 अप्रैल, 2015 को अन्वेषण अधिकारी ने पीड़ित लड़की द्वारा घटना के समय पहने हुए वस्त्रों, अर्थात् एक नीले, सफेद और लाल रंग के नायलॉन फ्रॉक और एक काले रंग की पैंटी को अभिगृहीत किया और उक्त वस्त्रों से संबंधित अभिग्रहण सूची को प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित किया गया है । घटना से अगले दिन वह घटनास्थल पर भी पहुंचा तथा उसने घटनास्थल का सत्यापन किया तथा स्थलनक्शा तैयार किया जो प्रदर्श-10 के रूप में है । पीड़ित लड़की को चिकित्सा परीक्षा हेतु एसडी मुख्यालय अस्पताल, कामाख्या नगर भेजा गया और उक्त अस्पताल में डाक्टर द्वारा पीड़ित

लड़की के योनिकस्राव का नमूना एकत्रित किया गया और उसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया गया । तारीख 7 अप्रैल, 2015 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित लड़की के कथन को लेखबद्ध किया गया । उसके पश्चात् तारीख 9 अप्रैल, 2015 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और उसे भी चिकित्सा परीक्षा हेतु एसडी मुख्यालय अस्पताल, कामाख्या नगर भेजा गया । अभियुक्त के नाखूनों की क्लिपिंग, उसके बालों, वीर्य और उसके द्वारा पहने हुए वस्त्रों का अभिग्रहण सूची के अनुसार, अभिग्रहण किया गया जो प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नित है । उसके पश्चात्, अपीलार्थी को तारीख 10 अप्रैल, 2015 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने उस विद्यालय का दौरा किया, जहां पीड़ित लड़की अध्ययन कर रही थी और उक्त विद्यालय में उसने प्रधानाध्यापक से पीड़ित लड़की से संबंधित विद्यालय प्रवेश रजिस्टर को अभिग्रहण सूची के अनुसार अभिगृहीत किया जो प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित है और जिससे यह तथ्य उपदर्शित होता है कि पीड़ित लड़की की जन्म तिथि 12 मई, 2004 है । विद्यालय प्रवेश रजिस्टर को जिम्मानामा, जो प्रदर्श-6 के रूप में चिह्नित है, निष्पादित करने के पश्चात् विद्यालय के प्राधानाध्यापक को वापस सौंप दिया गया । विद्यालय के प्राधानाध्यापक ने विद्यालय प्रवेश रजिस्टर में दर्ज सूचना के आधार पर इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया कि पीड़ित लड़की की जन्म तिथि 12 मार्च, 2004 है । अन्वेषण अधिकारी ने पीड़ित लड़की और साथ ही अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्टों को अभिप्राप्त किया और उसके पश्चात् उसने सारवान् वस्तुओं को निदेशक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रसूलगढ़, भुवनेश्वर को न्यायालय के माध्यम से रासायनिक परीक्षा हेतु अग्रेषित किया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 5 मई, 2015 को अपीलार्थी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 294/506/342/376(2)(i) के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा उक्त मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 31 मार्च, 2016 को अपीलार्थी के विरुद्ध ऊपर कथित किए गए अनुसार आरोप विरचित किए और चूंकि अपीलार्थी ने उस पर लगाए गए आरोपों से

इनकार किया, अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा किया इसलिए उसे अभियोजित करने तथा उसके दोष को स्थापित करने के लिए सेशन विचारण प्रक्रिया को आरंभ किया गया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक् रूप से विचार करने के बाद अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त निर्णय तथा दंडादेश को वर्तमान अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – संबद्ध पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा उठाए गए प्रतिवादों पर विचार करते हुए तथा घटना के समय पीड़ित लड़की की वास्तविक आयु के प्रश्न पर विचार करते हुए अभिलेख पर यह तथ्य उपलब्ध है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार घटना तारीख 5 अप्रैल, 2015 को घटित हुई थी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़ित लड़की के कथन को तारीख 7 अप्रैल, 2015 को लेखबद्ध किया गया था तथा अपने उक्त कथन में पीड़ित लड़की ने यह कहा था कि उसकी आयु 10 वर्ष है और वह कक्षा पांच की छात्रा है । किन्तु जब पीड़ित लड़की ने तारीख 2 नवम्बर, 2016 को विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 1 के रूप में अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया तो उसने यह कथन किया कि उसकी आयु 12 वर्ष है । पीड़ित लड़की के विद्यालय प्रवेश रजिस्टर का अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया गया था और उक्त रजिस्टर में पीड़ित लड़की की जन्म तिथि को तारीख 12 मई, 2004 के रूप में उपदर्शित किया गया है । डाक्टर ने भी यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की की आयु 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है । दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के अधीन अपराध के घटकों को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम यह साबित करना आवश्यक है कि पीड़ित लड़की की आयु घटना के समय 16 वर्ष से कम थी । इसी प्रकार, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए, अर्थात् उक्त अधिनियम की धारा 2(घ) के अधीन

किसी बालक पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को स्थापित करने के लिए यह उपबंधित किया गया है कि 'बालक' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है । अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस साक्ष्य के प्रतिकूल कुछ भी दर्शित करने में असफल रहे हैं, जिसके आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि पीड़ित लड़की की आयु घटना के समय 12 वर्ष से कम थी और इस प्रकार वे उक्त निष्कर्ष को गलत साबित करने में असफल रहे हैं । अतः, उच्च न्यायालय का मत यह है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने सही रूप से पीड़ित लड़की की आयु का निर्धारण करते हुए उसे 12 वर्ष से कम आयु का बताया है । पीड़ित लड़की ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 5 अप्रैल, 2015 को प्रातः लगभग 10.00 बजे जब वह स्नान करने हेतु टंकी पर गई थी तो उसी समय अपीलार्थी वहां आया और वह उसे उठाकर अमारी झाड़ियों में ले गया और उसने उसे भूमि पर सीधा लिटा दिया और उसके पश्चात् उसने उसकी पैंटी को उतारा तथा उसके ऊपर लेट गया और उसके बाद उसने उसके साथ गंदा काम किया और उसके पश्चात् अपीलार्थी उसे यह धमकी देने के पश्चात् कि यदि उसने किसी भी व्यक्ति के समक्ष इस घटना को प्रकट किया तो वह उसकी हत्या कर देगा, घटनास्थल से चला गया । पीड़ित लड़की ने यह भी कथन किया है कि घटना के पश्चात् अपने घर लौटते समय मार्ग में उसे उसकी माता मिली और उसने पूरी घटना के संबंध में अपनी माता के समक्ष प्रकटन किया । पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य को उसकी माता द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से पुष्टि प्राप्त होती है । इस संबंध में पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन संबंधित तथ्य और कार्य के रूप में सुसंगत साक्ष्य है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार किसी विशिष्ट कथन को समान संव्यवहार के भाग रूप में स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे घटना के साथ-साथ घटित होना चाहिए या उसे सारवान् रूप से समकालीन होना चाहिए अर्थात् उसे घटना के दौरान या उसके तुरंत पूर्व या पश्चात् किया गया होना चाहिए । पीड़ित

लड़की ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी उसके पीछे-पीछे आ रहा था और उसकी माता को देखकर जंगल की ओर भाग गया । अभि. सा. 2 ने भी यह कथन किया है कि अपीलार्थी उसे देखकर जंगल की ओर भाग गया था । पीड़ित लड़की के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन को निर्दिष्ट करते हुए यद्यपि इस बात पर बल दिया गया था कि पीड़ित लड़की ने उक्त कथन में यह कहा था कि घटना के पश्चात् अपीलार्थी उसे धमकी देने के पश्चात् घटनास्थल से फरार हो गया था और इसलिए पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके कथन का विरोधाभासी है किन्तु उच्च न्यायालय के उक्त विरोधाभास को कोई ऐसी मुख्य विसंगति नहीं माना जा सकता जिसके आधार पर पीड़ित लड़की के संपूर्ण साक्ष्य को झूठा कहा जा सकता है । अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर बल दिया है कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत यह कथन कि अपीलार्थी घटना के पश्चात् उसका पीछा कर रहा था, अत्यंत अप्राकृतिक प्रतीत होता है और सामान्य रूप से कोई भी अभियुक्त अपराध करने के पश्चात् बलात्संग की पीड़ित लड़की का पीछा करने के बजाय घटनास्थल से फरार होने का प्रयास करेगा । इस संबंध में उच्च न्यायालय का मत यह है कि घटना के पश्चात् किसी व्यक्ति, चाहे वह कोई साक्षी हो अथवा अभियुक्त, का आचार व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न-भिन्न हो सकता है और सामान्य रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि प्रत्येक व्यक्ति घटना के पश्चात् एक विशिष्ट रीति में प्रतिक्रिया करेगा । किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, चाहे वह साक्षी हो अथवा कोई अभियुक्त, द्वारा की गई किसी विशिष्ट किस्म की प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति के आधार पर संबद्ध साक्ष्य को परित्यक्त करना पूर्णरुपेण अवास्तविक और अवांछनीय है । किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में की जाने वाली प्रतिक्रिया ऐसी व्यक्ति की परवरिश, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता, उसके मनोभावों और उसकी भावनाओं पर निर्भर करती है । अत:, यह नहीं कहा जा सकता कि घटना के पश्चात् पीड़ित लड़की का पीछा किए जाने और पीड़ित लड़की की माता को देखकर जंगल की

ओर भाग जाने संबंधी अपीलार्थी का आचार कोई ऐसा तथ्य है जो अभियोजन के पक्षकथन के संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह की संभावना को उत्पन्न करता है । इस प्रकार पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षा के पश्चात् ही अक्षुण्ण और विश्वसनीय बना रहा है और उसका सुरक्षित रूप से अवंलब लिया जा सकता है क्योंकि वह स्पष्ट, अकाट्य और विश्वसनीय प्रतीत होता है । डाक्टर जिसने तारीख 6 अप्रैल, 2016, अर्थात् घटना से अगले दिन कामाख्या नगर स्थित उप मंडलीय मुख्यालय अस्पताल में पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की थी, ने यह कथन किया है कि यद्यपि, उसे पीड़ित लड़की के वस्त्रों का निरीक्षण/जांच करने पर ऐसा कोई भौतिक संकेत दिखाई नहीं दिया था जो बलात्संग की ओर इशारा करता हो किन्तु उसे पीड़ित लड़की की योनि के अग्र भाग और भगोष्ठ में लाली और संवेदनशीलता जैसे सूजन के चिह्न दिखाई दिए थे । निस्संदेह रूप से डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसके द्वारा पीड़ित लड़की के भगोष्ठ के आस-पास देखी गई सूजन, लाली और संवेदनशीलता किसी संक्रमण के कारण भी हो सकती है और डाक्टर ने यह भी कथन किया है कि पीड़ित लड़की का भगोष्ठ सामान्य था किन्तु इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि डाक्टर के साक्ष्य से पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत यह अभिसाक्ष्य पूर्णतया धराशायी हो जाता है कि अपीलार्थी ने अनेक बार अपने लिंग को उसकी योनि में प्रविष्ट किया था । इस संबंध में विधि में यह सुस्थापित है कि अभियोक्त्री के कथन की चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा अभिपुष्टि की अनुपस्थिति में उसके संपूर्ण परिसाक्ष्य को परित्यक्त नहीं किया जा सकता । विभिन्न न्यायालयों द्वारा संगत रूप से बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लैंगिक हमले के पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य किसी आहत साक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के तत्समान है और किसी सीमा तक वह उससे अधिक विश्वसनीय है और सामान्यत: यह आशा नहीं की जाती है कि बलात्संग की पीड़िता वास्तविक अपराधी को बचाते हुए किसी निर्दोष व्यक्ति को उसके ऊपर हुए लैंगिक हमले में हुए मिथ्या रूप से फंसाएगी । न्यायिक अवलंब के लिए अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की

अभिपुष्टि विधि की कोई अध्यापेक्षा नहीं है, अपितु वह विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन विवेक संबंधी दिशा-निर्देश है । अत: केवल इस कारण से कि डाक्टर ने पीड़ित लड़की की योनि के अग्र भाग और भगोष्ठ में सूजन, लाली और संवेदनशीलता को देखा है और यह राय व्यक्त की है कि ऐसी स्थिति किसी संक्रमण के परिणामस्वरूप भी उत्पन्न हो सकती है, पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास करने का आधार नहीं बन सकता । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत इस तर्क पर विचार करते हुए कि पीड़ित लड़की एक सिखाया-पढ़ाया गया साक्षी है, यह प्रतीत होता है कि उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता । पीड़ित लड़की ने यह कथन किया है कि उसकी माता ने उसे इस संबंध में अनुदेश दिए थे कि उसे किस प्रकार न्यायालय के समक्ष अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करना है । पीड़ित लड़की ने कभी भी यह कथन नहीं किया है कि अभि. सा. 2 ने उसे इस संबंध में अनुदेश दिए थे कि न्यायालय में क्या अभिसाक्ष्य देना है । घटना के तुरंत पश्चात् पीड़ित लड़की द्वारा उसकी माता के समक्ष किए गए प्रकटन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके द्वारा लेखबद्ध कराया गया कथन तथा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस संबंध में पूर्णत: संगत बना रहा कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया है । निस्संदेह रूप से, रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उसकी फ्रॉक और पैंटी में किसी प्रकार के रक्त या वीर्य के चिह्न नहीं पाए गए हैं किन्तु यह प्रतीत होता है कि बलात्संग करने से पूर्व अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की की पैंटी को हटा दिया था और इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान नहीं है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के शरीर पर वीर्य पतन किया था या पीड़ित लड़की ने बलात्संग के तुरंत पश्चात् अपनी पैंटी को पुन: धारण किया था । पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय का सुविचारित मत यह है कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न केवल पूर्णत: अविश्वसनीय है अपितु उसे उसकी माता और अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभिपुष्टि भी प्राप्त हुई है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया गया है कि घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु 12

वर्ष से कम थी । इस प्रकार मुझे आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश में कोई अविधिपूर्ण बात या दोष अथवा त्रुटि प्रतीत नहीं होती है और इसलिए आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि की तद्नुसार अभिपुष्टि की जाती है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराया है और विचारण न्यायालय ने सही रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 में अंतर्विष्ट आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के अधीन कोई पृथक् दंडादेश पारित नहीं किया है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन 10 वर्ष का न्यूनतम सारवान् दंडादेश अधिरोपित किया गया है जो कि पूर्णत: उचित प्रतीत होता है । अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी पर 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश भी अधिरोपित किया गया है, जिसमें व्यतिक्रम करने पर उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध करने के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास के सारवान् दंडादेश के अतिरिक्त छह मास का और कारावास भोगना होगा और चूंकि अपीलार्थी अत्यंत निर्धन है और उसने जेल दांडिक अपील फाइल की है, अत:, जुर्माने की उक्त रकम को न्याय के हित में घटाया जाए । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त दलील पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी पर अधिरोपित 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) के जुर्माने की रकम को घटा कर 5,000/- रुपए (पांच हजार रुपए) किया जाता है और उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अपीलार्थी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के सारवान् दंडादेश के अतिरिक्त एक मास की अवधि का और कारावास भोगना होगा । अपराध करने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पीड़ित लड़की को उस दशा में, यदि वह उसके साथ घटित घटना के संबंध में किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकटन करती है तो ऐसे में दी गई जान से मारने की धमकी के संबंध में पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की दंड संहिता की धारा 506 भाग 1 के अधीन की गई दोषसिद्धि और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उक्त धारा के अधीन उस पर अधिरोपित दंडादेश भी पूर्णत: उचित प्रतीत

होता है । दो अपराधों के संबंध में अधिरोपित दोनों दंडादेश, जिन्हें ऊपर उल्लिखित किया गया है, एक साथ चलेंगे । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा 1,50,000/- रुपए (एक लाख पचास हजार रुपए) की रकम को प्रतिकर रकम के रूप में निर्धारित किया गया था और उसके संबंध में यह निदेश दिया गया था कि उक्त रकम का संदाय पीड़ित लड़की को किया जाए । घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु और पीड़ित लड़की के विरुद्ध किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय का मत यह है कि प्रतिकर की रकम में वृद्धि की जानी चाहिए इसलिए यह आवश्यक है कि पीड़ित लड़की के मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धेनकनाल को निर्दिष्ट किया जाए और साथ ही यह सिफारिश की जाए की ओडिशा सरकार, गृह विभाग की तारीख 20 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना के अनुसार ओडिशा पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2018 के अधीन प्रतिकर मंजूर करने के लिए विधि के अनुसार आवश्यक जांच-पड़ताल करने के पश्चात् पीड़ित लड़की के मामले की जांच करते हुए उचित प्रतिकर का अभिनिर्धारण किया जाए । इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धेनकनाल को अग्रेषित की जाए । निचले न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की एक प्रति के साथ तुरंत जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए विद्वान् विचारण न्यायलय को अग्रेषित किया जाए । तद्नुसार, ऊपर कथित किए गए अनुसार पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए जुर्माने की रकम में उपांतरण के अधीन रहते हुए, वर्तमान दांडिक अपील को, उसमें कोई गुण न होने के कारण खारिज किया जाता है । (पैरा 8, 9, 10, 11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1996] (1996) 6 एस. सी. सी. 241 =
ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2791 :
जेनटेला विजयवर्धन राव बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** । 9

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2018 की जे.सी.आर.एल.ए. सं. 103.

वर्तमान दांडिक अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, सह-न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पॉक्सो) द्वारा 2015 के पॉक्सो विचारण सं. 11 में तारीख 30 अगस्त, 2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री निरंजन सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनुपम रथ, अपर स्थायी काउंसेल

न्यायमूर्ति एस. के. साहू – अपीलार्थी बिपिन भोई ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376(2)(i) और धारा 506 भाग 1 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम' कहा गया है) की धारा 6 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए वर्ष 2015 के सीटी विशेष पॉक्सो मामला सं. 11 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश सह-न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पॉक्सो), धेनकनाल के न्यायालय में विचारण का सामना किया था ।

विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 30 अगस्त, 2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा अपीलार्थी को उस पर लगाए गए आरोपों का दोषी पाया और उसने अपीलार्थी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश पारित किया और साथ ही उस पर 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 6 मास का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 506 भाग 1 के अधीन अपराध करने के लिए 1 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश भी पारित किया गया और साथ ही यह निदेश दिया गया कि दोनों दंडादेश एक साथ चलेंगे । पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध कोई पृथक् दंडादेश पारित नहीं किया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 5 अप्रैल, 2015 को प्रात: लगभग 10.00 बजे पीड़ित लड़की (अभि. सा. 1) जो एक अप्राप्तवय लड़की है, जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष है, अपने घर के समीप स्थित गांव की टंकी पर स्नान करने गई थी और उसी समय अपीलार्थी वहां आ गया और वह उसे उठाकर अमारी झाड़ियों में ले गया और उसने उसे वहां भूमि पर लिटा दिया । उसके पश्चात्, उसने उसकी पैंटी को उतार दिया तथा उसके साथ बलात्संग किया । घटनास्थल छोड़ते समय अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की को यह धमकी दी कि यदि उसने इस मामले से संबंधित जानकारी को किसी के समक्ष प्रकट किया तो वह उसे जान से मार देगा । जब पीड़ित लड़की घटनास्थल से वापस अपने घर जा रही थी तो उस समय अपीलार्थी उसका पीछा कर रहा था किन्तु पीड़ित लड़की की माता (अभि. सा. 2) को देखकर वह वहां से भाग गया । पीड़ित लड़की ने इस संपूर्ण घटना की जानकारी अपनी माता को दी ।

अभि. सा. 2 ने इस पूरे मामले की जानकारी उस समय अपने पति को दी जब वह अपने कार्य से वापस घर आया । उसके पश्चात् वे उसी दिन तुम्मूसिंगा पुलिस थाने गए और रात्रि लगभग 9.00 बजे अभि. सा. 2 ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे ग्राम पंडुआ के निवासी सुभाष द्वारा उसके अनुदेश पर हस्तलिखित किया गया । उक्त सुभाष ने रिपोर्ट को हस्तलिखित करने के पश्चात् उसे अभि. सा. 2 को पढ़कर सुनाया और रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को उसके समक्ष स्पष्ट किया तथा अभि. सा. 2 ने उसे सही पाए जाने पर रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए ।

अभि. सा. 15 सत्यनारायण प्रधान, जो तुम्मूसिंगा पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी था, ने अभि. सा. 2 से लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-2) को रजिस्टर किया, जो तुम्मूसिंगा पुलिस थाना मामला सं. 29, तारीख 5 अप्रैल, 2015 के रूप में चिह्नित है । अभि. सा. 15 ने मामले का अन्वेषण आरंभ किया और अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान

उसने इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) और पीड़ित लड़की (अभि. सा. 1) की परीक्षा की तथा उनके कथनों को लेखबद्ध किया । उसके पश्चात् वह इत्तिलाकर्ता के ग्राम में गया और वहां उसने अन्य साक्षियों की परीक्षा की । उसके पश्चात्, वह घटनास्थल पर भी गया किन्तु घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण वह वहां से लौट आया । घटना के अगले दिन, अर्थात् तारीख 6 अप्रैल, 2015 को अन्वेषण अधिकारी ने पीड़ित लड़की द्वारा घटना के समय पहने हुए वस्त्रों, अर्थात् एक नीले, सफेद और लाल रंग के नायलॉन फ्रॉक और एक काले रंग की पैंटी को अभिगृहीत किया और उक्त वस्त्रों से संबंधित अभिग्रहण सूची को प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित किया गया है । घटना से अगले दिन वह घटनास्थल पर भी पहुंचा तथा उसने घटनास्थल का सत्यापन किया तथा स्थलनक्शा तैयार किया जो प्रदर्श-10 के रूप में है । पीड़ित लड़की को चिकित्सा परीक्षा हेतु एसडी मुख्यालय अस्पताल, कामाख्या नगर भेजा गया और उक्त अस्पताल में डाक्टर द्वारा पीड़ित लड़की के योनिकस्राव का नमूना एकत्रित किया गया और उसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया गया । तारीख 7 अप्रैल, 2015 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़ित लड़की के कथन को लेखबद्ध किया गया । उसके पश्चात् तारीख 9 अप्रैल, 2015 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और उसे भी चिकित्सा परीक्षा हेतु एसडी मुख्यालय अस्पताल, कामाख्या नगर भेजा गया । अभियुक्त के नाखूनों की क्लिपिंग, उसके बालों, वीर्य और उसके द्वारा पहने हुए वस्त्रों का अभिग्रहण सूची के अनुसार, अभिग्रहण किया गया जो प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नित है । उसके पश्चात्, अपीलार्थी को तारीख 10 अप्रैल, 2015 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया । अन्वेषण अधिकारी ने उस विद्यालय का दौरा किया, जहां पीड़ित लड़की अध्ययन कर रही थी और उक्त विद्यालय में उसने प्रधानाध्यापक से पीड़ित लड़की से संबंधित विद्यालय प्रवेश रजिस्टर को अभिग्रहण सूची के अनुसार अभिगृहीत किया जो प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित है और जिससे यह तथ्य उपदर्शित होता है कि पीड़ित लड़की की जन्म तिथि 12 मई, 2004 है ।

विद्यालय प्रवेश रजिस्टर को जिम्मानामा, जो प्रदर्श-6 के रूप में चिह्नित है, निष्पादित करने के पश्चात् विद्यालय के प्राधानाध्यापक को वापस सौंप दिया गया । विद्यालय के प्राधानाध्यापक ने विद्यालय प्रवेश रजिस्टर में दर्ज सूचना के आधार पर इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया कि पीड़ित लड़की की जन्म तिथि 12 मार्च, 2004 है । अन्वेषण अधिकारी ने पीड़ित लड़की और साथ ही अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्टों को अभिप्राप्त किया और उसके पश्चात् उसने सारवान् वस्तुओं को निदेशक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रसूलगढ़, भुवनेश्वर को न्यायालय के माध्यम से रासायनिक परीक्षा हेतु अग्रेषित किया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 5 मई, 2015 को अपीलार्थी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 294/506/342/376(2)(i) के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

3. आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा उक्त मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 31 मार्च, 2016 को अपीलार्थी के विरुद्ध ऊपर कथित किए गए अनुसार आरोप विरचित किए और चूंकि अपीलार्थी ने उस पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया, अपने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा किया इसलिए उसे अभियोजित करने तथा उसके दोष को स्थापित करने के लिए सेशन विचारण प्रक्रिया को आरंभ किया गया ।

4. अपीलार्थी द्वारा अपने प्रतिरक्षा अभिवाक् के रूप में उस पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया गया है और उसके द्वारा यह अभिवाक् किया गया है कि उसे उक्त मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

5. विचारण के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल 15 साक्षियों की परीक्षा की ।

अभि. सा. 1 स्वयं पीड़िता है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए अपने कथन पर विद्यमान अपने

हस्ताक्षर को साबित किया है । अभि. सा. 1 ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है और यह कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलात्संग किया गया था ।

अभि. सा. 2 बसंती भोई पीड़ित लड़की की माता है और वह इस मामले की इत्तिलाकर्ता भी है और उसने यह कथन किया है कि अपीलार्थी उसे देखकर घटनास्थल से फरार हो गया था और उसके पश्चात् पीड़ित लड़की ने उसे उसके साथ हुई घटना के संबंध में पूरी कहानी बताई थी ।

अभि. सा. 3 सरोजिनी भोई ने घटना के संबंध में अभि. सा. 2 द्वारा उसके समक्ष किए गए प्रकटन के संबंध में कथन किया है । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने अभि. सा. 2 को यह सुझाव दिया था कि वह घटना के संबंध में अपीलार्थी की माता को सूचित करे ।

अभि. सा. 4 भागबत भोई पीड़ित लड़की (अभि. सा. 1) का पिता और इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) का पति है और उसने यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने उसे घटना के संबंध में बताया था ।

अभि. सा. 5 काशीनाथ पात्रा, जो इत्तिलाकर्ता का एक सह-ग्रामीण व्यक्ति है, पीड़ित लड़की द्वारा घटना के समय पहने हुए वस्त्रों के अभिग्रहण का एक साक्षी है, जिनका अभिग्रहण प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित अभिग्रहण सूची के माध्यम से किया गया था ।

अभि. सा. 6 सुभ्रांशु कुमार मोहंता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-2) को हस्तलिखित किया है ।

अभि. सा. 7 विक्रम कुमार बेहरा, जो सुसंगत समय पर उदयगिरि प्राथमिक विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक था, विद्यालय प्रवेश रजिस्टर के अभिग्रहण का एक साक्षी है, जिसका अभिग्रहण प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित अभिग्रहण सूची के माध्यम से किया गया था और उसने जिम्मानामा (प्रदर्श-6) के माध्यम से उक्त रजिस्टर का जिम्मा लिया था ।

अभि. सा. 8 सुआ भोई एक सह-ग्रामीण व्यक्ति है और उसने यह कथन किया है कि उसने घटना के संबंध में सुना था ।

अभि. सा. 9 दिबाकर भोई, जो सुसंगत समय पर उदयगिरि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था, विद्यालय प्रवेश रजिस्टर के अभिग्रहण का एक साक्षी है, जिसका अभिग्रहण प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित अभिग्रहण सूची के माध्यम से किया गया था ।

अभि. सा. 10 हेमंत कुमार भुटिया, जो सुसंगत समय पर तुम्मूसिंघा पुलिस थाने में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था, प्रदर्श-7 के रूप में चिह्नित अभिग्रहण सूची के माध्यम से किए गए अभिग्रहण का एक साक्षी है ।

अभि. सा. 11 प्रसन्ना कुमार देहुरी, जो सुसंगत समय पर तुम्मूसिंघा पुलिस थाने में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत था, प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नित अभिग्रहण सूची के माध्यम से किए गए अभिग्रहण का एक साक्षी है ।

अभि. सा. 12 पदमाबती भोई, जो अभि. सा. 2 की पड़ोसन है, ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया ।

अभि. सा. 13 सुधांशु शेखर मिश्रा, जो सुसंगत समय पर कामाख्या नगर स्थित उप मंडलीय मुख्यालय अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा था, ने पुलिस द्वारा अध्यापेक्षा किए जाने पर पीड़िता (अभि. सा. 1) की चिकित्सा परीक्षा की थी और उसने प्रदर्श-3/1 के रूप में चिह्नित चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को साबित किया है ।

अभि. सा. 14 डा. दिलीप कुमार कार, जो सुसंगत समय पर कामाख्या नगर स्थित उप मंडलीय मुख्यालय अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा था, ने पुलिस द्वारा अध्यापेक्षा किए जाने पर अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा की थी और उक्त परीक्षा के दौरान उसने अपीलार्थी के शरीर पर कुछ क्षतियों को देखा था और उसने इस संबंध में प्रदर्श-9 के रूप में चिह्नित अपनी चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को साबित किया है ।

अभि. सा. 15 सत्यनारायण प्रधान सुसंगत समय पर तुम्मूसिंघा पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी था और वह वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी भी है ।

अभियोजन पक्ष ने कुल 11 दस्तावेजों को प्रदर्शों के रूप में चिह्नित किया । प्रदर्श-1 के रूप में पीड़ित लड़की के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिए गए कथन को चिह्नित किया गया है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्श-2 के रूप में, पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को प्रदर्श-3/1 के रूप में चिह्नित किया गया है, प्रदर्श-4 उन वस्त्रों की अभिग्रहण सूची है जिन्हें पीड़ित लड़की ने घटना के दौरान पहना हुआ था । प्रदर्श-5 भी एक अभिग्रहण सूची है, प्रदर्श-6 जिम्मानामा है तथा प्रदर्श-7 तारीख 6 अप्रैल, 2015 की अभिग्रहण सूची है । इसके अतिरिक्त, प्रदर्श-8 तारीख 9 अप्रैल, 2015 की अभिग्रहण सूची है, प्रदर्श-9 अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट है, प्रदर्श-10 स्थल नक्शा है और प्रदर्श-11 पीड़ित लड़की की जन्म तिथि से संबंधित प्रमाणपत्र है ।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि डा. द्वारा प्रस्तुत यह अंतिम राय कि अपीलार्थी द्वारा पीड़ित लड़की की योनि में लिंग का प्रवेशन या प्रवेशन का प्रयास नहीं किया गया था, किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है । डाक्टर के इस संबंध में निकाले गए निष्कर्ष कि पीड़ित लड़की के शरीर पर विद्यमान क्षतियां बलपूर्वक/जबरदस्ती लैंगिक मैथुन की ओर संकेत नहीं करती हैं, भी स्वीकार्य नहीं है । इसके अतिरिक्त यह भी निर्धारित किया गया है कि स्वयं पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य और साथ ही अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की केवल इस आधार पर अनदेखी नहीं की जा सकती कि डाक्टर ने एक प्रतिकूल राय व्यक्त की है जो उसके अपने इन निष्कर्षों के भी प्रतिकूल है कि उसने पीड़ित लड़की के जननांगों के आस-पास क्षतियां पाई थीं ।

इसके पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी की बाईं कोहनी और उदर के पृष्ठ भाग पर क्षतियां विद्यमान हैं और वे क्षतियां घटना जितनी ही पुरानी प्रतीत होती हैं । इसके पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को पर्याप्त रूप से अभि. सा. 3 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य से अभिपुष्टि प्राप्त हुई है और इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 12 ने भी कुछ सीमा तक उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि की है और इसलिए इस प्रकार के साक्ष्य की साधारण रूप से केवल इस आधार पर अनदेखी नहीं की जा सकती कि डाक्टर ने अपने स्वयं के इस प्रभाव के निष्कर्षों कि उसने पीड़ित लड़की के जननांगों पर क्षतियां पाई थीं, के प्रतिकूल चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु 12 वर्ष से कम थी और अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(2)(i) और 506 भाग 1 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन आरोपों को साबित किया है ।

7. श्री निरंजन सिंह, अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने जोर-शोर से यह प्रतिवाद किया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन नहीं किया है और पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि उसे न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उसकी माता द्वारा सिखाया-पढ़ाया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत यह कथन कि अपीलार्थी घटना के पश्चात् उसका पीछा कर रहा था और उसकी माता को देखकर वह वहां से फरार हो गया, पीड़ित लड़की द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके कथन के प्रतिकूल है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के पश्चात् अपीलार्थी उसे धमकी देने के पश्चात् घटनास्थल से चला गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि डाक्टर ने पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा करने के

पश्चात् यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की के योनिच्छद के आस-पास मौजूद सूजन, लाली और त्वचा की सिकुड़न किसी संक्रमण के परिणामस्वरूप भी उत्पन्न होना संभव है और पीड़ित लड़की का योनिच्छद भी सामान्य अवस्था में था और इसलिए पीड़ित लड़की की योनि में किसी प्रकार का कोई प्रवेशन नहीं हुआ है जैसा कि उसने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है । विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि पीड़ित लड़की के फ्रॉक और पैंटी पर किसी प्रकार के रक्त और वीर्य के चिह्न नहीं पाए गए और साथ ही उसके योनिक स्राव में भी किसी प्रकार का कोई वीर्य नहीं पाया गया जिसके कारण अभियोजन पक्ष द्वारा तैयार किया गया बलात्संग संबंधी पक्षकथन असफल हो जाता है और इसलिए यह एक ऐसा उचित मामला है जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए ।

दूसरी ओर, श्री अनुपम रथ, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह प्रतिवाद किया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट रूप से यह साबित किया गया है कि पीड़ित लड़की की आयु घटना के समय केवल 12 वर्ष थी । पीड़ित लड़की द्वारा अत्यंत स्पष्ट, अकाट्य और विश्वसनीय अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा की गई उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे उसके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई संदेह या अविश्वास उत्पन्न हो । विद्वान् स्थायी काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि घटना के तुरंत पश्चात् पीड़ित लड़की ने अपनी माता (अभि. सा. 2) के समक्ष उसके साथ हुई घटना के संबंध में प्रकटन किया था, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 6 के उपबंधों के अनुसार स्वीकार्य साक्ष्य है और पीड़ित लड़की तथा उसके कुटुम्ब के सदस्यों के पास ऐसा कोई भौतिक कारण विद्यमान नहीं है जिसके फलस्वरूप वे अपीलार्थी को बलात्संग के आरोप में मिथ्या रूप से फंसाने का प्रयास करें और यह उल्लेखनीय है कि बलात्संग के

आरोपों के कारण पीड़ित लड़की और साथ ही उसके परिवार के भविष्य पर भी दूरगामी दुष्परिणाम पड़ते हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी द्वारा पीड़ित लड़की का पीछा किए जाने संबंधी विसंगति एक लघु विरोधाभास है और उसके आधार पर पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता । विद्वान् स्थायी काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़ित लड़की को मात्र इस आधार पर सिखाया-पढ़ाया गया साक्षी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने यह कथन किया है कि उसकी माता ने न्यायालय आते समय उसे न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अनुदेश दिए थे । पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत कथन पूर्ण विचारण के दौरान संगत बने रहे हैं और पीड़ित लड़की ने न केवल घटना के तुरंत पश्चात् अपनी माता के समक्ष उक्त प्रभाव के प्रकटन किए हैं और साथ ही उसने पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध किए गए अपने कथनों में उन्हीं बातों को दोहराया और साथ ही विचारण के समय न्यायालय में भी उसने अपने कथनों को साक्ष्य स्वरूप दोहराया है । अपनी बहस को समाप्त करते हुए विद्वान् स्थायी काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट में उपदर्शित की गई ये बातें कि पीड़ित लड़की द्वारा पहने गए वस्त्रों, अर्थात् उसकी फ्रॉक और पैंटी पर कोई रक्त या वीर्य के चिह्न नहीं पाए गए और न ही उसके योनिक स्राव में वीर्य का कोई चिह्न पाया गया है, एक ऐसे कारक के रूप में स्थापित नहीं हो सकती, जिनके आधार पर संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन को नकार दिया जाए क्योंकि इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि अपीलार्थी ने बलात्संग के पश्चात् पीड़ित लड़की के गुप्तांगों पर अपना वीर्य पतन किया था और न्यायालय के अभिलेख पर इस प्रभाव का साक्ष्य उपलब्ध है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के साथ-साथ बलात्संग करने के पूर्व उसकी पैंटी को उतार दिया था और इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि बलात्संग के पश्चात् पीड़ित लड़की अपनी पैंटी पुन: धारण की थी । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने जिस रीति से लगभग 12 वर्ष की आयु वाली एक अप्राप्तवय लड़की के साथ बलात्संग जैसा जघन्य अपराध किया है, वह अत्यंत अचंभित करने वाली है और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा

अधिरोपित 10 वर्ष का सारवान् दंडादेश पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और साथ ही दंड संहिता की धारा 376(2)(i), उसके संशोधन से पूर्व, के अधीन उपबंधित न्यूनतम दंड है और इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि संशोधन के पश्चात् दंड संहिता की धारा 376(2)(i) का लोप कर दिया गया है और उसके स्थान पर एक विनिर्दिष्ट उपधारा (3) को दंड संहिता की धारा 376 में अंत:स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्संग करने के लिए ऐसा दंड निहित किया गया है जो 20 वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और इसी प्रकार पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में भी संशोधन करके दंड को बढ़ाया गया है जो वर्तमान में 20 वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा । विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित निर्णय में किसी त्रुटि/दोष की अनुपस्थिति में अपील को खारिज किया जाना चाहिए ।

8. संबद्ध पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा उठाए गए प्रतिवादों पर विचार करते हुए तथा घटना के समय पीड़ित लड़की (अभि. सा. 1) की वास्तविक आयु के प्रश्न पर विचार करते हुए अभिलेख पर यह तथ्य उपलब्ध है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार घटना तारीख 5 अप्रैल, 2015 को घटित हुई थी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़ित लड़की के कथन को तारीख 7 अप्रैल, 2015 को लेखबद्ध किया गया था तथा अपने उक्त कथन में पीड़ित लड़की ने यह कहा था कि उसकी आयु 10 वर्ष है और वह कक्षा पांच की छात्रा है । किन्तु जब पीड़ित लड़की ने तारीख 2 नवम्बर, 2016 को विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 1 के रूप में अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया तो उसने यह कथन किया कि उसकी आयु 12 वर्ष है । पीड़ित लड़की के विद्यालय प्रवेश रजिस्टर का अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिग्रहण किया गया था और उक्त रजिस्टर में पीड़ित लड़की की जन्म तिथि को तारीख 12 मई, 2004 के रूप में उपदर्शित किया गया है । डाक्टर (अभि. सा. 13) ने भी यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की की आयु 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है ।

दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के अधीन अपराध के घटकों को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम यह साबित करना आवश्यक है कि पीड़ित लड़की की आयु घटना के समय 16 वर्ष से कम थी । इसी प्रकार, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए, अर्थात् उक्त अधिनियम की धारा 2(घ) के अधीन किसी बालक पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को स्थापित करने के लिए यह उपबंधित किया गया है कि 'बालक' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है । अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस साक्ष्य के प्रतिकूल कुछ भी दर्शित करने में असफल रहे हैं, जिसके आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि पीड़ित लड़की की आयु घटना के समय 12 वर्ष से कम थी और इस प्रकार वे उक्त निष्कर्ष को गलत साबित करने में असफल रहे हैं । अतः, मेरा मत यह है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने सही रूप से पीड़ित लड़की की आयु का निर्धारण करते हुए उसे 12 वर्ष से कम आयु का बताया है ।

9. पीड़ित लड़की (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 5 अप्रैल, 2015 को प्रातः लगभग 10.00 बजे जब वह स्नान करने हेतु टंकी के पास गई थी तो उसी समय अपीलार्थी वहां आया और वह उसे उठाकर अमारी झाड़ियों में ले गया और उसने उसे भूमि पर सीधा लिटा दिया और उसके पश्चात् उसने उसकी पैंटी को उतारा तथा उसके ऊपर लेट गया और उसके बाद उसने उसके साथ गंदा काम किया और उसके पश्चात् अपीलार्थी ने उसे यह धमकी देने के पश्चात् कि यदि उसने किसी भी व्यक्ति के समक्ष इस घटना को प्रकट किया तो वह उसकी हत्या कर देगा, घटनास्थल से चला गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीड़ित लड़की से यह स्पष्ट करने हेतु कि 'गंदा काम' पद से उसका क्या तात्पर्य है, उसके समक्ष कतिपय प्रश्नों को रखा और उक्त प्रश्नों के उत्तर में पीड़ित लड़की द्वारा दिए गए उत्तरों को यहां नीचे उद्धृत किया गया है :–

"प्र. 1 – तुम्हारे यह कहने का तात्पर्य क्या है कि अभियुक्त ने तुम्हारे साथ गंदा काम किया ?

उ. अभियुक्त ने मेरे साथ बलात्संग किया ।

प्र. 2 – अभियुक्त द्वारा तुम्हारा बलात्संग किए जाने से तुम्हारे अनुसार क्या तात्पर्यित है ?

उ. अभियुक्त व्यक्ति ने अपनी पतलून और मेरी पैंटी उतारने के पश्चात् अपने लिंग को कई बार मेरी योनि में प्रविष्ट किया ।"

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 विचारण न्यायालय को सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी भी समय और किसी भी रूप में किसी साक्षी या पक्षकारों से किसी तथ्य, चाहे वह सुसंगत हो अथवा असंगत हो, प्रश्न पूछे जाने संबंधी बृहत्त और अप्रतिबंधित शक्तियां प्रदान करती है । इसलिए जब प्रतिपरीक्षा के दौरान न्यायालय ने पीड़ित लड़की द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा के दौरान प्रयुक्त 'गंदा काम' पद के सही अर्थ या सही स्थिति को अभिनिश्चित करने के विचार से पीड़ित लड़की से प्रश्न किए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि न्यायालय के पास इस प्रकार प्रश्न करने की शक्ति विद्यमान थी ।

पीड़ित लड़की ने यह भी कथन किया है कि घटना के पश्चात् अपने घर लौटते समय मार्ग में उसे उसकी माता मिली और उसने पूरी घटना के संबंध में अपनी माता के समक्ष प्रकटन किया । पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य को उसकी माता (अभि. सा. 2) द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से पुष्टि प्राप्त होती है । इस संबंध में पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन संबंधित तथ्य और कार्य के रूप में सुसंगत साक्ष्य है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार किसी विशिष्ट कथन को समान संव्यवहार के भाग रूप में स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे घटना के साथ-साथ घटित होना चाहिए या उसे सारवान् रूप से समकालीन होना चाहिए अर्थात् उसे घटना के दौरान या उसके तुरंत पूर्व या पश्चात् किया गया होना चाहिए । **जेनटेला विजयवर्धन राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के संबंध

[1] (1996) 6 एस. सी. सी. 241 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2791.

में चर्चा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में अधिकथित या समाविष्ट सिद्धांत या विधि सामान्य रूप से संबंधित तथ्य और कार्य के नियम के रूप में ज्ञात है और उसे अंग्रेजी विधि के अधीन मान्यता प्राप्त है । इस विधिक सिद्धांत का सार यह है कि ऐसा कोई तथ्य जो यद्यपि स्वयं में कोई विवाद्यक नहीं है किन्तु वह विवाद्यक के रूप में अंतर्वलित किसी तथ्य से इस प्रकार संबंध रखता है कि वह 'उसी संव्यवहार का भाग रूप प्रतीत होता है' तो ऐसी स्थिति में ऐसा तथ्य स्वयमेव सुसंगत हो जाता है । साधारण रूप से इस नियम को उस साधारण नियम का अपवाद माना जाता है जिसके अधीन अनुश्रुत साक्ष्य स्वीकार्य नहीं है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन कतिपय कथन या तथ्य को स्वीकार्य बनाए जाने के पीछे मुख्य रूप से तर्क यह है कि उक्त कथन या तथ्य, विवाद्यक के रूप में अंतर्वलित तथ्य से स्वाभाविक, सहज और समकालीन होने के कारण अटूट रूप से जुड़ा है । किन्तु यह आवश्यक है कि ऐसा तथ्य या कथन उसी संव्यवहार का एक भाग होना चाहिए । अन्य शब्दों में, ऐसा कथन उन कार्यों के साथ-साथ किया गया होना चाहिए, जो अपराध का गठन करते हैं या उनके तुरंत पश्चात् किया गया होना चाहिए, किन्तु यदि दोनों के बीच में समयांतराल, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, विद्यमान है और ऐसा समयांतराल झूठ गढ़ने हेतु पर्याप्त है तो ऐसा कथन संबंधित तथ्य और कार्य का भाग नहीं माना जाएगा ।

पीड़ित लड़की ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी उसके पीछे-पीछे आ रहा था और उसकी माता को देखकर जंगल की ओर भाग गया । अभि. सा. 2 ने भी यह कथन किया है कि अपीलार्थी उसे देखकर जंगल की ओर भाग गया था । पीड़ित लड़की के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन को निर्दिष्ट करते हुए यद्यपि इस बात पर बल दिया गया था कि पीड़ित लड़की ने उक्त कथन में यह कहा था कि घटना के पश्चात् अपीलार्थी उसे धमकी देने के पश्चात् घटनास्थल से फरार हो गया था और इसलिए पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन

लेखबद्ध किए गए उसके कथन का विरोधाभासी है किन्तु मेरे मतानुसार उक्त विरोधाभास को कोई ऐसी मुख्य विसंगति नहीं माना जा सकता जिसके आधार पर पीड़ित लड़की के संपूर्ण साक्ष्य को झूठा कहा जा सकता है ।

अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर बल दिया है कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत यह कथन कि अपीलार्थी घटना के पश्चात् उसका पीछा कर रहा था, अत्यंत अप्राकृतिक प्रतीत होता है और सामान्य रूप से कोई भी अभियुक्त अपराध करने के पश्चात् बलात्संग की पीड़ित लड़की का पीछा करने के बजाय घटनास्थल से फरार होने का प्रयास करेगा । इस संबंध में मेरा मत यह है कि घटना के पश्चात् किसी व्यक्ति, चाहे वह कोई साक्षी हो अथवा अभियुक्त, का आचार व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न-भिन्न हो सकता है और सामान्य रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि प्रत्येक व्यक्ति घटना के पश्चात् एक विशिष्ट रीति में प्रतिक्रिया करेगा । किसी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, चाहे वह साक्षी हो अथवा कोई अभियुक्त, द्वारा की गई किसी विशिष्ट किस्म की प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति के आधार पर संबद्ध साक्ष्य को परित्यक्त करना पूर्णरुपेण अवास्तविक और अवांछनीय है । किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में की जाने वाली प्रतिक्रिया ऐसी व्यक्ति की परवरिश, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता, उसके मनोभावों और उसकी भावनाओं पर निर्भर करती है । अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि घटना के पश्चात् पीड़ित लड़की का पीछा किए जाने और पीड़ित लड़की की माता को देखकर जंगल की ओर भाग जाने संबंधी अपीलार्थी का आचार कोई ऐसा तथ्य है जो अभियोजन के पक्षकथन के संबंध में किसी भी प्रकार के संदेह की संभावना को उत्पन्न करता है । इस प्रकार पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षा के पश्चात् ही अक्षुण्ण और विश्वसनीय बना रहा है और उसका सुरक्षित रूप से अवंलब लिया जा सकता है क्योंकि वह स्पष्ट, अकाट्य और विश्वसनीय प्रतीत होता है ।

10. डाक्टर (अभि. सा. 12) जिसने तारीख 6 अप्रैल, 2016, अर्थात्

घटना से अगले दिन कामाख्या नगर स्थित उप मंडलीय मुख्यालय अस्पताल में पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की थी, ने यह कथन किया है कि यद्यपि, उसे पीड़ित लड़की के वस्त्रों का निरीक्षण/जांच करने पर ऐसा कोई भौतिक संकेत दिखाई नहीं दिया था जो बलात्संग की ओर इशारा करता हो किन्तु उसे पीड़ित लड़की की योनि के अग्र भाग और भगोष्ठ में लाली और संवेदनशीलता जैसे सूजन के चिह्न दिखाई दिए थे । निस्संदेह रूप से डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसके द्वारा पीड़ित लड़की के भगोष्ठ के आस-पास देखी गई सूजन, लाली और संवेदनशीलता किसी संक्रमण के कारण भी हो सकती है और डाक्टर ने यह भी कथन किया है कि पीड़ित लड़की का भगोष्ठ सामान्य था किन्तु इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि डाक्टर के साक्ष्य से पीड़ित लड़की (अभि. सा. 1) द्वारा प्रस्तुत यह अभिसाक्ष्य पूर्णतया धराशायी हो जाता है कि अपीलार्थी अनेक बार अपने लिंग को उसके योनि में प्रविष्ट किया था । इस संबंध में विधि में यह सुस्थापित है कि अभियोक्त्री के कथन की चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा अभिपुष्टि की अनुपस्थिति में उसके संपूर्ण परिसाक्ष्य को परित्यक्त नहीं किया जा सकता ।

विभिन्न न्यायालयों द्वारा संगत रूप से बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लैंगिक हमले के पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य किसी आहत साक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य के तत्समान है और किसी सीमा तक वह उससे अधिक विश्वसनीय है और सामान्यत: यह आशा नहीं की जाती है कि बलात्संग की पीड़िता वास्तविक अपराधी को बचाते हुए किसी निर्दोष व्यक्ति को उसके ऊपर हुए लैंगिक हमले में हुए मिथ्या रूप से फंसाएगी । न्यायिक अवलंब के लिए अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि विधि की कोई अध्यापेक्षा नहीं है, अपितु वह विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन विवेक संबंधी दिशा-निर्देश है । अत: केवल इस कारण से कि डाक्टर (अभि. सा. 13) ने पीड़ित लड़की की योनि के अग्र भाग और भगोष्ठ में सूजन, लाली और संवेदनशीलता को देखा है और यह राय व्यक्त की है कि ऐसी स्थिति किसी संक्रमण के परिणामस्वरूप भी उत्पन्न हो सकती है, पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास करने का आधार नहीं बन सकता ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत इस तर्क पर विचार करते हुए कि पीड़ित लड़की एक सिखाया-पढ़ाया गया साक्षी है, यह प्रतीत होता है कि उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता । पीड़ित लड़की ने यह कथन किया है कि उसकी माता (अभि. सा. 2) ने उसे इस संबंध में अनुदेश दिए थे कि उसे किस प्रकार न्यायालय के समक्ष अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करना है । पीड़ित लड़की ने कभी भी यह कथन नहीं किया है कि अभि. सा. 2 ने उसे इस संबंध में अनुदेश दिए थे कि न्यायालय में क्या अभिसाक्ष्य देना है । घटना के तुरंत पश्चात् पीड़ित लड़की द्वारा उसकी माता के समक्ष किए गए प्रकटन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके द्वारा लेखबद्ध कराया गया कथन तथा विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस संबंध में पूर्णत: संगत बना रहा कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया है । निस्संदेह रूप से, रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उसकी फ्रॉक और पैंटी में किसी प्रकार के रक्त या वीर्य के चिह्न नहीं पाए गए हैं किन्तु यह प्रतीत होता है कि बलात्संग करने से पूर्व अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की की पैंटी को हटा दिया था और इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान नहीं है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की के शरीर पर वीर्य पतन किया था या पीड़ित लड़की ने बलात्संग के तुरंत पश्चात् अपनी पैंटी को पुन: धारण किया था ।

12. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए मेरा सुविचारित मत यह है कि पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य न केवल पूर्णत: अविश्वसनीय है अपितु उसे उसकी माता और अन्य साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभिपुष्टि भी प्राप्त हुई है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया गया है कि घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु 12 वर्ष से कम थी । इस प्रकार मुझे आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश में कोई अविधिपूर्ण बात या दोष अथवा त्रुटि प्रतीत नहीं होती है और इसलिए आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि की तद्नुसार अभिपुष्टि की जाती है ।

विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराया है और

विचारण न्यायालय ने सही रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 में अंतर्विष्ट आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 376(2)(i) के अधीन कोई पृथक् दंडादेश पारित नहीं किया है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन 10 वर्ष का न्यूनतम सारवान् दंडादेश अधिरोपित किया गया है जो कि पूर्णत: उचित प्रतीत होता है ।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी पर 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश भी अधिरोपित किया गया है, जिसमें व्यतिक्रम करने पर उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध करने के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास के सारवान् दंडादेश के अतिरिक्त छह मास का और कारावास भोगना होगा और चूंकि अपीलार्थी अत्यंत निर्धन है और उसने जेल दांडिक अपील फाइल की है, अत:, जुर्माने की उक्त रकम को न्याय के हित में घटाया जाए । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त दलील पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी पर अधिरोपित 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) के जुर्माने की रकम को घटा कर 5,000/- रुपए (पांच हजार रुपए) किया जाता है और उक्त जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अपीलार्थी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के सारवान् दंडादेश के अतिरिक्त एक मास की अवधि का और कारावास भोगना होगा ।

अपराध करने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पीड़ित लड़की को उस दशा में, यदि वह उसके साथ घटित घटना के संबंध में किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकटन करती है तो ऐसे में दी गई जान से मारने की धमकी के संबंध में पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की दंड संहिता की धारा 506 भाग 1 के अधीन की गई दोषसिद्धि और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उक्त धारा के अधीन उस पर अधिरोपित दंडादेश भी पूर्णत: उचित प्रतीत होता है । दो अपराधों के संबंध में अधिरोपित दोनों दंडोदेश, जिन्हें ऊपर उल्लिखित किया गया है, एक साथ चलेंगे ।

विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा 1,50,000/- रुपए (एक लाख

पचास हजार रुपए) की रकम को प्रतिकर रकम के रूप में निर्धारित किया गया था और उसके संबंध में यह निदेश दिया गया था कि उक्त रकम का संदाय पीड़ित लड़की को किया जाए । घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु और पीड़ित लड़की के विरुद्ध किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मेरा मत यह है कि प्रतिकर की रकम में वृद्धि की जानी चाहिए इसलिए यह आवश्यक है कि पीड़ित लड़की के मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धेनकनाल को निर्दिष्ट किया जाए और साथ ही यह सिफारिश की जाए की ओडिशा सरकार, गृह विभाग की तारीख 20 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना के अनुसार ओडिशा पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम, 2018 के अधीन प्रतिकर मंजूर करने के लिए विधि के अनुसार आवश्यक जांच-पड़ताल करने के पश्चात् पीड़ित लड़की के मामले की जांच करते हुए उचित प्रतिकर का अभिनिर्धारण किया जाए ।

इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धेनकनाल को अग्रेषित की जाए ।

निचले न्यायालय के अभिलेख को इस निर्णय की एक प्रति के साथ तुरंत जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए विद्वान् विचारण न्यायलय को अग्रेषित किया जाए ।

तद्नुसार, ऊपर कथित किए गए अनुसार पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि के लिए जुर्माने की रकम में उपांतरण के अधीन रहते हुए, वर्तमान दांडिक अपील को, उसमें कोई गुण न होने के कारण खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

मार्सेल कूयो

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(2021 की रिट याचिका सं. 11763)

तारीख 22 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 167(2) [सपठित स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36क(4) और 22(ग)] – अभिकथित रूप से याची के पास से प्रतिषिद्ध पदार्थों की बरामदगी किया जाना – याची को गिरफ्तार करके उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाना – अन्वेषण अधिकारी द्वारा 180 दिन की विहित अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करके याची के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल करने में असफल रहना – अभियोजन पक्ष द्वारा अन्वेषण पूरा करने हेतु समय सीमा के विस्तारण की ईप्सा करते हुए एक आवेदन फाइल करना और दूसरी ओर याची द्वारा कानूनी जमानत के लिए आवेदन फाइल करना – विचारण न्यायालय द्वारा अन्वेषण पूरा करने हेतु समय सीमा के विस्तारण को मंजूर करते हुए याची की जमानत याचिका को नामंजूर किया जाना – याची द्वारा उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाना – अभिलेख से यह तथ्य सामने आना कि अभियोजन पक्ष समय विस्तारण के लिए फाइल किए गए आवेदन के संबंध में कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा है – उक्त तथ्य के आलोक में विचारण न्यायालय द्वारा अन्वेषण पूरा करने हेतु समय सीमा के विस्तारण की मंजूरी संबंधी आदेश का विधिपूर्ण न होना और अभिलेख के परिशीलन से यह तथ्य भी सामने आना कि अन्वेषण पूरा करके आरोप पत्र फाइल करने की 180 दिन की विहित अवधि पूरी हो चुकी है और अन्वेषण अधिकारी आरोप पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा है, अत:, याची कानूनी जमानत के लिए हकदार है

और इसलिए कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए याची के जमानत संबंधी आवेदन को मंजूर किया जाता है ।

वर्तमान याचिका का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत के आधार पर जे.सी. नगर पुलिस थाना, बेंगलुरु में वर्तमान मामले के याची के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 22(ग) और अधिनियम की धारा 14 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अपराध सं. 105/2020 रजिस्टर की गई । शिकायत में यह प्रकथन किया गया है कि इस प्रभाव की विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कि मिलर्स रोड के समीप एक विदेशी व्यक्ति के कब्जे में स्वापक ओषधि मौजूद हैं और वह उसे ग्राहकों को विक्रय कर रहा है, शिकायतकर्ता ने उक्त सूचना को थाना हाउस डायरी में प्रविष्ट करने तथा उच्चतर अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कुछ पंचों और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ दोपहर लगभग 12.40 बजे घटनास्थल पर छापेमारी की और उन्होंने दूर से यह देखा कि एक विदेशी व्यक्ति जनता को स्वापक पदार्थों का विक्रय कर रहा था । उसके पश्चात् एक झूठमूठ के ग्राहक को विश्वसनीय जानकारी सत्यापित करने के लिए भेजा गया और उक्त झूठमूठ के ग्राहक से संकेत प्राप्त होने के पश्चात् शिकायतकर्ता और उसके साथ गए कर्मचारीवृन्द ने याची को घेर लिया तथा उसे पकड़ लिया और उसके पास से एम.डी.एम.ए. को बरामद किया जिसका कुल भार 26.50 ग्राम था और साथ ही याची के कब्जे से 1,200/- रुपए नकद की एक राशि भी बरामद की गई । अभिगृहीत पदार्थ और नकदी से संबंधित महाज़र को तैयार किया गया और उसके पश्चात् याची को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया गया । शिकायत के आधार पर याची के विरुद्ध अपराध सं. 105/2020 के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई । याची को तारीख 11 दिसम्बर, 2020 को अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसी दिन उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और उस दिन से वह न्यायिक अभिरक्षा में है । अभियोजक ने तारीख 3 जून, 2021 को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन एक आवेदन फाइल किया और

न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना प्रस्तुत की कि अन्वेषण को पूरा करने के लिए समय विस्तारण मंजूर किया जाए, जबकि याची ने तारीख 9 जून, 2021 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन कानूनी जमानत की ईप्सा करते हुए न्यायालय के समक्ष एक आवेदन फाइल किया । विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा फाइल किए गए आवेदन को मंजूर किया तथा याची द्वारा फाइल किए गए आवेदन को खारिज कर दिया । याची ने विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका फाइल की है । उच्च न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने तथा सुसंगत कानूनी उपबंधों पर विचार करने के पश्चात् याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन फाइल किए गए उक्त आवेदन, जिसकी प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गई है, के परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि आवेदन के साथ लोक अभियोजक की रिपोर्ट को सहबद्ध नहीं किया गया है । एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के परंतुक में स्पष्ट रूप से इस उपबंध को अंतर्वलित किया गया है कि अन्वेषण के लिए समय के विस्तारण की ईप्सा करते हुए कोई आवेदन अभियोजक द्वारा फाइल किया जाना होगा और ऐसा आवेदन लोक अभियोजक की ऐसे रिपोर्ट के माध्यम से पूर्णत: समर्थित होगा, जिसमें अन्वेषण की प्रगति को दर्शित किया गया हो और साथ ही 180 दिन की अवधि से परे अभियुक्त को निरुद्ध रखे जाने के विनिर्दिष्ट कारणों का भी उल्लेख किया गया हो । जब तक कि युक्तियुक्त आवश्यक कारण न बताए गए हों तब तक विचारण न्यायालय यूं ही अन्वेषण पूरा करने के लिए कानून द्वारा उपबंधित समय सीमा को विस्तारित नहीं कर सकता । लोक अभियोजक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अन्वेषण की प्रास्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और साथ ही उससे यह भी अपेक्षित है कि वह अन्वेषण को पूरा करने हेतु समय विस्तारण के लिए अत्यावश्यक कारणों के संबंध में

समुचित मामला तैयार करेगा । वर्तमान मामले में अभियोजक द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 26क(4) के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण को पूरा करने हेतु समय विस्तारण की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन को विचार में नहीं लिया जा सकता क्योंकि ऐसा करते समय एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के परंतुक के अधीन उपबंधित अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया है । अन्वेषण हेतु समय विस्तारण की ईप्सा करने वाले आवेदन के संबंध में यह अपेक्षित है कि वह लोक अभियोजक की रिपोर्ट द्वारा और न कि अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित हो । अत:, विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा समय के विस्तारण की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन को मंजूर करके त्रुटि की है । चूंकि विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्वक एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन अन्वेषण पूरा करने हेतु समय के विस्तारण को मंजूर किया है । अत:, विचारण न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक की रिपोर्ट के बिना, जैसा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, लोक अभियोजक द्वारा फाइल किए गए समय विस्तारण के लिए फाइल किए गए आवेदन का निपटारा करते हुए पारित किया गया आदेश बनाए रखे जाने योग्य नहीं है । इसके परिणामस्वरूप, चूंकि विहित अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल नहीं किया गया है, इसलिए याची के पक्ष में कानूनी जमानत के लिए एक अजेय अधिकार उद्भूत हो जाता है । यह तथ्य विवादित नहीं है कि आरोप पत्र को अभियुक्त के प्रथम प्रतिप्रेषण की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान होने तक फाइल नहीं किया गया है । इन परिस्थितियों के अधीन, चूंकि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अन्वेषण पूरा करने के लिए मंजूर किया गया समय विस्तारण विधि के अनुसार उचित नहीं है, इसलिए याची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन फाइल किए गए आवेदन को मंजूर किया जाना अपेक्षित है । तद्नुसार, याचिका मंजूर की जाती है । बेंगलुरु स्थित XXXIII सिटी सिविल और सेशन न्यायाधीश तथा एन.डी.पी.एस. मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन अभियोजन पक्ष द्वारा अन्वेषण पूरा करने के लिए समय विस्तारण की ईप्सा करते हुए

फाइल किए गए आवेदन के संबंध में पारित तारीख 25 जून, 2021 के आदेश को अपास्त किया जाता है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, याची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167(2) के अधीन कानूनी जमानत की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन को मंजूर किया जाता है – (1) याची 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) की राशि के निजी बंधपत्र का निष्पादन करेगा और संबद्ध न्यायालय के समाधानप्रद रूप से समान राशि के लिए दो प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करेगा । (2) याची अन्वेषण अधिकारी के साथ पूर्णरूपेण सहयोग करेगा और वह प्रत्येक दूसरे रविवार प्रात: 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच तब तक अन्वेषण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि अन्वेषण कार्य पूरा नहीं हो जाता और आरोप पत्र फाइल नहीं कर दिया जाता । (3) याची तब तक सुनवाई की प्रत्येक तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि विचारण न्यायालय विधिमान्य कारणों से उसे उपस्थित होने से छूट नहीं प्रदान कर देता । (4) याची प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से कोई फेर फार नहीं करेगा । (पैरा 10, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन मणिपुर 203 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2019 एम.पी.आर. 86 : **फारुक अहमद लश्कर** बनाम **मणिपुर राज्य** ; 11

[2016] 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन पंजाब-हरियाणा 1657 : **सबदीप कुमार** बनाम **पंजाब राज्य** ; 12

[2009] (2009) 17 एस. सी. सी. 631 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 744 : **संजन कुमार केडिया** उर्फ **संजय केडिया** बनाम **आसूचना अधिकारी, स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो और अन्य** । 10

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2021 की रिट याचिका सं. 11763.

वर्तमान दांडिक रिट याचिका, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा

तारीख 25 जून, 2021 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

याची की ओर से श्री निशित कुमार शेट्टी

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री आर. डी. रेणुकाराध्या, एचसीजीपी

न्यायमूर्ति एस. विश्वजीत शेट्टी – याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना और साथ ही प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले एचसीजीपी को भी सुना ।

2. याची अपराध सं. 105/2020 का एकमात्र अभियुक्त है, जो बेंगलुरु स्थित XXXIII सिटी सिविल और सेशन न्यायाधीश तथा एन.डी.पी.एस. मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित है और जिसे स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एन.डी.पी.एस. अधिनियम' कहा गया है) की धारा 22ग और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 14 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

3. याची ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 25 जून, 2021 को पारित उस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है जिसके माध्यम से अभियोजन पक्ष द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन अन्वेषण पूरा करने की समय सीमा को विस्तारित करने की अनुमति प्रदान की गई थी तथा याची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167(2) के अधीन कानूनी जमानत की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया था ।

4. वर्तमान मामले के ऐसे संक्षिप्त तथ्य, जो इस याचिका के निपटारे के प्रयोजन हेतु आवश्यक हैं, इस प्रकार हैं कि –

प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत एक शिकायत के आधार पर जे.सी. नगर पुलिस थाना, बेंगलुरु में वर्तमान मामले के याची के विरुद्ध एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 22(ग) और अधिनियम की धारा 14

के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अपराध सं. 105/2020 रजिस्टर की गई । शिकायत में यह प्रकथन किया गया है कि इस प्रभाव की विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कि मिलर्स रोड के समीप एक विदेशी व्यक्ति के कब्जे में स्वापक ओषधि मौजूद हैं और वह उसे ग्राहकों को विक्रय कर रहा है, शिकायतकर्ता ने उक्त सूचना को थाना हाउस डायरी में प्रविष्ट करने तथा उच्चतर अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कुछ पंचों और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ दोपहर लगभग 12.40 बजे घटनास्थल पर छापेमारी की और उन्होंने दूर से यह देखा कि एक विदेशी व्यक्ति जनता को स्वापक पदार्थों का विक्रय कर रहा था । उसके पश्चात् एक झूठमूठ के ग्राहक को विश्वसनीय जानकारी सत्यापित करने के लिए भेजा गया और उक्त झूठमूठ के ग्राहक से संकेत प्राप्त होने के पश्चात् शिकायतकर्ता और उसके साथ गए कर्मचारीवृन्द ने याची को घेर लिया तथा उसे पकड़ लिया और उसके पास से एम.डी.एम.ए. को बरामद किया जिसका कुल भार 26.50 ग्राम था और साथ ही याची के कब्जे से 1,200/- रुपए नकद की एक राशि भी बरामद की गई । अभिगृहीत पदार्थ और नकदी से संबंधित महाज़र को तैयार किया गया और उसके पश्चात् याची को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाया गया । शिकायत के आधार पर याची के विरुद्ध अपराध सं. 105/2020 के रूप में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई । याची को तारीख 11 दिसम्बर, 2020 को अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसी दिन उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया और उस दिन से वह न्यायिक अभिरक्षा में है ।

5. अभियोजक ने तारीख 3 जून, 2021 को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन एक आवेदन फाइल किया और न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना प्रस्तुत की कि अन्वेषण को पूरा करने के लिए समय विस्तारण मंजूर किया जाए, जबकि याची ने तारीख 9 जून, 2021 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन कानूनी जमानत की ईप्सा करते हुए न्यायालय के समक्ष एक आवेदन फाइल किया । विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा अभियोजन पक्ष

द्वारा फाइल किए गए आवेदन को मंजूर किया तथा याची द्वारा फाइल किए गए आवेदन को खारिज कर दिया ।

6. याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अभियोजन पक्ष द्वारा फाइल किए गए आवेदन को लोक अभियोजक की रिपोर्ट द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं है जैसा कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के परंतुक के अधीन आज्ञापक है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि उक्त आवेदन की किसी प्रति की याची को तामिल नहीं की गई और अभियोजन पक्ष द्वारा समय के विस्तारण की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन की सुनवाई के दौरान तथा विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने के समय भी याची को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

7. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् एच. सी. जी. पी. ने याची द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और यह प्रतिवाद किया कि अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट को समय के विस्तारण की ईप्सा करने वाले आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया था और उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अन्वेषण की प्रास्थिति को दर्शित किया गया है और यह बताया गया है कि चूंकि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए आरोप पत्र को प्रस्तुत नहीं किया जा सका था और केवल इस आधार पर विचारण न्यायालय ने अन्वेषण के समय को विस्तारित किया था जो कि पूर्णत: विधिपूर्ण है अत:, आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

8. मैंने ध्यानपूर्वक दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों पर विचार किया है और साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया है ।

9. अभियोजन पक्ष ने तारीख 3 जून, 2021 को अन्वेषण पूरा करने के लिए समय सीमा के विस्तारण हेतु प्रार्थना करते हुए एक आवेदन फाइल किया था । याची के प्रथम प्रतिप्रेषण की तारीख से 180

दिन की अवधि व्यतीत हो जाने पर उक्त प्रतिप्रेषण तारीख 9 जून, 2021 को व्यपगत हो रहा था ।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन फाइल किए गए उक्त आवेदन, जिसकी प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गई है, के परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि आवेदन के साथ लोक अभियोजक की रिपोर्ट को सहबद्ध नहीं किया गया है । एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के परंतुक में स्पष्ट रूप से इस उपबंध को अंतर्वलित किया गया है कि अन्वेषण के लिए समय के विस्तारण की ईप्सा करते हुए कोई आवेदन अभियोजक द्वारा फाइल किया जाना होगा और ऐसा आवेदन लोक अभियोजक की ऐसे रिपोर्ट के माध्यम से पूर्णत: समर्थित होगा, जिसमें अन्वेषण की प्रगति को दर्शित किया गया हो और साथ ही 180 दिन की अवधि से परे अभियुक्त को निरुद्ध रखे जाने के विनिर्दिष्ट कारणों का भी उल्लेख किया गया हो । जब तक कि युक्तियुक्त आवश्यक कारण न बताए गए हों तब तक विचारण न्यायालय यूं ही अन्वेषण पूरा करने के लिए कानून द्वारा उपबंधित समय सीमा को विस्तारित नहीं कर सकता । लोक अभियोजक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अन्वेषण की प्रास्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और साथ ही उससे यह भी अपेक्षित है कि वह अन्वेषण को पूरा करने हेतु समय विस्तारण के लिए अत्यावश्यक कारणों के संबंध में समुचित मामला तैयार करेगा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **संजन कुमार केडिया** उर्फ **संजय केडिया** बनाम **आसूचना अधिकारी, स्वापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए अपने निर्णय के पैरा सं. 12 में निम्नानुसार अवधारित किया है :–

> "12. अधिनियम के अधीन अपराधों के अनेक प्रवर्गों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) के अधीन विहित 90 दिन की अधिकतम अवधि को बढ़ाकर 180 दिन किया गया है किन्तु एक

[1] (2009) 17 एस. सी. सी. 631 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. (सप्ली.) 744.

परंतुक के माध्यम से यह उपबंध किया गया है कि निरुद्ध रखे जाने की अवधि को कुल एक वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है, परंतु यह कि उक्त परंतुक में कठोर शर्तों का उपबंध किया गया है और उक्त समय विस्तारण हेतु उनका समाधान और अनुपालन करना अनिवार्य है । उपरोक्त शर्तें नीचे उद्धृत की गई हैं –

(1) लोक अभियोजक की रिपोर्ट,

(2) जिसमें अन्वेषण की प्रगति की प्रास्थिति को उपदर्शित किया गया हो,

(3) 180 दिन की अवधि से परे अभियुक्त को निरुद्ध रखने की प्रार्थना करने हेतु अत्यावश्यक कारणों को विनिर्दिष्ट किया गया हो, और

(4) अभियुक्त को इस संबंध में उचित सूचना दी गई हो ।"

11. **फारुक अहमद लश्कर** बनाम **मणिपुर राज्य**[1] वाले मामले में इम्फाल स्थित मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

"13. इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के उपबंध एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों को लागू होते हैं । यदि किसी मामले में अन्वेषण हेतु आगे और समय विस्तारण की आवश्यकता है तो ऐसा केवल एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन आज्ञापक उपबंधों के अनुपालन पर ही संभव हो सकता है । पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, जिसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन यथा अनुध्यात लोक अभियोजक द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट नहीं समझा जा सकता । इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में

[1] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन मणिपुर 203 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2019 एम.पी.आर. 86.

अन्वेषण की प्रगति की प्रास्थिति को उपदर्शित किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । वर्तमान मामले में अन्वेषण की प्रगति की प्रास्थिति को रिपोर्ट में उपदर्शित नहीं किया गया है । वर्तमान मामले में 180 दिन की अवधि से परे अभियुक्त को निरूद्ध रखे जाने के समय को विस्तारित करने के लिए अत्यावश्यक कारणों को भी विनिर्दिष्ट रूप से कथित नहीं किया गया है । प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई पूर्वोक्त रिपोर्ट में 180 दिन की अवधि से परे अभियुक्त को निरुद्ध रखे जाने की ईप्सा करने हेतु अत्यावश्यक कारण उपलब्ध नहीं है, यद्यपि इस संबंध में अभियुक्त को सूचना जारी की गई थी । चूंकि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए मेरा मत यह है कि प्रत्यर्थी द्वारा इस संबंध में उठाया गया आक्षेप कि 180 दिन के पश्चात् अंतिम रिपोर्ट फाइल किए बिना निरुद्ध रखे जाने की समय सीमा को बढ़ाने की ईप्सा विधिविरुद्ध है, न्यायोचित प्रतीत होता है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार भी याची के कब्जे से किसी प्रकार के प्रतिषिद्ध पदार्थ का अभिग्रहण नहीं किया गया है । मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा मत यह है कि याची कानूनी जमानत के लिए हकदार है ।"

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई उद्घोषणा को ध्यान में रखते हुए मेरी सुविचारित राय यह है कि अभियोजक द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 26क(4) के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण को पूरा करने हेतु समय विस्तारण की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन को विचार में नहीं लिया जा सकता क्योंकि ऐसा करते समय एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के परंतुक के अधीन उपबंधित अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया है । अन्वेषण हेतु समय विस्तारण की ईप्सा करने वाले आवेदन के संबंध में यह अपेक्षित है कि वह लोक अभियोजक की रिपोर्ट द्वारा और न कि अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट द्वारा पूर्ण रूप से समर्थित हो । अत:, विचारण न्यायालय ने

अभियोजन पक्ष द्वारा समय के विस्तारण की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन को मंजूर करके त्रुटि की है । इसके अतिरिक्त, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने **सबदीप कुमार** बनाम **पंजाब राज्य**[1] और गुरप्रीत सिंह **उर्फ** गोपी बनाम पंजाब राज्य, अपराध सं. 32170 (ओ और एम) वाले मामले में पारित अपने तारीख 11 जनवरी, 2016 के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के प्राप्त न होने को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन अन्वेषण पूरा करने हेतु समय विस्तारण की मंजूरी के लिए न्यायोचित आधार के रूप में विचार में नहीं लिया जा सकता और यह संप्रेक्षण किया गया है कि समय विस्तारण हेतु अन्वेषण अभिकरण को अत्यावश्यक कारणों को सम्यक् रूप से अधिकथित करना चाहिए । चूंकि विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्वक एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन अन्वेषण पूरा करने हेतु समय के विस्तारण को मंजूर किया है । अत:, विचारण न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक की रिपोर्ट के बिना, जैसा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, लोक अभियोजक द्वारा फाइल किए गए समय विस्तारण के लिए फाइल किए गए आवेदन का निपटारा करते हुए पारित किया गया आदेश बनाए रखे जाने योग्य नहीं है । इसके परिणामस्वरूप, चूंकि विहित अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल नहीं किया गया है, इसलिए याची के पक्ष में कानूनी जमानत के लिए एक अजेय अधिकार उद्भूत हो जाता है । यह तथ्य विवादित नहीं है कि आरोप पत्र को अभियुक्त के प्रथम प्रतिप्रेषण की तारीख से 180 दिन की अवधि के अवसान होने तक फाइल नहीं किया गया है । इन परिस्थितियों के अधीन, चूंकि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अन्वेषण पूरा करने के लिए मंजूर किया गया समय विस्तारण विधि के अनुसार उचित नहीं है, इसलिए याची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के अधीन फाइल किए गए आवेदन को मंजूर किया जाना अपेक्षित है ।

13. तद्नुसार, याचिका मंजूर की जाती है । बेंगलुरु स्थित XXXIII

---

[1] 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन पंजाब-हरियाणा 1657.

सिटी सिविल और सेशन न्यायाधीश तथा एन.डी.पी.एस. मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36क(4) के अधीन अभियोजन पक्ष द्वारा अन्वेषण पूरा करने के लिए समय विस्तारण की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन के संबंध में पारित तारीख 25 जून, 2021 के आदेश को अपास्त किया जाता है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, याची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167(2) के अधीन कानूनी जमानत की ईप्सा करते हुए फाइल किए गए आवेदन को मंजूर किया जाता है –

(1) याची 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) की राशि के निजी बंधपत्र का निष्पादन करेगा और संबद्ध न्यायालय के समाधानप्रद रूप से समान राशि के लिए दो प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करेगा ।

(2) याची अन्वेषण अधिकारी के साथ पूर्णरूपेण सहयोग करेगा और वह प्रत्येक दूसरे रविवार प्रात: 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच तब तक अन्वेषण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि अन्वेषण कार्य पूरा नहीं हो जाता और आरोप पत्र फाइल नहीं कर दिया जाता ।

(3) याची तब तक सुनवाई की प्रत्येक तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि विचारण न्यायालय विधिमान्य कारणों से उसे उपस्थित होने से छूट नहीं प्रदान कर देता ।

(4) याची प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से कोई फेर फार नहीं करेगा ।

याचिका मंजूर की गई ।

पु.

कर्नाटक राज्य

बनाम

रंजीत आनंद चौहान और अन्य

(2016 की दांडिक अपील सं. 100294)

तारीख 23 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति आर. देवदास और न्यायमूर्ति जे. एम. काजी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 323, 324, 504, 506 और 34 [सपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x)] – अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अभिकथित रूप से शिकायतकर्ताओं, जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, की जाति को दुर्भावना से निर्दिष्ट किया जाना और साथ ही स्वैच्छिक रूप से उन पर हमला करके उन्हें क्षति कारित करना – इसके अतिरिक्त, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अभिकथित रूप से शिकायतकर्ताओं के साथ गाली-गलौज करना – मामले के विचारण के दौरान यह तथ्य सामने आना कि दोनों पक्षों के बीच कतिपय रिक्त भूखंड को लेकर पूर्ववर्ती विवाद विद्यमान है – साथ ही यह तथ्य भी सामने आना कि अभिकथित घटना को निर्दिष्ट करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध शिकायत फाइल की गई थी, जिसका विचारण नियमित न्यायालय के समक्ष किया गया और उक्त मामले में वर्तमान मामले के शिकायतकर्ताओं को दोषमुक्त ठहराया गया था – विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर इस आधार पर विश्वास न किया जाना कि वे परस्पर नातेदार हैं और हितबद्ध साक्षी हैं – अन्वेषण अधिकारी द्वारा किसी भी निष्पक्ष साक्षी की परीक्षा न किया जाना – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से इस बात का संकेत प्राप्त होना कि मामले और प्रतिमामले में सभी व्यक्ति दो समूहों में बटे हैं और उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध कथन किया है और अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है – इसके अतिरिक्त, अपराध में प्रयुक्त

हथियारों की पहचान का स्थापित न होना – इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कोई दोष या त्रुटि प्रतीत नहीं होती है और विचारण न्यायालय द्वारा की गई अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच खड़ाडागा ग्राम आर.ई.एस.वाई. सं. 247 से संबंधित रिक्त स्थल के संबंध में विवाद विद्यमान है और उक्त स्थल शिकायतकर्ता तथा अभियुक्त के घर के मध्य अवस्थित है और यह विवाद उस समय आरंभ हुआ था जब अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त स्थल के चारों ओर एक घेरे का सन्निर्माण किया था । इस पृष्ठभूमि में, यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 30 नवम्बर, 2013 को सायं लगभग 7.20 बजे जब शिकायतकर्ता न्या. सा. 4 के साथ एस.वाई. सं. 247 के भूखंडों के सामने सड़क के किनारे कुछ बातचीत कर रहा था तो सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने विधिविरुद्ध जमाव का सृजन किया और भली-भांति यह जानते हुए कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, उसे मदार समुदाय का व्यक्ति बताते हुए उसके विरुद्ध गंदी भाषा का प्रयोग किया तथा उसके साथ गाली-गलौच किया और उसके सामने यह मांग रखी कि उसे ऊपर निर्दिष्ट रिक्त स्थल पर नहीं आना चाहिए । अभियुक्त सं. 1 ने शिकायतकर्ता के बाएं कंधे और बाईं कोहनी पर हसिया से वार किया । अभियुक्त सं. 2 ने, जो हसिया से लैस था, शिकायतकर्ता के सिर पर प्रहार किया और जब न्या. सा. 4 ने हस्तक्षेप किया तथा शिकायतकर्ता को बचाने का प्रयास किया तो उस समय अभियुक्त सं. 2 ने कोयता से उसके बाएं कंधे और सिर पर प्रहार किया । अभियुक्त सं. 3 और 4 ने थप्पड़ और घूसों से शिकायतकर्ता तथा न्या. सा. 4 पर हमला किया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी और यह कहा कि यदि उन्होंने उक्त स्थल को खाली नहीं किया तो वे उन्हें जान से मार डालेंगे । मामले के अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया तथा उक्त आरोप पत्र के आधार पर

अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण आरंभ किया गया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए अपना निर्णय सुनाया । राज्य ने उक्त दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील के माध्यम से उसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, तारीख 30 नवम्बर, 2013 की घटना के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान मामले के अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत फाइल की गई वहीं वर्तमान मामले के अभियुक्त सं. 1 ने वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के विरुद्ध तथा वर्तमान मामले के अन्य साक्षियों के विरुद्ध एक शिकायत फाइल की थी । स्वीकार्य रूप से, दूसरे मामले का विचारण चिक्कोरी के एक नियमित न्यायालय के समक्ष किया गया और वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों को उक्त मामले में दोषमुक्त किया गया । वर्तमान मामले के अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई शिकायत के संबंध में विचारण विशेष न्यायालय के समक्ष चलाया गया क्योंकि शिकायतकर्ता और न्या. सा. 4 अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और इस मामले में भी अभियुक्तों को दोषमुक्त ठहराया गया । यद्यपि, अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस अपील को बनाए रखने के संबंध में प्रश्न उठाए हैं और इस संबंध में विद्वान् काउंसेल ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध मुख्य आधार यह है कि विचारण न्यायालय ने इस आधार पर अभि. सा. 1, 3, 5 और 6 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर विचार नहीं किया क्योंकि वे हितबद्ध साक्षी हैं । इसी प्रकार, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7, अभि. सा. 1 के मित्र हैं और वे एक ही जाति/समुदाय से संबंध रखते हैं । इस प्रकार विचारण न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया । एक अन्य आधार को भी उल्लिखित किया गया है कि लघु लोपों और विसंगतियों, जो कि प्राकृतिक हैं, को मुख्य रूप से उपदर्शित करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया है । तथापि, आक्षेपित निर्णय तथा

अभिलेख पर रखे गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन से यह तथ्य सामने आता है कि केवल ये दो आधार ही ऐसे आधार नहीं हैं जिन पर विचारण न्यायालय ने अभियोजन के पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया । शिकायतकर्ता और अन्य आहत साक्षियों के अनुसार घटना उनके घर के सामने घटित हुई थी । घटनास्थल की बाबत तैयार किए गए स्थलनक्शे के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त के घर एक-दूसरे से तिरछे हैं और दोनों घरों के साथ रिक्त स्थान विद्यमान है । रिक्त स्थान के संबंध में यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारों के बीच कतिपय विवाद विद्यमान है । अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त ने इस क्षेत्र में बाड़ लगाई थी । यद्यपि, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि घटना उस समय घटित हुई जब वह और उसका भाई, अर्थात् अभि. सा. 3 राव साहेब अपने घर के सामने खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे थे, जबकि अभि. सा. 5, जो अभि. सा. 3 का पुत्र और अभि. सा. 4 का भतीजा है, ने यह कथन किया है कि घटना शिकायतकर्ता के घर के पीछे गणपति मंदिर के निकट घटित हुई थी । सतप्पा गुंडा डांगे (अभि. सा. 7) शिकायतकर्ता का परिचित है । उसने यह कथन किया है कि घटना गणपति मंदिर के निकट घटित हुई थी । प्रदर्श पी-18 के रूप में चिह्नित स्थल नक्शे से यह प्रकट होता है कि न तो शिकायतकर्ता और न ही अभियुक्त व्यक्तियों के घर के निकट कोई गणपति मंदिर अवस्थित है । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब घटना घटित हुई थी तो उस समय वह गणपति मंदिर के सामने खड़ा था । यदि शिकायतकर्ता, अभि. सा. 4 और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार घटना शिकायतकर्ता के घर के सामने घटित हुई थी या शिकायतकर्ता के घर के सामने या उसके घर के पीछे घटित हुई थी या अभियुक्त व्यक्तियों के घर के निकट घटित हुई थी तो अभि. सा. 7 उक्त स्थल पर उपस्थित नहीं था और इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में संदेह उत्पन्न होता है कि क्या उसने वास्तव में घटना को देखा है । विचारण न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि जब घटना घटित हुई थी तो उस समय हितबद्ध साक्षियों के अलावा अनेक व्यक्ति घटनास्थल पर

एकत्रित हुए थे किन्तु अन्वेषण अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की । शिकायतकर्ता और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच उनके घर के साथ लगे रिक्त स्थल से संबंधित विवाद को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उन दोनों के बीच हुई पूर्ववर्ती मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि यह बेहतर होता कि यदि अन्वेषण अधिकारी ने कुछ स्वतंत्र साक्षियों की भी परीक्षा की होती जिससे अभि. सा. 1, 3, 5, और 6 द्वारा प्रस्तुत हितबद्ध परिसाक्ष्यों और साथ ही अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7, जो कि अभि. सा. 1 के मित्र हैं, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य को समर्थन प्राप्त होता । इसी प्रकार अभि. सा. 2, जो अभिग्रहण महाजर से संबंधित साक्षी है, भी एक हितबद्ध साक्षी है और इसलिए विचारण न्यायालय ने निष्पक्ष साक्षियों के समर्थन की ईप्सा की थी ताकि हितबद्ध साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को बल दिया जा सके । विचारण न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षण भी किया गया है कि इसी घटना के संबंध में अभियुक्त सं. 1 ने वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता और अन्य साक्षियों के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई जिसके परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था और उस मामले में अभियुक्त व्यक्तियों और उनके समर्थकों ने शिकायतकर्ता और अन्य के विरुद्ध अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि सभी उपस्थित व्यक्तियों में से साक्षी दो समूहों में बटे हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है । ऐसी परिस्थितियों में विचारण न्यायालय ने सही रूप से हितबद्ध साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अपुष्ट परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया । अभियोजन पक्ष के अनुसार एम. ओ. 4 कोयता तथा एम. ओ. 5 खुरपी वे हथियार हैं, जिनके द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता और उसके भाई पर हमला किया । तथापि, मुख्य परीक्षा के अनुक्रम में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3, जो कि वर्तमान मामले में आहत व्यक्ति हैं, ने इस तथ्य को विवादित किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा एम. ओ. 4 और एम. ओ. 5 के रूप में चिह्नित हथियारों का प्रयोग किया गया था । तथापि, अपराध में प्रयुक्त हथियारों की पहचान को स्थापित नहीं किया गया है और परिणामत: एक अत्यंत

महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो अभियुक्त व्यक्तियों को अभिकथित अपराध से जोड़ सकता था, स्थापित नहीं किया जा सका । विचारण न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षण भी किया गया है कि पूर्व में शिकायतकर्ता ने अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 के विरुद्ध विशेष मामला सं. 76/2010 के रूप में एक समान प्रकृति की शिकायत दर्ज की थी जिसमें उक्त अभियुक्तों को क्रमश: अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के रूप में नामित किया गया था और विचारण के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त करते हुए उक्त मामले को खारिज कर दिया था । शिकायत की अंतर्वस्तु और अभि. सा. 1 तथा अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच उनके निवास स्थान के साथ लगे रिक्त स्थल के संबंध में एक विवाद विद्यमान है और उक्त विवाद दोनों पक्षकारों के बीच लड़ाई-झगड़े का मूल कारण है । आहत व्यक्तियों के रक्त से सने वस्त्रों की बरामदगी के साक्षियों ने भी जोर-शोर से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, उक्त साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि जिस समय वह घटनास्थल पर पहुंचा था, उस समय तक महाजर को पहले ही अभिलिखित किया जा चुका था और उसने उक्त महाजर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे । विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 द्वारा प्रयुक्त हथियार के संबंध में अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य मामले के मूल कारण के प्रतिकूल है । विचारण न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षण किया है कि इस बात में भी संदेह विद्यमान है कि क्या अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 को आई क्षतियां एम. ओ. 4 और एम. ओ. 5 के रूप में चिह्नित हथियारों से हमला करके कारित करना संभव है अथवा नहीं । अभियोजन के पक्षकथन के सकल मूल्यांकन पर विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सुसंगत संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है और इसका एकमात्र साधारण कारण यह नहीं है कि अभि. सा. 1, 3, 5 और 6 हितबद्ध साक्षी हैं तथा अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7, अभि. सा. 1 के मित्र हैं । विचारण न्यायालय ने उक्त आधारों के अलावा अन्य अनेक आधारों पर विचार

करते हुए अभियोजन के पक्षकथन को खारिज किया है । वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर आहत व्यक्तियों और साथ ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य को खारिज नहीं किया है कि आहत व्यक्तियों को कारित हुई क्षतियों के प्रकृति और चिकित्सा संबंधी साक्ष्य ने कतिपय विसंगतियां विद्यमान हैं, अपितु, विचारण न्यायालय ने इस संबंध में अन्य अनेक कारणों को लेखबद्ध किया है । अतः, अभियोजन पक्ष इस निर्णय को सुगमता से प्रश्नगत नहीं कर सकता । उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया और साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विचारण न्यायालय ने सही रूप से अभियोजन के पक्षकथन को खारिज किया है और साथ ही विचारण न्यायालय ने सही रूप से अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3, जो वर्तमान मामले में आहत व्यक्ति हैं, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य और साथ ही अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6, जो अभि. सा. 1 के नातेदार हैं और अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि की ईप्सा की है । उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई भी प्रतिकूल बात प्रतीत नहीं हुई और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपील असफल होती है और उसे खारिज किया गया । (पैरा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	(2017) 3 एस. सी. सी. 152 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 873 : **बालेश्वर महतो और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ;	29
[2012]	आई. एल. आर. 2012 कर्ना. 509 (धारवाड़ स्थित अंचल खंडपीठ) : **कर्नाटक राज्य मार्फत पुलिस अंचल निरीक्षक** बनाम **होसाकेरी नगप्पा और अन्य** ।	16, 21

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 100294.

वर्तमान दांडिक अपील विशेष न्यायालय (पॉक्सो) और (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचार निवारण) और तीसरा अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, बेलागवी के न्यायालय द्वारा विशेष दांडिक मामला सं. 39/2014 में तारीख 5 मार्च, 2016 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री वी. एम. बणकार, अपर विशेष लोक अभियोजक

प्रत्यर्थी की ओर से श्री नितिन आर. बोलाबंदी और सुश्री श्वेता कुलकर्णी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जे. एम. काजी ने दिया ।

न्या. काजी – वर्तमान दांडिक अपील अपीलार्थी राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378(1) और (3) के अधीन विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम' कहा गया है) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'एस.सी. एस.टी. अधिनियम' कहा गया है) के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और तीसरा अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, बेलागवी के न्यायालय द्वारा विशेष दांडिक मामला सं. 39/2014 में तारीख 5 मार्च, 2016 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से अभियुक्त सं. 1 से 4 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 323, 324, 504 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध करने के सभी आरोपों से दोषमुक्त किया था ।

3. अपील को फाइल करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है । तारीख 25 मार्च, 2021 के आदेश द्वारा शिकायतकर्ता श्री शाहू भीमराव माने को प्रत्यर्थी सं. 5 के रूप में सम्मिलित किया गया है ।

4. सुविधा के लिए पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष उनके रैंक के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है ।

5. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल 14 साक्षियों की अभि. सा. 1 से अभि. सा. 14 के रूप में परीक्षा की तथा प्रदर्श पी-1 से पी-21 को अभिलेख पर चिह्नित किया तथा साथ ही एम. ओ - 1 से एम. ओ - 5 को भी न्यायालय के अभिलेख पर उपदर्शित किया गया ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन लेखबद्ध किए जाने के अनुक्रम में अभियुक्त् सं. 1 से अभियुक्त सं. 4 ने न्यायालय के समक्ष उनके विरुद्ध रखे गए साक्ष्य के संबंध में, उन्हें मामले में संलिप्त करने से संबंधित सामग्री से इनकार किया है । उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का विकल्प चुना है । विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित नहीं किया गया और परिणामत: अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 4 को दोषमुक्त किया जाता है ।

7. हमने अपीलार्थी/राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर विशेष लोक अभियोजक को सुना और साथ ही अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 4 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल को भी सुना तथा न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया ।

8. अपीलार्थी/राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् अपर विशेष लोक अभियोजक ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि और अभिलेख पर मौजूद तथ्यों तथा साक्षियों के प्रतिकूल है ।

9. अभि. सा. 1 जो वर्तमान मामले का शिकायतकर्ता है, और अभि. सा. 3, जो वर्तमान मामले में आहत व्यक्ति है, ने स्पष्ट रूप से

अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है और उनके साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उनकी जाति को निर्दिष्ट करते हुए उनके साथ गाली-गलौज किया और उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया उक्त अपराध भी साबित होता है ।

10. अभि. सा. 4 से अभि. सा. 7, जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, ने भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है तथा उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिसाक्ष्य ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य की पुष्टि की है । अभि. सा. 13 तहसीलदार, जिसने अभियुक्त और साथ ही शिकायतकर्ता के संबंध में जाति प्रमाणपत्र जारी किया है, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से यह तथ्य साबित होता है कि शिकायतकर्ता उस समुदाय से संबंध रखता है, जो उस राष्ट्रपतीय आदेश के अंतर्गत सूचीबद्ध है, जिसके कारण एस.सी. एस.टी. अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं । शासकीय साक्ष्यों के परिसाक्ष्य की आहत व्यक्ति और साथ ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिसाक्ष्य से पुष्टि होती है । इस प्रकार के सुदृढ़ साक्ष्य के बावजूद विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त करके त्रुटि की है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 हितबद्ध साक्षी हैं । विचारण न्यायालय के निष्कर्ष माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं ।

11. विद्वान् अपर विशेष लोक अभियोजक ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने इस आधार पर भी अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया है कि अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में सारवान् विसंगतियां और लोप विद्यमान हैं । इस संबंध में यह दलील दी गई है कि लघु प्रकार की विसंगतियों और लोपों का विद्यमान होना प्राकृतिक है, विशेष रूप से उस समय जब साक्षी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं और इसलिए ऐसी विसंगतियों और लोपों को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । विचारण न्यायालय ने इस आधार पर भी अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया है कि अड़ोस-पड़ोस के व्यक्तियों की परीक्षा नहीं की गई हैं । इस संदर्भ में यह

दलील प्रस्तुत की गई है कि आस-पड़ोस के साक्षियों की परीक्षा न किया जाना अभियोजन के पक्षकथन हेतु घातक नहीं है क्योंकि वह अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सं. 1 से अभियुक्त सं. 4 के विरुद्ध आरोपों को साबित करने में सफल रहा है । विद्वान् अपर विशेष लोक अभियोजक ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि किसी भी दृष्टिकोण से आक्षेपित निर्णय और आदेश विधिक रूप से बनाए रखे जाने योग्य नहीं है और उन्होंने उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया कि अपील मंजूर की जाए तथा अभियुक्त व्यक्तियों को दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 323, 324, 504 और 506 तथा एस.सी. एस.टी. अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया जाए तथा उनके विरुद्ध समुचित दंड अधिरोपित किया जाए ।

12. दूसरी ओर, अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभिलेख पर रखे गए मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय सही रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पक्षकारों के बीच परस्पर दुर्भावना विद्यमान है तथा उनके घरों के समीप स्थित खाली भू-खंड के संबंध में उनके बीच विद्यमान विवाद को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने सही रूप से अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त ठहराया है और साथ ही विद्वान् काउंसेल ने अपील खारिज करने का अनुरोध किया है ।

13. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद विद्यमान नहीं है कि शिकायतकर्ता श्री शाहु भीमराव माने और उसका भाई राव साहेब भीमराव माने, जिनकी अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई है, हिन्दू मंग जाति से संबंध रखते हैं और यह जाति अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अंतर्गत आती है जबकि अभियुक्त व्यक्ति हिन्दू मराठा समुदाय से संबंध रखते हैं । उक्त तथ्य प्रदर्श पी-16 और पी-17 से स्थापित होते हैं । इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त व्यक्ति चिक्कोरी तालुक, बेलागावी जिला के निवासी हैं और वे पड़ोसी हैं ।

14. अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच खड़ाडागा ग्राम आर.ई.एस.वाई. सं. 247 से संबंधित रिक्त स्थल के संबंध में विवाद विद्यमान है और उक्त स्थल शिकायतकर्ता तथा अभियुक्त के घर के मध्य अवस्थित है और यह विवाद उस समय आरंभ हुआ था जब अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त स्थल के चारों ओर एक घेरे का सन्निर्माण किया था । इस पृष्ठभूमि में, यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 30 नवम्बर, 2013 को सायं लगभग 7.20 बजे जब शिकायतकर्ता न्या. सा. 4 के साथ एस.वाई. सं. 247 के भू-खंडों के सामने सड़क के किनारे कुछ बातचीत कर रहा था तो सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने विधिविरुद्ध जमाव का सृजन किया और भलीभांति यह जानते हुए कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, उसे मदार समुदाय का व्यक्ति बताते हुए उसके विरुद्ध गंदी भाषा का प्रयोग किया तथा उसके साथ गाली-गलौज किया और उसके सामने यह मांग रखी कि उसे ऊपर निर्दिष्ट रिक्त स्थल पर नहीं आना चाहिए । अभियुक्त सं. 1 ने शिकायतकर्ता के बाएं कंधे और बाईं कोहनी पर हसिया से वार किया । अभियुक्त सं. 2 ने, जो हसिया से लैस था, शिकायतकर्ता के सिर पर प्रहार किया और जब न्या. सा. 4 ने हस्तक्षेप किया तथा शिकायतकर्ता को बचाने का प्रयास किया तो उस समय अभियुक्त सं. 2 ने कोयता से उसके बाएं कंधे और सिर पर प्रहार किया । अभियुक्त सं. 3 और 4 ने थप्पड़ और घूसों से शिकायतकर्ता तथा न्या. सा. 4 पर हमला किया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी और यह कहा कि यदि उन्होंने उक्त स्थल को खाली नहीं किया तो वे उन्हें जान से मार डालेंगे ।

15. उक्त प्रश्नगत घटना तारीख 30 नवम्बर, 2013 को घटित हुई थी । अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि उस तारीख को शिकायतकर्ता और उसके समर्थकों ने अभियुक्त व्यक्तियों पर हमला किया था और अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त हमले की घटना के संबंध में एक शिकायत भी फाइल की थी और यद्यपि, उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत, शिकायतकर्ता, द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत से पहले की है किन्तु

पुलिस ने अभियुक्त व्यक्तियों की शिकायत को अपराध सं. 188/2013 के रूप में तथा पश्चात्वर्ती शिकायत, अर्थात् शिकायतकर्ता द्वारा रजिस्टर कराई गई वर्तमान मामले से संबंधित शिकायत को अपराध सं. 187/2013 के रूप में रजिस्टर किया है । अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि मामले और प्रतिमामले की दशा में दोनों मामलों का अन्वेषण समान अन्वेषण अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना अपेक्षित है, जिसके पश्चात् वह आरोप पत्र फाइल करेगा । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि दोनों मामलों के संबंध में यह भी अपेक्षित है कि उनका विचारण भिन्न-भिन्न अभियोजकों द्वारा किन्तु समान न्यायिक अधिकारी के समक्ष किया जाए । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि ऐसे मामलों में प्रथम मामले का विचारण समाप्त होने के पश्चात् उक्त मामले के निर्णय को आरक्षित रखा जाता है और उसके पश्चात् दूसरे मामले में अभिसाक्ष्य को लेखबद्ध किए जाने संबंधी कार्यवाही को आरंभ किया जाता है तथा इस प्रकार विचारण पूरा होने के पश्चात् समान न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दो पृथक् निर्णयों के माध्यम से एक साथ दोनों मामलों का निपटारा करे । उसके पश्चात् विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि प्रति मामले के संबंध में चिक्कोरी स्थित नियमित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया है और उक्त मामले का भी निपटारा कर दिया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता और उसके समर्थकों को दोषमुक्त किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि चूंकि दोनों मामलों का समान न्यायालय द्वारा निर्णय किए जाने की आज्ञापक अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया है इसलिए मामले के गुणागुण के संबंध में विनिश्चय करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इस बात की परीक्षा की जाए कि क्या उक्त त्रुटि के कारण अभियुक्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं ।

16. इस पहलू के संबंध में विद्वान् अपर विशेष लोक अभियोजक ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि समान न्यायालय द्वारा मामले और प्रति मामले के संचालन की आज्ञापक अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया

गया है । तथापि, विद्वान् अपर विशेष लोक अभियोजक ने यह दलील प्रस्तुत की है कि उक्त दोष के कारण अभियुक्त व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । इस संबंध में विद्वान् लोक अभियोजक ने इस न्यायालय की पूर्ण खंडपीठ द्वारा **कर्नाटक राज्य** मार्फत **पुलिस अंचल निरीक्षक** बनाम **होसाकेरी नगप्पा और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है । उक्त मामले में एक खंडपीठ द्वारा एक बड़ी खंडपीठ को प्रतिनिर्देश किया गया था और यह अनुरोध किया गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया जाए :–

> "(1) जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नत्थी लाल **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1990) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 638 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1988 एस. सी. 129] तथा सुधीर और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [(2001) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 387 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 826] वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है यदि मामले और प्रतिमामले का समान न्यायालय द्वारा विचारण नहीं किया जाता है तो क्या कार्यवाहियां दूषित हो जाती हैं ?
>
> (2) क्या एक मामले में लेखबद्ध किए गए अभिसाक्ष्य को अन्य मामले के विचारण के दौरान विचार में लिया जा सकता है ? यदि हां, तो कब और किस सीमा तक ?
>
> (3) यदि विचारण न्यायालय मामले और प्रतिमामले का निपटारा भिन्न-भिन्न तारीखों को करता है और उनमें संलिप्त अभियुक्तों को दोषमुक्त करता है और मामलों में से एक मामले में कोई अपील फाइल नहीं की जाती है तथा बाद में विनिश्चय किए जाने वाले मामले में अपील फाइल की जाती है तो क्या पश्चात्वर्ती मामले की कार्यवाहियों को दूषित माना जाएगा ?"

17. निर्णय के पैरा 16 में माननीय पूर्ण खंडपीठ ने मामले और प्रतिमामले की दशा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि दोनों मामलों का अन्वेषण समान

---

[1] आई. एल. आर. 2012 कर्ना. 509 (धारवाड़ स्थित अंचल खंडपीठ).

अन्वेषण अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए तथा मामलों का अभियोजन दो भिन्न-भिन्न लोक अभियोजकों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, किन्तु विचारण का संचालन समान न्यायालय में होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिसाक्ष्य लेखबद्ध करने तथा अंतिम बहस सुनने के पश्चात् एक मामले में निर्णय को आरक्षित रखा जाना चाहिए और उसके पश्चात् दूसरे मामले में साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात् अंतिम बहस की सुनवाई होनी चाहिए । यह संप्रेक्षण करना आवश्यक नहीं है कि दोनों मामलों में बहस की सुनवाई समान विद्वान् न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए तथा निर्णय की उद्घोषणा भी समान न्यायाधीश द्वारा एक साथ, अर्थात् एक के पश्चात् दूसरे निर्णय की उद्घोषणा की जानी चाहिए । तथापि, निर्णय के पैरा 17 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि विचारण न्यायालय ऊपर उल्लिखित, अर्थात् पैरा 16 में उल्लिखित आज्ञापक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करता है और मामले तथा प्रतिमामले का निपटारा भिन्न-भिन्न कार्यवाहियों के अधीन करता है तथा उनमें संलिप्त अभियुक्तों को दोषमुक्त करता है और जहां एक मामले में कोई अपील फाइल नहीं की जाती है किन्तु दूसरे मामले में निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की जाती है तो उस दशा में पश्चात्वर्ती मामले में की गई कार्यवाहियां दूषित नहीं होंगी ।

18. माननीय पूर्ण खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय राज्य को किसी मामले में अपील फाइल करने हेतु मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि यह विनिश्चय राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है कि क्या न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय को किसी अपील न्यायालय में प्रश्नगत करने की आवश्यकता है अथवा नहीं । यदि राज्य का एक मामले में पारित निर्णय के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह उस मामले में अपील फाइल न करने का विकल्प ले सकता है । तथापि, राज्य को यह महसूस हो सकता है कि दूसरे मामले, अर्थात् प्रतिमामले में अपील करना आवश्यक है, तो ऐसी किसी दशा में कोई बात राज्य को अपील फाइल करने से निवारित नहीं कर सकती । इसके पश्चात् यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां मामले और प्रतिमामले का विचारण

समान न्यायालय द्वारा संचालित किया गया है, वहां विचारण न्यायाधीश दोनों मामलों में अभियुक्त को दोषमुक्त करने का विकल्प ले सकेगा या वह दोनों मामलों में अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने का विकल्प ले सकेगा या फिर वह यह विकल्प भी चुन सकेगा कि एक मामले में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए तथा अन्य मामले में उसे सिद्धदोष ठहराया जाए । उसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होगा । ऐसी दशा में, यह स्थापित करने का दायित्व अभियुक्त का है कि उस पर उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और विधि के प्रतिपादित सिद्धांत के रूप में यह अधिकथित नहीं किया जा सकता कि राज्य द्वारा दूसरे मामले में निर्णय को प्रश्नगत करते हुए अपील क्यों फाइल की गई तथा दोषमुक्ति के आदेश को इस आधार पर खारिज करने की आवश्यकता है कि पश्चात्वर्ती मामले में कार्यवाहियां दूषित हैं ।

19. तद्नुसार, इस उच्च न्यायालय की पूर्ण खंडपीठ ने ऊपर निर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित उत्तर उपलब्ध कराए :–

> "(क) यदि जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नत्थी लाल **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त) तथा सुधीर और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (उपरोक्त) वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है यदि मामले और प्रतिमामले का समान न्यायालय द्वारा विचारण नहीं किया जाता है तो कार्यवाहियां वस्तुत: स्वयं दूषित नहीं होती हैं । किन्तु जहां विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई अनियमित प्रक्रिया के कारण अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप न्याय असफल हुआ है वहां कार्यवाहियों और विचारण को दूषित माना जाएगा । अन्यथा कार्यवाहियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के अधीन संरक्षित हैं ।
>
> (ख) एक मामले में लेखबद्ध किए गए साक्ष्य पर दूसरे मामले में विचार नहीं किया जा सकता । विचारण न्यायाधीश केवल विशिष्ट मामले में लेखबद्ध किए गए साक्ष्य का अवलंब ले सकता है

और प्रतिमामले में लेखबद्ध किए गए साक्ष्य को विचार में नहीं लिया जा सकता । प्रत्येक मामले का विनिश्चय ऐसे साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे उस विशिष्ट मामले में न्यायालय के अभिलेख पर रखा गया है । तथापि, यदि एक मामले में लेखबद्ध किए गए साक्ष्य को विधि की प्रक्रिया के अनुसार दूसरे मामले के अभिलेख पर लाया जाता है तो इस प्रकार विधिक रूप से दूसरे मामले में न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए ऐसे किसी साक्ष्य पर विचारण न्यायालय विचार कर सकता है । अन्यथा, एक मामले में लेखबद्ध किए गए साक्ष्य पर दूसरे मामले में विचार नहीं किया जा सकता ।

(ग) यदि विचारण न्यायालय अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए भिन्न तारीखों पर मामले और प्रतिमामले का निपटारा करता है और मामलों में से एक मामले में कोई अपील फाइल नहीं की जाती है और उसके पश्चात् बाद में निपटाए गए मामले में अपील फाइल की जाती है तो पश्चात्वर्ती मामले की कार्यवाहियां स्वत: ही दूषित नहीं होंगी । प्रत्येक मामले को उसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर निर्णीत किया जाएगा । जब तक कि यह दर्शित न किया गया हो कि किसी कार्यवाही/प्रक्रिया को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तब तक पश्चात्वर्ती मामले में की जाने वाली कार्यवाहियां दूषित नहीं होंगी ।"

20. वर्तमान मामले में, तारीख 30 नवम्बर, 2013 की घटना के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान मामले के अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत फाइल की गई वहीं वर्तमान मामले के अभियुक्त सं. 1 ने वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के विरुद्ध तथा वर्तमान मामले के अन्य साक्षियों के विरुद्ध एक शिकायत फाइल की थी । स्वीकार्य रूप से, दूसरे मामले का विचारण चिक्कोरी के एक नियमित न्यायालय के समक्ष किया गया और वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों को उक्त मामले में दोषमुक्त किया गया । वर्तमान मामले के अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता द्वारा फाइल की गई शिकायत के संबंध में विचारण विशेष न्यायालय के समक्ष चलाया गया क्योंकि

शिकायतकर्ता और न्या. सा. 4 अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं और इस मामले में भी अभियुक्तों को दोषमुक्त ठहराया गया ।

21. यद्यपि, अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस अपील को बनाए रखने के संबंध में प्रश्न उठाए हैं और उक्त प्रश्न इस उच्च न्यायालय की पूर्ण खंडपीठ द्वारा **कर्नाटक राज्य मार्फत पुलिस अंचल निरीक्षक** बनाम **होसाकेरी नगप्पा और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में वर्णित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए उठाए गए हैं और इस संबंध में विद्वान् काउंसेल ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

22. आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध मुख्य आधार यह है कि विचारण न्यायालय ने इस आधार पर अभि. सा. 1, 3, 5 और 6 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर विचार नहीं किया क्योंकि वे हितबद्ध साक्षी हैं । इसी प्रकार, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7, अभि. सा. 1 के मित्र हैं और वे एक ही जाति/समुदाय से संबंध रखते हैं । इस प्रकार विचारण न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया । एक अन्य आधार को भी उल्लिखित किया गया है कि लघु लोपों और विसंगतियों, जो कि प्राकृतिक हैं, को मुख्य रूप से उपदर्शित करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया है और इन आधारों पर आक्षेपित निर्णय और आदेश उलट दिए जाने के लिए दायी है ।

23. तथापि, आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर रखे गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन से यह तथ्य सामने आता है कि केवल ये दो आधार ही ऐसे आधार नहीं हैं जिन पर विचारण न्यायालय ने अभियोजन के पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया । शिकायतकर्ता और अन्य आहत साक्षियों के अनुसार घटना उनके घर के सामने घटित हुई थी । घटनास्थल की बाबत तैयार किए गए स्थल नक्शे के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त के घर एक-दूसरे से तिरछे हैं और दोनों घरों के साथ रिक्त स्थान विद्यमान है । रिक्त स्थान के संबंध में यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षकारों के बीच कतिपय विवाद विद्यमान है । अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत

अभिसाक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि अभियुक्त ने इस क्षेत्र में बाड़ लगाई थी । यद्यपि, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि घटना उस समय घटित हुई जब वह और उसका भाई, अर्थात् अभि. सा. 3 राव साहेब अपने घर के सामने खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे थे, जबकि अभि. सा. 5, जो अभि. सा. 3 का पुत्र और अभि. सा. 4 का भतीजा है, ने यह कथन किया है कि घटना शिकायतकर्ता के घर के पीछे गणपति मंदिर के निकट घटित हुई थी । सतप्पा गुंडा डांगे (अभि. सा. 7) शिकायतकर्ता का परिचित है । उसने यह कथन किया है कि घटना गणपति मंदिर के निकट घटित हुई थी । प्रदर्श पी-18 के रूप में चिह्नित स्थल नक्शे से यह प्रकट होता है कि न तो शिकायतकर्ता और न ही अभियुक्त व्यक्तियों के घर के निकट कोई गणपति मंदिर अवस्थित है । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब घटना घटित हुई थी तो उस समय वह गणपति मंदिर के सामने खड़ा था । यदि शिकायतकर्ता, अभि. सा. 4 और अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार घटना शिकायतकर्ता के घर के सामने घटित हुई थी या शिकायतकर्ता के घर के सामने या उसके घर के पीछे घटित हुई थी या अभियुक्त व्यक्तियों के घर के निकट घटित हुई थी तो अभि. सा. 7 उक्त स्थल पर उपस्थित नहीं था और इसके परिणामस्वरूप इस संबंध में संदेह उत्पन्न होता है कि क्या उसने वास्तव में घटना को देखा है ।

24. विचारण न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि जब घटना घटित हुई थी तो उस समय हितबद्ध साक्षियों के अलावा अनेक व्यक्ति घटनास्थल पर एकत्रित हुए थे किन्तु अन्वेषण अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की । शिकायतकर्ता और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच उनके घर के साथ लगे रिक्त स्थल से संबंधित विवाद को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उन दोनों के बीच हुई पूर्ववर्ती मुकदमेबाजी को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि यह बेहतर होता कि यदि अन्वेषण अधिकारी ने कुछ स्वतंत्र साक्षियों की भी परीक्षा की होती जिससे अभि. सा. 1, 3, 5, और 6 द्वारा प्रस्तुत हितबद्ध परिसाक्ष्यों और साथ ही अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7, जो कि अभि. सा. 1 के मित्र हैं, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य को समर्थन प्राप्त होता । इसी प्रकार अभि. सा. 2, जो अभिग्रहण महाजर से

संबंधित साक्षी है, भी एक हितबद्ध साक्षी है और इसलिए विचारण न्यायालय ने निष्पक्ष साक्षियों के समर्थन की ईप्सा की थी ताकि हितबद्ध साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को बल दिया जा सके ।

25. विचारण न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षण भी किया गया है कि इसी घटना के संबंध में अभियुक्त सं. 1 ने वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता और अन्य साक्षियों के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई जिसके परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था और उस मामले में अभियुक्त व्यक्तियों और उनके समर्थकों ने शिकायतकर्ता और अन्य के विरुद्ध अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि सभी उपस्थित व्यक्तियों में से साक्षी दो समूहों में बटे हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है । ऐसी परिस्थितियों में विचारण न्यायालय ने सही रूप से हितबद्ध साक्षियों द्वारा प्रस्तुत अपुष्ट परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया ।

26. अभियोजन पक्ष के अनुसार एम. ओ. 4 कोयता तथा एम. ओ. 5 खुरपी वे हथियार हैं, जिनके द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता और उसके भाई पर हमला किया । तथापि, मुख्य परीक्षा के अनुक्रम में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3, जो कि वर्तमान मामले में आहत व्यक्ति हैं, ने इस तथ्य को विवादित किया है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा एम. ओ. 4 और एम. ओ. 5 के रूप में चिह्नित हथियारों का प्रयोग किया गया था । तथापि, अपराध में प्रयुक्त हथियारों की पहचान को स्थापित नहीं किया गया है और परिणामत: एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य, जो अभियुक्त व्यक्तियों को अभिकथित अपराध से जोड़ सकता था, स्थापित नहीं किया जा सका ।

27. विचारण न्यायलय द्वारा यह संप्रेक्षण भी किया गया है कि पूर्व में शिकायतकर्ता ने अभियुक्त सं. 3 और अभियुक्त सं. 4 के विरुद्ध विशेष मामला सं. 76/2010 के रूप में एक समान प्रकृति की शिकायत दर्ज की थी जिसमें उक्त अभियुक्तों को क्रमश: अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 के रूप में नामित किया गया था और विचारण के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त करते हुए उक्त मामले को खारिज कर दिया था ।

28. शिकायत की अंतर्वस्तु और अभि. सा. 1 तथा अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच उनके निवास स्थान के साथ लगे रिक्त स्थल के संबंध में एक विवाद विद्यमान है और उक्त विवाद दोनों पक्षकारों के बीच लड़ाई-झगड़े का मूल कारण है । आहत व्यक्तियों के रक्त से सने वस्त्रों की बरामदगी के साक्षियों ने भी जोर-शोर से अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है, उक्त साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि जिस समय वह घटनास्थल पर पहुंचा था, उस समय तक महाजर को पहले ही अभिलिखित किया जा चुका था और उसने उक्त महाजर पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे । विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि अभियुक्त सं. 1 और अभियुक्त सं. 2 द्वारा प्रयुक्त हथियार के संबंध में अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य मामले के मूल कारण के प्रतिकूल है । विचारण न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षण किया है कि इस बात में भी संदेह विद्यमान है कि क्या अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 को आई क्षतियां एम. ओ. 4 और एम. ओ. 5 के रूप में चिह्नित हथियारों से हमला करके कारित करना संभव है अथवा नहीं । अभियोजन के पक्षकथन के सकल मूल्यांकन पर विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सुसंगत संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है और इसका एकमात्र साधारण कारण यह नहीं है कि अभि. सा. 1, 3, 5 और 6 हितबद्ध साक्षी हैं तथा अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7, अभि. सा. 1 के मित्र हैं । विचारण न्यायालय ने उक्त आधारों के अलावा अन्य अनेक आधारों पर विचार करते हुए अभियोजन के पक्षकथन को खारिज किया है ।

29. इस संबंध में विद्वान् अपर विशेष लोक अभियोजक ने **बालेश्वर महतो और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किस प्रकार चिकित्सा संबंधी साक्ष्य का चाक्षुश साक्ष्य के संबंध में मूल्यांकन करना चाहिए और

[1] (2017) 3 एस. सी. सी. 152 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 873.

चिकित्सा संबंधी साक्ष्य तथा चाक्षुश साक्ष्य के बीच लघु अंतरों के विद्यमान होने से चाक्षुश साक्ष्य का महत्व कम नहीं हो जाता । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक कि चिकित्सा संबंधी साक्ष्य पूर्णत: ऐसी सभी संभावनाओं से इनकार न करे कि आहत व्यक्तियों को कारित की गई क्षतियां किसी भी रीति में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा कथित रीति में कारित नहीं की जा सकती, तब तक प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य की अनदेखी नहीं की जा सकती । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर आहत व्यक्तियों और साथ ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य को खारिज नहीं किया है कि आहत व्यक्तियों को कारित हुई क्षतियों के प्रकृति और चिकित्सा संबंधी साक्ष्य ने कतिपय विसंगतियां विद्यमान हैं, अपितु, विचारण न्यायालय ने इस संबंध में अन्य अनेक कारणों को लेखबद्ध किया है । अत:, अभियोजन पक्ष इस निर्णय को सुगमता से प्रश्नगत नहीं कर सकता ।

30. हमने अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के अभिलेख पर रखे गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया है और साथ ही विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विचारण न्यायालय ने सही रूप से अभियोजन के पक्षकथन को खारिज किया है और साथ ही विचारण न्यायालय ने सही रूप से अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3, जो वर्तमान मामले में आहत व्यक्ति हैं, द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य और साथ ही अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6, जो अभि. सा. 1 के नातेदार हैं और अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि की ईप्सा की है । हमें विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई भी प्रतिकूल बात प्रतीत नहीं होती है और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान अपील असफल होती है और उसे खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

बलजिन्दर सिंह उर्फ **काका**

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

(2021 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 495)

तारीख 27 अप्रैल, 2021

न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 311 – अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाना कि उसने एक लोहे की छड़ से लैस होकर शिकायतकर्ता के घर बलपूर्वक प्रवेश किया और उसका उत्पीड़न करने का प्रयास किया और साथ ही उसने शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारा और उसे तथा उसकी सास पर प्रहार करके उन्हें क्षतियां कारित कीं – विचारण के दौरान शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के पश्चात् के प्रक्रम पर प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह प्रतिवाद किया जाना कि चूंकि वर्तमान मामले में कतिपय नए तथ्य सामने आए हैं और उनको ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता तथा अन्वेषण अधिकारी की पुन: परीक्षा की अनुमति प्रदान की जाए – विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिरक्षा पक्ष के उक्त अनुरोध से इनकार किया जाना – प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि चूंकि प्रतिरक्षा पक्ष को पहले ही शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की गहन प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया जा चुका है अत: उन्हें परीक्षा हेतु पुन: न्यायालय के समक्ष बुलाया जाना अपेक्षित नहीं है और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा साक्षियों से कतिपय प्रश्न पूछने में असफल रहना साक्षियों को परीक्षा हेतु पुन: बुलाने का आधार नहीं हो सकता, अत: याचिका खारिज की गई ।

वर्तमान याचिका का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस

प्रकार हैं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 452, 324 और 323 के अधीन पुलिस थाना धनौला, जिला बरनाला में तारीख 9 जून, 2019 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 87 दर्ज की गई थी और उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को हरप्रीत कौर के कथन के आधार पर रजिस्टर किया गया था । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया था कि वह नौकरानी के रूप में कार्य कर रही थी । उसके पति की मृत्यु वर्ष 2013 में ही हो गई थी । तारीख 8 जून, 2019 को सायं लगभग 6.00 बजे बलजिन्दर सिंह **उर्फ** काका, पुत्र बूटा सिंह शिकायतकर्ता के निवास स्थान के समीप आया । उस समय उसकी सास, जो गली में खड़ी थी, ने अभियुक्त द्वारा इस प्रकार गली के चक्कर लगाने के प्रति आक्षेप किया । तदुपरांत, अभियुक्त व्यक्ति बलपूर्वक शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश कर गया और उस समय उसके हाथ में एक लोहे की छड़ (सबल) थी । उसने शिकायतकर्ता को एक थप्पड़ मारा और उसे उत्पीड़ित करने का प्रयास किया । जब शिकायतकर्ता की सास ने उसे बचाने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने उस पर भी प्रहार किया तथा धक्का मार के उसे भूमि पर गिरा था । उसके पश्चात् अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की बाईं टांग पर प्रहार किया तथा उसकी दाईं टांग के अग्र भाग और उसके घुटने पर भी प्रहार किया । इस हमले के पश्चात् उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनौला ले जाया गया जहां से उसे सिविल अस्पताल, बरनाला को निर्दिष्ट किया गया । विचारण के दौरान अन्वेषण अधिकारी के कथन को लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने यह कहा कि उसके द्वारा स्थल नक्शा तैयार किया गया था तथा अभियुक्त की निशानदेही पर एक सबल (लोहे की छड़) को भी बरामद किया गया था । चिकित्सीय विधिक रिपोर्ट में क्षति सं. 1 को घोर उपहति की प्रकृति की क्षति के रूप में घोषित किया गया । उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रतिरक्षा पक्ष ने यह स्थापित करने के लिए कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच कोई पूर्वतर शत्रुता विद्यमान थी, उसके समक्ष कतिपय प्रश्न रखे । इसके अतिरिक्त उसके समक्ष यह सुझाव भी प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता एक भू-खंड की मांग कर रही थी और उसने अपनी सास की मौनानुकूलता के साथ अभियुक्त को मिथ्या रूप से वर्तमान मामले

में फंसाया है । शिकायतकर्ता ने अपने कथन में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के माध्यम से लगाए गए आरोपों का समर्थन किया । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके समक्ष प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का नाम वर्तमान मामले में केवल इसलिए दिया गया है कि उसकी कृषि भूमि से एक भू-खंड उद्घापित किया जा सके । प्रतिरक्षा पक्ष ने बूटा सिंह (अभियुक्त के पिता) की परीक्षा की, जिसने यह अभिकथन किया कि उसने अभियुक्त और शिकायतकर्ता के विरुद्ध आरोप लगाते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था । यह कथन किया गया था कि उक्त आवेदन के अनुसार उसकी अलमारी से कतिपय नकद धनराशि और कुछ जेवरात गायब पाए गऐ थे । उसके पश्चात् उसे यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि शिकायतकर्ता ने उसके पुत्र को बहला-फुसलाकर उसके माध्यम से उक्त जेवरात और नकद धन प्राप्त किया था । यह भी कथन किया गया था कि अभियुक्त मादक पदार्थों के सेवन का आदी था और उसे एक नशा-मुक्ति केन्द्र में भी दाखिल किया गया था । उक्त नकद धनराशि से एक पुरानी स्कूटी का क्रय किया गया था । अन्वेषण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि ऊपर उल्लिखित जेवरात को बंधक रखा गया था । इसके अतिरिक्त, बूटा सिंह की शिकायत के संबंध में एक पंचायती समझौते को प्रभावी किया गया था । बूटा सिंह की परीक्षा के आधार पर प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की आगे और प्रतिपरीक्षा किए जाने की ईप्सा की गई । विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस अनुरोध को अपने तारीख 19 मार्च, 2021 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया । इससे व्यथित होकर अभियुक्त ने उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, दो पृथक् घटनाएं अंतर्वलित हैं । बूटा सिंह नामक व्यक्ति द्वारा तारीख 1 फरवरी, 2020 को इस प्रभाव की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसकी अलमारी से कतिपय स्वर्ण के जेवरात और 30,000/- रुपए की नकद राशि गायब है । उक्त आरोप शिकायतकर्ता और अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए थे । उक्त

मामले में तारीख 18 मार्च, 2020 को पंचायती स्तर पर एक समझौता किया गया था । समझौते के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों ने मिलकर 50,000/- रुपए में एक स्वर्णकार के पास ऊपर कथित जेवरात गिरवी रखे थे । यह कथन किया गया था कि बूटा सिंह स्वर्ण सेटों का सत्यापन करेगा और उसके पश्चात् स्वर्णकार को 50,000/- रुपए के संदाय पर उसके द्वारा जेवरातों को लौटा दिया जाएगा । समझौते के अनुसार शिकायतकर्ता और अभियुक्त मौखिक रूप से आमने-सामने या टेलीफोन पर परस्पर कोई वार्तालाप नहीं करेंगे । अन्य घटना तारीख 19 मार्च, 2021 को गठित हुई जो कि वर्तमान मामले में सुसंगत है और जिसके आधार पर वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई है । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त ने बलपूर्वक शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश किया तथा उसका उत्पीड़न करने का प्रयास किया और साथ ही उसने शिकायतकर्ता और उसकी सास को क्षतियां भी कारित कीं । ये दोनों घटनाएं एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं । वर्तमान मामले में दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभियुक्त के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से पहले के समय की है । इस प्रकार इन दो मामलों में कोई परस्पर संबंध प्रतीत नहीं होता है । शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की प्रतिपरीक्षा से यह तथ्य सामने आता है कि प्रतिरक्षा पक्ष इस प्रतिरक्षा का अवलंब लेने का प्रयास कर रहा था कि अभियुक्त को, उसकी भूमि या धन का उद्दापन करने के लिए वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । बूटा सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसका पुत्र, अर्थात् अभियुक्त मादक पदार्थों के सेवन का आदी है और उसे शिकायतकर्ता द्वारा बहलाया-फुसलाया गया था और इसके परिणामस्वरूप उसने अपने ही घर से कुछ नकदी और स्वर्ण के जेवरात चुरा लिए । अंततः, उक्त मामले में एक समझौता प्रभावी किया गया । उक्त समझौते की अंतर्वस्तु किसी भी रूप में इन दो घटनाओं के बीच किसी संबंध की ओर संकेत नहीं करती । याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन आवेदनों के संबंध में कार्यवाही करते समय नमनीय मत लिया जाना चाहिए । किन्तु यह कोई नेमी मामला नहीं है कि न्यायालय को साक्ष्यों की पुनः परीक्षा किए जाने का

आदेश जारी करना पड़ा । केवल एक निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने के लिए न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग न्यायपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए । जहां कहीं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सुदृढ़ और विधिमान्य कारण मौजूद हैं कि मामले में उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए साक्षियों की पुन: परीक्षा करना या नए साक्ष्य को अभिलेख पर रखने की आवश्यकता है, वहां न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन इस विवेकाधिकार का प्रयोग करने हेतु सशक्त हैं । वर्तमान मामले में, याची दोनों घटनाओं को परस्पर संबद्ध करने में असफल रहा है । शिकायतकर्ता और उसके पुत्र के विरुद्ध शिकायत, जिसके संबंध में पक्षकारों के बीच परस्पर समझौता हो गया था, के संबंध में बूटा सिंह के अभिसाक्ष्य के आधार पर आगे और प्रतिपरीक्षा के लिए शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी को समन नहीं किया जा सकता । इस प्रक्रम पर यह संगत रूप से उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा के समय शिकायतकर्ता के समक्ष अभियुक्त को मिथ्या मामले में फंसाए जाने संबंधी सुझाव प्रस्तुत किया गया था । शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा से इस प्रकार का कोई संकेत सामने नहीं आता है जिससे अभियुक्त व्यक्ति से धन के उद्दापन के दृष्टिकोण को बल मिले । यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा तारीख 19 मार्च, 2021, अर्थात् उस समय की गई थी जब अभियुक्त के पिता द्वारा शिकायत दर्ज करा दी गई थी, जिसका तात्पर्य यह है कि तारीख 19 मार्च, 2021 को उक्त तथ्य प्रतिरक्षा पक्ष के संज्ञान में था । अत:, आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह सही रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के लिए पुन: अवसर प्रदान करना उचित नहीं है क्योंकि उसकी पहले ही गहन प्रतिपरीक्षा की जा चुकी है और यदि प्रतिरक्षा पक्ष उसके समक्ष कतिपय प्रश्न रखने में असफल रहा था तो यह साक्षियों को पुन: न्यायालय के समक्ष बुलाने के लिए आधार नहीं बन सकता । इस प्रकार, आक्षेपित आदेश में कोई अविधिपूर्ण बात नहीं है और इसलिए उसकी पुष्टि की जाती है तथा याचिका को खारिज किया जाता है । (पैरा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 14 एस. सी. सी. 451 =
ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3081 :
राजाराम प्रसाद यादव बनाम
बिहार राज्य और अन्य । 12, 20

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2021 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 495.

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका सेशन न्यायाधीश, बरनाला द्वारा तारीख 19 मार्च, 2021 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

याची की ओर से श्री जिम्मी सिंगला, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री मोनिका जलोटा, उप महाधिवक्ता, पंजाब

न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन – वर्तमान मामले को कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के कारण वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हेतु लिया गया है ।

2. वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका सेशन न्यायाधीश, बरनाला द्वारा तारीख 19 मार्च, 2021 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 311 के अधीन न्यायालय से यह अनुरोध किया गया था कि दांडिक मामले के अन्वेषण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक श्री गुरमीत सिंह की आगे और प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति प्रदान की जाए किन्तु विद्वान् विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता के उक्त अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था ।

3. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 452, 324 और 323 के अधीन पुलिस

थाना धनौला, जिला बरनाला में तारीख 9 जून, 2019 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 87 दर्ज की गई थी और उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को हरप्रीत कौर के कथन के आधार पर रजिस्टर किया गया था । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया था कि वह नौकरानी के रूप में कार्य कर रही थी । उसके पति की मृत्यु वर्ष 2013 में ही हो गई थी । तारीख 8 जून, 2019 को सायं लगभग 6.00 बजे बलजिन्दर सिंह **उर्फ** काका, पुत्र बूटा सिंह शिकायतकर्ता के निवास स्थान के समीप आया । उस समय उसकी सास, जो गली में खड़ी थी, ने अभियुक्त द्वारा इस प्रकार गली के चक्कर लगाने के प्रति आक्षेप किया । तदुपरांत, अभियुक्त व्यक्ति बलपूर्वक शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश कर गया और उस समय उसके हाथ में एक लोहे की छड़ (सबल) थी । उसने शिकायतकर्ता को एक थप्पड़ मारा और उसे उत्पीड़ित करने का प्रयास किया । जब शिकायतकर्ता की सास ने उसे बचाने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने उस पर भी प्रहार किया तथा धक्का मार के उसे भूमि पर गिरा दिया था । उसके पश्चात् अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की बाईं टांग पर प्रहार किया तथा उसकी दाईं टांग के अग्र भाग और उसके घुटने पर भी प्रहार किया । इस हमले के पश्चात् उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनौला ले जाया गया जहां से उसे सिविल अस्पताल, बरनाला को निर्दिष्ट किया गया ।

4. विचारण के दौरान अन्वेषण अधिकारी के कथन को लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने यह कहा कि उसके द्वारा स्थल नक्शा तैयार किया गया था तथा अभियुक्त की निशानदेही पर एक सबल (लोहे की छड़) को भी बरामद किया गया था । चिकित्सीय विधिक रिपोर्ट (एमएलआर) में क्षति सं. 1 को घोर उपहति की प्रकृति की क्षति के रूप में घोषित किया गया । उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रतिरक्षा पक्ष ने यह स्थापित करने के लिए कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच कोई पूर्वतर शत्रुता विद्यमान थी, उसके समक्ष कतिपय प्रश्न रखे । इसके अतिरिक्त उसके समक्ष यह सुझाव भी प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता एक भू-खंड की मांग कर रही थी और उसने अपनी सास

की मौनानुकूलता के साथ अभियुक्त को मिथ्या रूप से वर्तमान मामले में फंसाया है ।

5. शिकायतकर्ता ने अपने कथन में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के माध्यम से लगाए गए आरोपों का समर्थन किया । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके समक्ष प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का नाम वर्तमान मामले में केवल इसलिए दिया गया है कि उसकी कृषि भूमि से एक भू-खंड उद्घापित किया जा सके ।

6. प्रतिरक्षा पक्ष ने बूटा सिंह (अभियुक्त के पिता) की परीक्षा की, जिसने यह अभिकथन किया कि उसने अभियुक्त और शिकायतकर्ता के विरुद्ध आरोप लगाते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था । यह कथन किया गया था कि उक्त आवेदन के अनुसार उसकी अलमारी से कतिपय नकद धनराशि और कुछ जेवरात गायब पाए गऐ थे । उसके पश्चात् उसे यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि शिकायतकर्ता ने उसके पुत्र को बहला-फुसलाकर उसके माध्यम से उक्त जेवरात और नकद धन प्राप्त किया था । यह भी कथन किया गया था कि अभियुक्त मादक पदार्थों के सेवन का आदी था और उसे एक नशा-मुक्ति केन्द्र में भी दाखिल किया गया था । उक्त नकद धनराशि से एक पुरानी स्कूटी का क्रय किया गया था । अन्वेषण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि ऊपर उल्लिखित जेवरात को बंधक रखा गया था । इसके अतिरिक्त, बूटा सिंह की शिकायत के संबंध में एक पंचायती समझौते को प्रभावी किया गया था ।

7. बूटा सिंह की परीक्षा के आधार पर प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की आगे और प्रतिपरीक्षा किए जाने की ईप्सा की गई ।

8. याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री जिम्मी सिंगला ने यह प्रतिवाद किया है कि बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से कतिपय नए तथ्य सामने आए हैं और इसलिए प्रतिरक्षा पक्ष के लिए यह आवश्यक था कि वह शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की आगे और प्रतिपरीक्षा करे । इस प्रतिवाद को भी उठाया

गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन आवेदन पर विचार करते समय नमनीय मत बनाया जाना चाहिए ।

9. दूसरी ओर, सुश्री मोनिका जलोटा, उप महाधिवक्ता, पंजाब ने विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया है । मुख्य प्रतिवाद के रूप में यह कथन किया गया है कि ऐसे कोई नए तथ्य सामने नहीं आए हैं जिनके लिए आगे और प्रतिपरीक्षा किया जाना अपेक्षित हो ।

10. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 को नीचे उद्धृत किया गया है :–

> "311. **आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति –** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि, वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुन: बुला सकता है और उसकी पुन: परीक्षा कर सकता है ; और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुन: बुलाएगा और उसकी पुन: परीक्षा करेगा ।"

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 न्यायालयों को उस समय किसी व्यक्ति को पुन: बुलाने या उसकी पुन: परीक्षा करने हेतु सशक्त करती है, यदि, मामले के सही निर्णय के लिए उसका साक्ष्य अनिवार्य प्रतीत होता है ।

12. उच्चतम न्यायालय ने **राजाराम प्रसाद यादव** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में ऐसे सिद्धांतों को उल्लिखित किया है,

---

[1] (2013) 14 एस. सी. सी. 451 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3081.

जिन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 138 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करते समय विचार में लेना चाहिए । निर्णय के सुसंगत भाग को नीचे उद्धृत किया गया है :–

"23. उपरोक्त निर्णयों पर दिग्दर्शित रूप से विचार करने के पश्चात् हमें यह प्रतीत होता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 138 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करते समय न्यायालयों को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए –

(क) क्या न्यायालय द्वारा यह सोचना सही है कि उसे नए साक्ष्य की आवश्यकता है ? क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए ईप्सित साक्ष्य को न्यायालय को इस रूप में उल्लिखित किया गया है कि वह किसी मामले में उचित निर्णय के लिए अपेक्षित है ?

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन व्यापक वैवेकिक शक्ति के प्रयोग से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि न्यायालय द्वारा निर्णय तथ्यों के अस्पष्ट, अनिर्णायक और अनुमानित प्रस्तुतीकरण पर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर न्याय की हार होगी ।

(ग) यदि न्यायालय को किसी साक्षी का साक्ष्य किसी मामले में निष्पक्ष और उचित निर्णय हेतु आवश्यक प्रतीत होता है तो न्यायालय के पास ऐसे किसी व्यक्ति को समन करने और उसकी परीक्षा करने या उसे न्यायालय के समक्ष पुन: बुलाने और उसकी पुन: परीक्षा करने की शक्ति विद्यमान है ।

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन शक्ति के प्रयोग का अवलंब केवल सत्य का पता लगाने या ऐसे तथ्यों के लिए समुचित सबूत अभिप्राप्त करने हेतु लिया

जाना चाहिए, जिनके परिणामस्वरूप किसी मामले में निष्पक्ष और सही निर्णय दिया जा सके ।

(ङ) उक्त शक्ति का प्रयोग तब तक अभियोजन के पक्षकथन में किसी कमी को दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस बात को स्पष्ट न करे दें कि न्यायालय द्वारा उक्त शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप अभियुक्त पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसके कारण न्याय की हानि हो सकती है ।

(च) उक्त व्यापक वैवेकिक शक्ति का प्रयोग न्यायपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए और न कि स्वछन्द रूप से ।

(छ) न्यायालय का यह समाधान हो जाना चाहिए कि ऐसे किसी साक्षी की परीक्षा करना या उसकी आगे और परीक्षा हेतु उसे पुन: बुलाना मामले के उचित और निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने हेतु अनिवार्य है ।

(ज) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के उद्देश्य समान रूप से न्यायालय पर यह कर्तव्य अधिरोपित करते हैं कि वह एक निष्पक्ष निर्णय उद्घोषित करने के लिए किसी भी रूप में सत्य को अवधारित करे ।

(झ) न्यायालय को इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक है क्योंकि यदि ऐसे साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाता है तो इससे न्याय असफल हो जाएगा और न कि इस आधार पर कि ऐसे साक्ष्य के बिना निर्णय उद्घोषित करना असंभव है ।

(ञ) इस वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए परिस्थिति की अत्यावश्यकता, निष्पक्षता और उत्तम बोध सुरक्षोपाय के रूप में कार्य करते हैं । न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विचारण के दौरान किसी भी पक्ष को अपनी त्रुटियां ठीक करने से वंचित नहीं किया जा सकता

और यदि किसी अनवधानी के कारण न्यायालय के अभिलेख पर समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है या कोई सुसंगत सामग्री नहीं रखी गई है तो न्यायालय को उदारतापूर्वक ऐसी गलतियों को सही करने का अवसर प्रदान करना चाहिए ।

(ट) न्यायालय को इस स्थिति के प्रति सचेत होना चाहिए कि अंततोगत्वा विचारण मुख्य रूप से कारागार में बंद कैदी के लिए किया जा रहा है और न्यायालय को यथासंभव निष्पक्ष रीति से उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए । इस तर्कसंगतता में अभियुक्त के पक्ष में, उसे एक अवसर प्रदान करके त्रुटि करना सुरक्षित होगा बजाय इसके कि अभियोजन पक्ष की, अभियुक्त की कीमत पर संभाव्य प्रतिकूलता के प्रति संरक्षा की जाए । न्यायालय को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि इस वैवेकिक शक्ति का अनुचित या बिना सोचे समझे किए गए प्रयोग से अवांछनीय परिणाम प्राप्त होंगे ।

(ठ) अतिरिक्त साक्ष्य किसी पक्ष के विरुद्ध मामले की प्रकृति को परिवर्तित करने या छदमवेश में प्राप्त नहीं करना चाहिए ।

(ड) इस शक्ति का प्रयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि संभाव्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाला साक्ष्य मामले में अंतर्वलित विवाद्यक से सुसंगत होगा और साथ ही अन्य पक्षकार को ऐसे किसी साक्ष्य का विरोध करने का अवसर भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(ढ) अतः, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन शक्ति का अवलंब न्यायालय द्वारा केवल सुदृढ़ और विधिमान्य कारणों से न्याय के हित में किया जाना चाहिए और उक्त शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी, बुद्धिमत्ता और बोधगम्यता के साथ किया जाना चाहिए । न्यायालय को सदैव यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि निष्पक्ष विचारण

> अभियुक्त, पीड़ित और साधारण रूप से समाज के हित के प्रति योगदान करता है और सभी संबद्ध व्यक्तियों को निष्पक्ष और उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो कि एक सांविधानिक उद्देश्य है और साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है ।"

13. वर्तमान मामले में, दो पृथक् घटनाएं अंतर्वलित हैं । बूटा सिंह नामक व्यक्ति द्वारा तारीख 1 फरवरी, 2020 को इस प्रभाव की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसकी अलमारी से कतिपय स्वर्ण के जेवरात और 30,000/- रुपए की नकद राशि गायब है । उक्त आरोप शिकायतकर्ता और अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए थे । उक्त मामले में तारीख 18 मार्च, 2020 को पंचायती स्तर पर एक समझौता किया गया था ।

14. समझौते के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों ने मिलकर 50,000/- रुपए में एक स्वर्णकार के पास ऊपर कथित जेवरात गिरवी रखे थे । यह कथन किया गया था कि बूटा सिंह स्वर्ण सेटों का सत्यापन करेगा और उसके पश्चात् स्वर्णकार को 50,000/- रुपए के संदाय पर उसके द्वारा जेवरातों को लौटा दिया जाएगा । समझौते के अनुसार शिकायतकर्ता और अभियुक्त मौखिक रूप से आमने-सामने या टेलीफोन पर परस्पर कोई वार्तालाप नहीं करेंगे ।

15. अन्य घटना तारीख 19 मार्च, 2021 को गठित हुई जो कि वर्तमान मामले में सुसंगत है और जिसके आधार पर वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई है ।

16. अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त ने बलपूर्वक शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश किया तथा उसका उत्पीड़न करने का प्रयास किया और साथ ही उसने शिकायतकर्ता और उसकी सास को क्षतियां भी कारित कीं ।

17. ये दोनों घटनाएं एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं । वर्तमान मामले में दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभियुक्त के पिता द्वारा दर्ज कराई

गई शिकायत से पहले के समय की है । इस प्रकार इन दो मामलों में कोई परस्पर संबंध प्रतीत नहीं होता है ।

18. शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी की प्रतिपरीक्षा से यह तथ्य सामने आता है कि प्रतिरक्षा पक्ष इस प्रतिरक्षा का अवलंब लेने का प्रयास कर रहा था कि अभियुक्त को, उसकी भूमि या धन का उद्दापन करने के लिए वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

19. बूटा सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार उसका पुत्र, अर्थात् अभियुक्त मादक पदार्थों के सेवन का आदी है और उसे शिकायतकर्ता द्वारा बहलाया-फुसलाया गया था और इसके परिणामस्वरूप उसने अपने ही घर से कुछ नकदी और स्वर्ण के जेवरात चुरा लिए । अंततः, उक्त मामले में एक समझौता प्रभावी किया गया । उक्त समझौते की अंतर्वस्तु किसी भी रूप में इन दो घटनाओं के बीच किसी संबंध की ओर संकेत नहीं करती ।

20. याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन आवेदनों के संबंध में कार्यवाही करते समय नमनीय मत लिया जाना चाहिए और अपने इस परिवाद के समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने **राजा राम प्रसाद यादव** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित सिद्धांतों का अवलंब लिया था ।

21. यह कोई नेमी मामला नहीं है कि न्यायालय को साक्ष्यों की पुनः परीक्षा किए जाने का आदेश जारी करना पड़ा । केवल एक निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने के लिए न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग न्यायपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए ।

22. जहां कहीं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सुदृढ़ और विधिमान्य कारण मौजूद हैं कि मामले में उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए साक्षियों की पुनः परीक्षा करना या नए साक्ष्य को अभिलेख पर रखने की आवश्यकता है, वहां न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन इस विवेकाधिकार का प्रयोग करने हेतु सशक्त हैं ।

23. वर्तमान मामले में, याची दोनों घटनाओं को परस्पर संबद्ध करने में असफल रहा है । शिकायतकर्ता और उसके पुत्र के विरुद्ध शिकायत, जिसके संबंध में पक्षकारों के बीच परस्पर समझौता हो गया था, के संबंध में बूटा सिंह के अभिसाक्ष्य के आधार पर आगे और प्रतिपरीक्षा के लिए शिकायतकर्ता और अन्वेषण अधिकारी को समन नहीं किया जा सकता ।

24. इस प्रक्रम पर यह संगत रूप से उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा के समय शिकायतकर्ता के समक्ष अभियुक्त को मिथ्या मामले में फंसाए जाने संबंधी सुझाव प्रस्तुत किया गया था । शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा से इस प्रकार का कोई संकेत सामने नहीं आता है जिससे अभियुक्त व्यक्ति से धन के उद्दापन के दृष्टिकोण को बल मिले । यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा तारीख 19 मार्च, 2021, अर्थात् उस समय की गई थी जब अभियुक्त के पिता द्वारा शिकायत दर्ज करा दी गई थी, जिसका तात्पर्य यह है कि तारीख 19 मार्च, 2021 को उक्त तथ्य प्रतिरक्षा पक्ष के संज्ञान में था ।

25. अत:, आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह सही रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के लिए पुन: अवसर प्रदान करना उचित नहीं है क्योंकि उसकी पहले ही गहन प्रतिपरीक्षा की जा चुकी है और यदि प्रतिरक्षा पक्ष उसके समक्ष कतिपय प्रश्न रखने में असफल रहा था तो यह साक्षियों को पुन: न्यायालय के समक्ष बुलाने के लिए आधार नहीं बन सकता ।

26. इस प्रकार, आक्षेपित आदेश में कोई अविधिपूर्ण बात नहीं है और इसलिए उसकी पुष्टि की जाती है तथा याचिका को खारिज किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

रामाशीष महतो

बनाम

बिहार राज्य

[2015 की दांडिक अपील (खंडपीठ) सं. 284]

तारीख 22 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविन्द श्रीवास्तव

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख और धारा 498क – अपीलार्थी और उसके माता-पिता पर दहेज की मांग करने और दहेज की मांग को पूरा न करने पर पीड़िता के प्रति क्रूरता बरतने और उसे तंग करने तथा दहेज मृत्यु कारित करने का आरोप लगाया जाना – अभियुक्तों के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया जाना कि उन्होंने दहेज की मांग पूरा न किए जाने पर पीड़िता को विष देकर उसकी हत्या कर दी – पीड़िता के पढ़े-लिखे होने के बावजूद उसके द्वारा दहेज की मांग किए जाने और उसके साथ क्रूरता किए जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई पत्र न लिखा जाना – अन्य साक्षियों द्वारा भी इस प्रभाव के अस्पष्ट आरोप लगाया जाना कि पीड़िता के ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा दहेज की मांग की गई थी – विसरा को परिरक्षित किए जाने के बावजूद उसकी रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष न रखा जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता को प्राथमिक उपचार देने वाले डाक्टर की परीक्षा करने में असफल रहना, जो पीड़िता की बीमारी के संबंध में प्राथमिक जानकारी उपलब्ध करा सकता था – शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा यह राय अभिव्यक्त किया जाना कि वर्तमान मामले में मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता – शव-परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया जाना कि मिरगी के दौरे की दशा में मुख से झाग आ सकता है – विचारण न्यायालय द्वारा समान साक्ष्य के आधार पर सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – इस प्रकार धारा 304ख और धारा 498क के

अनिवार्य घटकों का स्थापित न होना – उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके विरुद्ध पारित दंडादेश उचित प्रतीत नहीं होता और इस प्रकार अपीलार्थी सह-अभियुक्तों की भांति दोषमुक्ति के लिए हकदार है ।

वर्तमान अपील का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि बैज नाथ महतो के फर्द बयान, जिसे तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि लगभग् 8.00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में मदनपुर पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक-सह-प्रभारी अधिकारी श्री एस. एन. सिंह द्वारा लेखबद्ध किया गया था, के आधार पर एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जिससे सेशन विचारण सं. 2011 का 275/2014 का 70 को संस्थित किया गया । अपने फर्द बयान में बैज नाथ महतो ने यह कथन किया कि उसकी पुत्री स्वीटी देवी का विवाह मार्च, 2009 में अनुष्ठापित हुआ था । विवाह के समय उसने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपीलार्थी को उपहार दिए थे किन्तु अपीलार्थी और उसका कुटुम्ब उक्त उपहारों से संतुष्ट नहीं था और अपीलार्थी, उसका पिता और उसकी माता प्राय: उसकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़ित करते थे तथा उस पर शारीरिक रूप से हमला भी करते थे । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 12.00 बजे उसे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि उसकी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था । उसने यह अनुरोध किया कि वह अपनी पुत्री से मिलना चाहता है । फोन कॉल प्राप्त होने के पश्चात् वह अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ अपनी पुत्री के वैवाहिक घर गया । जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुत्री एक चारपाई पर बेहोश पड़ी थी और उसका पति, उसकी सास और ससुर द्वार के बाहर बैठे थे । उसके द्वारा अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने के कारण के संबंध में पूछताछ करने पर अपीलार्थी और उसकी माता-पिता ने उसके साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया और उसके पश्चात् वह मदनपुर पुलिस थाने गया तथा इस संबंध में पुलिस को सूचित किया । उसकी सूचना के आधार पर पुलिस उसकी पुत्री के वैवाहिक घर गई तथा वहां से उसकी पुत्री को

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मदनपुर ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उसकी पुत्री के पति रामाशीष महतो, उसकी सास सरस्वती देवी तथा ससुर बैज नाथ महतो ने उसकी पुत्री को विष देकर मार डाला । इत्तिलाकर्ता बैज नाथ महतो के फर्द बयान को अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संस्थित करने हेतु मदनपुर पुलिस थाने भेजा गया और मदनपुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी सतेन्द्र नारायण सिंह ने स्वयं इस मामले का अन्वेषण करने का विनिश्चय किया । इत्तिलाकर्ता के फर्द बयान को प्राप्त करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 328 और 304ख के अधीन मदनपुर पुलिस थाने में तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 12.00 बजे पुलिस उप निरीक्षक, अर्थात् राम सेवक प्रसाद सिंह द्वारा एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो मदनपुर पुलिस थाना मामला सं. 147/2010 के रूप में है । अभिलेख के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि फर्द बयान को लेखबद्ध करने से पूर्व तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 7.00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में एक मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संस्थित करने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने मृतका के शव को शव-परीक्षा हेतु औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा । सदर अस्पताल, औरंगाबाद में एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया, जिसने संयुक्त रूप से मृतका के शव की शव-परीक्षा की । शव-परीक्षा रिपोर्ट के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि चिकित्सा बोर्ड मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित करने में असफल रहा था । बोर्ड ने विसरा को परिरक्षित किया और उसे रासायनिक परीक्षा हेतु पुलिस को सौंप दिया । न्यायालय के अभिलेख से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष प्रश्नगत विसरा के संबंध में विशेषज्ञ राय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है । अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, साक्षियों के कथन को लेखबद्ध किया, अस्पताल से शव-परीक्षा रिपोर्ट को प्राप्त किया तथा अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के

अधीन पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिकारिता रखने वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया और अभियुक्त व्यक्तियों को विचारण का सामना करने हेतु समन भेजे । यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् अधिकारिता रखने वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट ने यह मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने मामले के अभिलेख को अपर सेशन न्यायाधीश-III, औरंगाबाद के न्यायालय को अंतरित किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी रामाशीष महतो, उसके पिता बैज नाथ महतो और उसकी माता सरस्वती देवी को दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन उन पर लगाए गए आरोपों को स्पष्ट किया, जिसके संबंध में अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा प्रस्तुत किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने पीड़िता के सास-सुसर, अर्थात् सह-अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया तथा उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । उक्त निर्णय और दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड संहिता की धारा 304ख के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर प्राकृतिक परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके प्रति क्रूरता की गई थी तो ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार को उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा । दंड संहिता की धारा 304ख में उपबंधित दहेज की मृत्यु की परिभाषा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के अनुसार, अन्य बातों के साथ, अनिवार्य घटक ये हैं कि किसी स्त्री की मृत्यु दाह

या शारीरिक क्षति के कारण या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों के अधीन होनी चाहिए । अन्य शब्दों में, अभियोजन पक्ष को किसी स्त्री की मृत्यु को सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों के अधीन पद के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए प्राकृतिक या दुर्घटनावश की मृत्यु की सभी संभावनाओं को दूर करना होगा । इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जब न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य का विश्लेषण किया जाता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतका के पति ने स्वयं इत्तिलाकर्ता को सर्वप्रथम टेलीफोन के माध्यम से मृतका की बीमारी के संबंध में सूचना दी थी और यह अनुरोध किया था कि वह आकर अपनी बीमार पुत्री से मिल ले । जिस समय इत्तिलाकर्ता अपनी पत्नी, पुत्र और अन्य व्यक्तियों के साथ मृतक के वैवाहिक घर पहुंचा तो उस समय तक उसकी पुत्री जीवित थी । उस समय मृतका का पति और उसके माता-पिता भी उक्त घर में मौजूद थे । इत्तिलाकर्ता और साक्षियों द्वारा यह कथन किया गया है कि बीमारी के कारण के बारे में पूछताछ किए जाने पर अपीलार्थी और उसके कुटुम्ब के सदस्यों ने उनके साथ झगड़ा करना आरंभ कर दिया । उसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ पुलिस थाने गया और उसने इस संपूर्ण घटना का उल्लेख पुलिस के समक्ष किया । इत्तिलाकर्ता को यह संदेह था कि उसकी पुत्री को विष दिया गया है और अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि उन्होंने पुलिस थाने में पुलिस के समक्ष अपने-अपने कथन प्रस्तुत किए थे और वे दोनों इत्तिलाकर्ता के साथ पुलिस थाने गए थे । यदि साक्षी सत्य बोल रहे हैं तो पुलिस थाने में पुलिस को दी गई सूचना निश्चित रूप से एक संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने से संबंधित थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 इस बात को आज्ञापक बनाती है कि जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने के संबंध में मौखिक रूप से कोई सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस को अवश्य ही उसे लेखबद्ध करना चाहिए । अन्यथा भी, यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो यदि ऐसी जानकारी

कूटरचित नहीं है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है तो वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करे । यह सुस्थापित है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि उसी के आधार पर दांडिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया को आरंभ किया जाता है । किसी पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर किए जाने के पश्चात् ही पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण आंरभ किया जाता है । इत्तिलाकर्ता और साथ ही अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा एक संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने के संबंध में पुलिस थाने में दी गई प्रारंभिक सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं माना गया है । इसी प्रकार, घटना के दिन पुलिस थाने पर किए गए उनके कथनों को स्टेशन डायरी या मामला डायरी में प्रविष्ट नहीं किया गया है । इस प्रकार इस संबंध में रहस्य विद्यमान है कि इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ । इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जब साक्ष्य की आगे और समीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इत्तिलाकर्ता के मौखिक कथन को तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 8.00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में लेखबद्ध किया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि सर्वप्रथम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई थी और उसके पश्चात् मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट को तैयार किया गया था । तथापि, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तारीख 9 जुलाई, 2010 को सायं 7.00 बजे, अर्थात् फर्द बयान लेखबद्ध किए जाने से एक घंटा पूर्व तैयार की गई थी । यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर इत्तिलाकर्ता बैज नाथ महतो और अभि. सा. 3 रविन्द्र महतो के हस्ताक्षर मौजूद हैं । स्पष्ट रूप से, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व तैयार की गई थी । उसके पश्चात्, तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 8.00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में बैज नाथ महतो के मौखिक कथन को लेखबद्ध किया गया जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना गया । अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य, फर्द बयान और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में विद्यमान विसंगतियां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की सत्यता और विश्वसनीयता के संबंध में संदेह

उत्पन्न करती हैं । अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने सही रूप से यह दलील प्रस्तुत की है कि वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है विशेष रूप से इसलिए कि उसके प्राथमिक पाठ को न्यायालय से छिपाया गया है । अब इस बात की समीक्षा की जाएगी कि क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतका की मृत्यु अप्राकृतिक थी । यह पाया गया है कि मृतका की मृत्यु के संबंध में नितांत रूप से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि मृतका को विष दिया गया था । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में पीड़िता की मृत्यु से पूर्व उसका उपचार करने वाले डाक्टर की विचारण के दौरान परीक्षा नहीं की गई । अभियोजन पक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में मृतका को उपलब्ध कराए गए उपचार के संबंध में कोई भी दस्तावेज/कागज-पत्र न्यायालय के अभिलेख पर रखने में असमर्थ रहा है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनुपर में पीड़िता का उपचार करने वाला डाक्टर ऐसा सर्वोत्तम व्यक्ति था, जो उसकी मृत्यु के कारण के संबंध में कुछ जानकारी उपलब्ध करा सकता था और साथ ही वह उस बीमारी के संबंध में भी बता सकता था जिससे मृतका पीड़ित थी । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 5, जो एक डाक्टर है और साथ ही उस चिकित्सा बोर्ड का सदस्य है, जिसने मृतका के शव की शव-परीक्षा की थी, ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे मृतका के शरीर पर किसी प्रकार की कोई मृत्यु-पूर्व क्षति या हिंसा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया । किसी विष का उपयोग करते हुए, बलपूर्वक विष दिए जाने के मामले में पीड़ित की ओर से अवश्य ही किसी प्रकार का कोई संघर्ष और विरोध होना चाहिए तथा उसके शरीर पर इस संघर्ष के कतिपय चिन्ह भी विद्यमान होने चाहिए । जैसा कि ऊपर कथन किया गया है मृतका के शरीर पर किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई चिन्ह विद्यमान नहीं था । जहां तक मृतका के मुख और नासिका से झाग और दुर्गन्ध आने का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा सही रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उक्त झाग या दुर्गन्ध के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यह सत्य है कि विचारण के

दौरान परीक्षा किए गए साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि मृतका के मुख से दुर्गन्ध और झाग आ रही थी, किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान डाक्टर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मिरगी के दौरे के दशा में भी मुख और नासिका से झाग आ सकता है । शव-परीक्षा का संचालन करने वाले डाक्टर ने मृतका के मुख या नासिका से आने वाली किसी प्रकार की दुर्गन्ध के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा है । इसके अतिरिक्त, डाक्टर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विसरा रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता । स्वीकार रूप से विसरा को परिरक्षित किया गया था किन्तु उसकी रासायनिक परीक्षा संबंधी रिपोर्ट अभिलेख पर मौजूद नहीं है । उक्त रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट की अनुपस्थिति में इस संबंध में परिकल्पना करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता की मृत्यु विष दिए जाने के कारण हुई है । वर्तमान मामले में, शव-परीक्षा का संचालन करने वाले डाक्टर ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि विसरा रिपोर्ट की अनुपस्थिति में वह इस संबंध में कोई राय नहीं बना सकता कि मृतका की मृत्यु का कारण क्या था । इस प्रकार शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि मृत्यु विष दिए जाने के कारण हुई है । यदि हम इस बात पर विश्वास भी कर लें कि मृतका के मुख और नासिका से झाग बाहर आ रहा था तो भी उक्त झाग के नमूने को एकत्रित नहीं किया गया । डाक्टर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मिरगी के दौरे की दशा में भी मुख से झाग आ सकता है । मृतका के शरीर पर या अपराध के स्थल पर किसी प्रकार के विष का कोई चिन्ह नहीं पाया गया और अपीलार्थी की कब्जे से भी कोई विष बरामद नहीं हुआ । इस प्रकार, उच्च न्यायालय की यह राय है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने में त्रुटि की है । विचारण न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने में पूरी तरह असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु एक अप्राकृतिक मृत्यु थी । दंड संहिता की धारा 304ख के पूर्वोक्त अनिवार्य घटकों के पूरा न होने के कारण दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि नहीं की जा

सकती । जहां तक दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध का संबंध है, उच्च न्यायालय का ध्यान अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत इस अभिसाक्ष्य की ओर जाता है कि इत्तिलाकर्ता की पुत्री का विवाह एक मंदिर में अनुष्ठापित हुआ था । अभियोजन साक्षियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतका और अपीलार्थी एक निर्धन और दबे-कुचले वर्ग से संबंध रखते थे । किसी भी साक्षी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया गया है कि दहेज के रूप में किस वस्तु की मांग की जा रही थी और दहेज की मांग किस समय की गई । साक्षियों द्वारा इस संबंध में अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं कि दहेज की मांग की जा रही थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान साक्षियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतका लिखने पढ़ने में सक्षम थी, किन्तु उसने कभी भी अपने माता-पिता या भाई को अपने ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग के संबंध में कोई भी पत्र नहीं लिखा और न ही उसने इस संबंध में कोई पत्र लिखा कि दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण उसके साथ क्रूरता की जा रही है । इसके प्रतिकूल मृतका की माता ने अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री विवाह के पश्चात् 4-5 बार अपने मायके आई थी । अभि. सा. 1 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह अपने दामाद का सम्मान करती थी और उसका दामाद भी सम्यक् रूप से उसका सम्मान करता था । अन्य साक्षियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दहेज की मांग या दहेज की मांग को पूरा न किए जाने के लिए मृतका पर हमला करने के संबंध में पुलिस के समक्ष कोई भी पूर्व शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी । इसके अतिरिक्त, दहेज की मांग या मृतका के प्रति क्रूरता किए जाने संबंधी अस्पष्ट आरोप बहुप्रयोजन और साधारण प्रकृति के हैं । अपीलार्थी का अभिकथित अपराधों के लिए उसके पिता और माता के साथ विचारण किया गया था । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपीलार्थी के माता और पिता को दंड संहिता की धारा 304ख तथा 498क के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया था । उच्च न्यायालय का मत यह है कि चूंकि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप और उसके विरुद्ध अभिलेख पर विद्यमान

साक्ष्य उसी प्रकृति का है जैसा कि उसके पिता और माता के विरुद्ध विद्यमान था, जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है, इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप भी साबित नहीं हुए हैं । चूंकि अपीलार्थी और अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पक्षकथन में कोई अंतर नहीं है इसलिए अपीलार्थी भी दोषमुक्ति के लिए हकदार है । पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-III, औरंगाबाद द्वारा सेशन विचारण सं. 2011 का 75/2014 का 70 में पारित तारीख 7 फरवरी, 2015 के दोषसिद्धि के आदेश और तारीख 12 फरवरी, 2015 के पारिणामिक दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यह निदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है तो उसे तुरंत निर्मुक्त किया जाए । अपील मंजूर की जाती है । (पैरा 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 और 74

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 5 एस. सी. सी. 201 =
ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2081 :
मेजर सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 45

[1984] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 :
शरद बिरद्धीचंद शारदा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 65

[1960] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 500 :
अनंत चिंतामण लागू बनाम **बम्बई राज्य** । 65

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील (खंडपीठ) सं. 284.

वर्तमान दांडिक अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश - 3, औरंगाबाद द्वारा 2011 के सेशन विचारण सं. 275 और 2014 के सेशन

विचारण सं. 70 में तारीख 7 फरवरी, 2015 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 12 फरवरी, 2015 के दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री गोरांग चटर्जी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री गोरांग चटर्जी और प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा को सुना ।

2. वर्तमान दांडिक अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश - 3, औरंगाबाद द्वारा 2011 के सेशन विचारण सं. 275 और 2014 के सेशन विचारण सं. 70 में तारीख 7 फरवरी, 2015 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और तारीख 12 फरवरी, 2015 के उस दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 304ख और 498क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया था और उसे आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया था ।

3. आश्चर्यजनक रूप से, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दो धाराओं/आरोपों के अधीन सिद्धदोष ठहराते हुए तारीख 12 फरवरी, 2015 को आक्षेपित दंडादेश पारित किया, जो एक ऐसा संयुक्त दंडादेश है जिसमें ऐसे किसी अपराध को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके लिए सिद्धदोष व्यक्ति को दंडादेश भोगने का दंड दिया जा रहा है ।

4. विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 12 फरवरी, 2015 को पारित आदेश का प्रभावी भाग निम्नानुसार है :–

> "मामले के अभिलेख का परिशीलन करने पर तथा दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादों पर विचार करने के पश्चात् यह

प्रतीत होता है कि यह मामला दहेज मृत्यु का मामला है और मृतका के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया है । इस प्रकार, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए सिद्धदोष व्यक्ति, अर्थात् रामाशीष महतो को आजीवन कठोर कारावास भोगने का दंड दिया जाता है । इससे न्याय के हित की पूर्ति होगी ।"

5. न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, किन्तु साधारण रूप से एक बार यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाते हैं तो उसे विचारण का सामना करना होता है । विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे व्यक्ति/अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और साथ ही उसके द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करता है तथा अभियोजन और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों तथा बहस को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते हुए या उसे दोषमुक्त करते हुए अपना निर्णय लेखबद्ध करता है । दांडिक कार्यवाहियों में किसी अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराने के पश्चात् अगले प्रक्रम पर उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया जाता है ।

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 235(2) यह उपबंध करती है कि यदि किसी अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया गया है तो कोई न्यायाधीश, जब तक कि वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार आगे और कार्यवाही नहीं करता है तो वह दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त की सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् विधि के अनुसार उसके विरुद्ध दंडादेश पारित करेगा ।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **संता सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में उक्त धारा 235(2) के विस्तार क्षेत्र के संबंध में समीक्षा करते हुए निम्नानुसार संप्रेक्षण किया है :–

"सर्वप्रथम किसी न्यायालय को किसी अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराते हुए या उसे दोषमुक्त करते हुए निर्णय परिदत्त करना

[1] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2386.

चाहिए । यदि अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है तो आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है । किन्तु यदि अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया जाता है तो उसके पश्चात् न्यायालय को 'दंडादेश के प्रश्न पर अभियुक्त की सुनवाई करनी होगी और उसके पश्चात् न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध दंडादेश पारित करेगा' । जब किसी निर्णय के माध्यम से अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराया जाता है तो उस प्रक्रम पर अभियुक्त को दंडादेश के संबंध में सुनवाई करने का अवसर प्रदान किया जाता है और अभियुक्त को इस प्रकार सुनने के पश्चात् न्यायालय दंडादेश पारित किए जाने संबंधी कार्यवाही कर सकता है ।"

8. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि जब उसने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित किया था तो वह इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध साबित प्रत्येक आरोप के लिए दंडादेश पारित करता या उसे कम से कम इस संबंध में कारण लेखबद्ध करने चाहिए थे कि वह किसी विशिष्ट आरोप के लिए दंडादेश पारित क्यों नहीं कर रहा । दो साबित आरोपों के लिए, यह विनिर्दिष्ट किए बिना किस आरोप के लिए क्या दंडादेश पारित किया जा रहा है, दंडादेश का एक संयुक्त आदेश पारित करना और इस तथ्य को भी स्पष्ट न करना कि उक्त संयुक्त दंडादेश किस प्रकार न्याय की हित की पूर्ति करेगा, विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध पारित दंडादेश विधि के अनुसार पारित दंडादेश है ।

9. वर्तमान मामले में अंतर्वलित मुख्य विवाद्यक पर लौटते हुए मामले का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जा रहा है, जो इस प्रकार है कि बैज नाथ महतो (अभि. सा. 4) के फर्द बयान, जिसे तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि लगभग् 8.00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में मदनपुर पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक-सह-प्रभारी अधिकारी श्री एस. एन. सिंह (अभि. सा. 8) द्वारा लेखबद्ध किया गया था, के आधार पर एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जिससे सेशन विचारण सं. 2011 का 275/2014 का 70 को संस्थित किया गया ।

10. अपने फर्द बयान में बैज नाथ महतो ने यह कथन किया कि उसकी पुत्री स्वीटी देवी का विवाह मार्च, 2009 में अनुष्ठापित हुआ था । विवाह के समय उसने अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपीलार्थी को उपहार दिए थे किन्तु अपीलार्थी और उसका कुटुम्ब उक्त उपहारों से संतुष्ट नहीं था और अपीलार्थी, उसका पिता और उसकी माता प्राय: उसकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़ित करते थे तथा उस पर शारीरिक रूप से हमला भी करते थे । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 12.00 बजे उसे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि उसकी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था । उसने यह अनुरोध किया कि वह अपनी पुत्री से मिलना चाहता है । फोन काल प्राप्त होने के पश्चात् वह अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ अपनी पुत्री के वैवाहिक घर गया । जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पुत्री एक चारपाई पर बेहोश पड़ी थी और उसका पति, उसकी सास और ससुर द्वार के बाहर बैठे थे । उसके द्वारा अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने के कारण के संबंध में पूछताछ करने पर अपीलार्थी और उसकी माता-पिता ने उसके साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया और उसके पश्चात् वह मदनपुर पुलिस थाने गया तथा इस संबंध में पुलिस को सूचित किया । उसकी सूचना के आधार पर पुलिस उसकी पुत्री के वैवाहिक घर गई तथा वहां से उसकी पुत्री को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मदनपुर ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उसकी पुत्री के पति रामाशीष महतो, उसकी सास सरस्वती देवी तथा ससुर बैज नाथ महतो ने उसकी पुत्री को विष देकर मार डाला ।

11. इत्तिलाकर्ता बैज नाथ महतो के फर्द बयान को अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संस्थित करने हेतु मदनपुर पुलिस थाने भेजा गया और मदनपुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी सतेन्द्र नारायण सिंह ने स्वयं इस मामले का अन्वेषण करने का विनिश्चय किया ।

12. इत्तिलाकर्ता के फर्द बयान को प्राप्त करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 328 और 304ख के अधीन मदनपुर पुलिस थाने में तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 12.00 बजे

पुलिस उप निरीक्षक, अर्थात् राम सेवक प्रसाद सिंह द्वारा एक औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई जो मदनपुर पुलिस थाना मामला सं. 147/2010 के रूप में है ।

13. अभिलेख के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि फर्द बयान को लेखबद्ध करने से पूर्व तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 7.00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में एक मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी ।

14. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संस्थित करने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने मृतका के शव को शव-परीक्षा हेतु औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा ।

15. सदर अस्पताल, औरंगाबाद में एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया, जिसने संयुक्त रूप से मृतका के शव की शव-परीक्षा की ।

16. शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-3) के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि चिकित्सा बोर्ड मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित करने में असफल रहा था । बोर्ड ने विसरा को परिरक्षित किया और उसे रासायनिक परीक्षा हेतु पुलिस को सौंप दिया । न्यायालय के अभिलेख से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष प्रश्नगत विसरा के संबंध में विशेषज्ञ राय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा है ।

17. अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, साक्षियों के कथन को लेखबद्ध किया, अस्पताल से शव-परीक्षा रिपोर्ट को प्राप्त किया तथा अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् मजिस्ट्रेट के न्यायलय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया ।

18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अधीन पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिकारिता रखने वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया और अभियुक्त व्यक्तियों को विचारण का सामना करने हेतु समन भेजे ।

19. यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

207 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् अधिकारिता रखने वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट ने यह मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया ।

20. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने मामले के अभिलेख को अपर सेशन न्यायाधीश-III, औरंगाबाद के न्यायालय को अंतरित किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी रामाशीष महतो, उसके पिता बैज नाथ महतो और उसकी माता सरस्वती देवी को दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन उन पर लगाए गए आरोपों को स्पष्ट किया, जिसके संबंध में अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया तथा विचारण का दावा प्रस्तुत किया ।

21. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने आठ साक्षियों की परीक्षा की तथा आरोपों के समर्थन में कतिपय दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में न्यायालय के अभिलेख पर रखा ।

22. विचारण के दौरान निम्नानुसार साक्षियों की परीक्षा की गई - सुषमा देवी (अभि. सा. 1), मृतका की माता, संजय यादव (अभि. सा. 2), जो मृतका का नाते में भाई है, रविन्द्र महतो (अभि. सा. 3), मृतका का भाई, बैज नाथ महतो (अभि. सा. 4), मृतका का पिता, डा. शहाबुद्दीन (अभि. सा. 5), उस चिकित्सा बोर्ड का सदस्य जिसने मृतका की शव-परीक्षा की थी, केदार महतो (अभि. सा. 6) जो इत्तिलाकर्ता का एक सह-ग्रामीण है, राम चंद्र राम (अभि. सा. 7), जो इत्तिलाकर्ता का एक सह-ग्रामीण है तथा सतेन्द्र नारायण सिंह (अभि. सा. 8), जो मामले का अन्वेषण अधिकारी है ।

23. उपरोक्त आठ साक्षियों में से केदार महतो (अभि. सा. 6) और राम चंद्र राम (अभि. सा. 7) को विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया ।

24. सुषमा देवी (अभि. सा. 1), मृतका की माता ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उनकी पुत्री का विवाह वर्ष 2009 में अपीलार्थी के साथ हुआ था । विवाह के पश्चात् उसकी पुत्री ससुराल चली गई किन्तु उसका पति, ससुर और सास प्राय: उसके साथ क्रूरता बरतते थे । वे उसके साथ गाली-गलौज तथा उससे दहेज की मांग करते

थे । अभि. सा. 1 ने यह भी अभिकथन किया है कि उसकी पुत्री विवाह के पश्चात् अपने मायके वापस आ गई थी । उसके पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति यह वचन देकर उसे वापस ले गए कि उसे उसकी ससुराल में सम्मान और आदर के साथ रखा जाएगा । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि जब उसकी पुत्री वापस अपने ससुराल गई तो एक मास के भीतर अपीलार्थी ने उसे यह सूचित किया कि उसकी पुत्री गंभीर रूप से बीमार थी । उसके पश्चात् वह अपने पति और पुत्र के साथ अपनी पुत्री के वैवाहिक घर/ससुराल गई । जब वह अपनी पुत्री के ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसकी पुत्री एक चारपाई पर बेहोश पड़ी थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था तथा उसके मुख से दुर्गन्ध भी आ रही थी । जब उसके पति और ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने उनके साथ गाली-गलौज करना आरंभ कर दिया । उसके पश्चात् वे मदनपुर पुलिस थाने गए और उन्होंने इस संपूर्ण घटना की जानकारी पुलिस को दी । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो अभियुक्त व्यक्ति वहां से फरार हो गए । उसका पति और पुलिस उसकी पुत्री को अस्पताल ले गए जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसकी पुत्री की हत्या दहेज की मांग को पूरा न किए जाने के कारण उसे विष देकर कारित की गई है ।

25. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि जब उसकी पुत्री का अस्पताल में उपचार किया जा रहा था तो उस समय वह अस्पताल में उपस्थित थी । उसने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि उसकी पुत्री की अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने उसकी पुत्री के साथ उसके ससुराल में किए जा रहे दुर्व्यवहार के संबंध में कोई पूर्ववर्ती शिकायत दर्ज नहीं कराई थी । अभि. सा. 1 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री 4-5 बार अपने मायके आई थी । अभि. सा. 1 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह अपने दामाद का सम्मान करती थी और उसका दामाद भी उसका सम्मान करता था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस

द्वारा उसके पूर्ववर्ती कथन को पुलिस थाने में उसके पति और उसके पुत्र की उपस्थिति में लेखबद्ध किया गया था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री पढ़ी-लिखी थी और वह पढ़ना और लिखना जानती थी, किन्तु उसने कभी-भी उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने या उस पर हमला किए जाने के संबंध में उसे कोई पत्र नहीं लिखा । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री का विवाह एक मंदिर में अनुष्ठापित हुआ था । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि उसका पति उसके पुत्र के साथ पुलिस थाने गया था और वहां उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी । अभि. सा. 1 ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसके समक्ष रखे गए इस सुझाव से इनकार किया कि मदनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मृतका का पति और उसके ससुराल पक्ष के लोग भी उपस्थित थे । अभि. सा. 1 ने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से भी इनकार किया कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कभी भी किसी प्रकार की दहेज की कोई मांग नहीं की गई और उसकी पुत्री की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी ।

26. संजय यादव (अभि. सा. 2), जो इत्तिलाकर्ता का नातेदार है, ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथावर्णित अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि स्वीटी देवी की बीमारी के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर वह अन्य व्यक्तियों के साथ उसके ससुराल गया था और वहां अपीलार्थी और उसके पिता अन्य सह-ग्रामीण व्यक्तियों के साथ उपस्थित थे । जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि स्वीटी देवी का उपचार क्यों नहीं किया गया है तो उन्होंने झगड़ा करना आरंभ कर दिया । उसके पश्चात् वे पुलिस थाने गए तथा वहां दरोगा से मिले जो स्वीटी के पिता के साथ घटनास्थल पर आया । स्वीटी देवी के पिता और उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्य स्वीटी देवी को मदनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए जहां उसका उपचार आरंभ होने के 10 मिनट के भीतर उसकी मृत्यु हो गई । उसने यह कथन किया है कि बैज नाथ महतो (अभि. सा. 4) ने वर्तमान मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संस्थित की है ।

27. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 2 ने इस तथ्य को

स्वीकार किया कि स्वीटी देवी का विवाह एक मंदिर में अनुष्ठापित हुआ था । अभि. सा. 2 ने यह भी स्वीकार किया कि उसे दहेज की मांग के संबंध में पीड़िता के पिता से जानकारी प्राप्त हुई थी । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि पुलिस के समक्ष किए गए अपने पूर्वतन कथन में उसने यह नहीं कहा था कि तारीख 9 जुलाई, 2010 को स्वीटी देवी की बीमारी के संबंध में फोन काल प्राप्त होने के पश्चात् वह उसके ससुराल गया था और उसने उसे एक चारपाई पर बेहोश पड़े हुए देखा था । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पीड़ित लड़की और उसका पति निर्धन और समाज के दबे-कुचले वर्ग से संबंध रखते थे । उसने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसके समक्ष रखे गए इस सुझाव से इनकार किया कि पीड़ित लड़की की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है ।

28. रविन्द्र महतो (अभि. सा. 3), जो मृतका स्वीटी देवी का भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथा वर्णित अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । उसने यह कथन किया है कि जब वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी बहन स्वीटी देवी के ससुराल पहुंचा था तो उसने देखा कि उसकी बहन एक चारपाई पर बेहोश पड़ी थी तथा उसके मुख से झाग निकल रहा था । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि जब स्वीटी देवी को मदनपुर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाया गया तो वहां उसे सर्वप्रथम सलाइन लगाया गया और उसके 10-15 मिनट पश्चात् उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि उसके पूर्ववतन कथन को पुलिस द्वारा अस्पताल में लेखबद्ध किया गया था, जहां मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी और उक्त मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर उसने और उसके पिता ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए थे । उसने उन हस्ताक्षरों की पहचान की, जिन्हें क्रमश: प्रदर्श-1 और प्रदर्श-1/1 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

29. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 3 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जब उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे तो वह पृष्ठ खाली था । उसने यह कथन किया है कि सर्वप्रथम वह यह चाहता था कि उसकी बहन को तुरंत उपचार प्राप्त हो किन्तु अपने पिता के कहने पर वह सर्वप्रथम पुलिस थाने गया जहां उसके पिता ने

मामला दर्ज कराया और उसके पश्चात् वे स्वीटी देवी के ससुराल गए और वहां से वे स्वीटी देवी को लेकर मदनपुर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र उपचार हेतु लेकर आए । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि उपचार प्रारंभ होने के 15-20 मिनट के पश्चात् उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी । अभि. सा. 3 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसकी बहन का विवाह एक मंदिर में अनुष्ठापित हुआ था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसे उसकी बहन के ससुराल पक्ष की ओर से की जाने वाली दहेज की मांग के संबंध में अपने पिता और मृतक बहन से जानकारी प्राप्त हुई थी । अभि. सा. 3 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पुलिस द्वारा उसके कथन को केवल एक बार उस समय लेखबद्ध किया गया था जब वह अपने पिता के साथ पुलिस थाने गया था और उन्होंने मामला दर्ज कराया था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि विवाह के पश्चात् उसके जीजा (अपीलार्थी) ने चार बार अपने ससुराल, अर्थात् उनके घर का दौरा किया था और उन्होंने उसके साथ अच्छा और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसकी बहन को लिखना-पढ़ना आता था । अभि. सा. 3 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसकी बहन ने भी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की दहेज की मांग के संबंध में उन्हें कोई पत्र नहीं लिखा ।

30. बैज नाथ महतो (अभि. सा. 4), शिकायतकर्ता और मृतका के पिता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथावर्णित अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । अभि. सा. 4 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब वह अपनी पुत्री के वैवाहिक घर गया था तो उस समय वह एक चारपाई पर बेहोश पड़ी थी और उसके मुख से झाग निकल रहा था । उसने फर्द बयान पर उसके द्वारा किए गए हस्ताक्षर को साबित किया जिसे प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

31. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 4 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसकी पुत्री के बीमार होने से संबंधित जानकारी उसे अपीलार्थी द्वारा फोन पर उपलब्ध कराई गई थी और अपीलार्थी ने उससे यह अनुरोध किया था कि वह उसके घर आकर अपनी बीमार पुत्री से

मिल ले । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री पढ़ना-लिखना जानती थी किन्तु उसने कभी भी दहेज की मांग को पूरा न किए जाने के कारण अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उसके प्रति बरती गई किसी प्रकार की क्रूरता के संबंध में उसने कोई पत्र नहीं लिखा । उसने यह कथन किया कि घटना की तारीख को सर्वप्रथम वह पुलिस थाने गया था और उसके पश्चात् वह अस्पताल आया जहां उसके कथन को लेखबद्ध किया गया और उसके पश्चात् मामले को रजिस्टर किया गया । अभि. सा. 4 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पुलिस थाने में पुलिस ने पीड़ित लड़की को अस्पताल ले जाने से पूर्व घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी । उस समय वहां उसका पुत्र भी उपस्थित था । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि पुलिस ने पुलिस थाने में उसके पुत्र से भी पूछताछ की थी । उसने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उसके समक्ष रखे गए इस सुझाव से इनकार किया कि उसकी पुत्री की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है ।

32. तारीख 10 जुलाई, 2010 को डा. शहाबुद्दीन (अभि. सा. 5) सदर अस्पताल, औरंगाबाद में तैनात था । उसने तारीख 10 जुलाई, 2010 को प्रात: 8.45 बजे मृतका के शव की शव-परीक्षा की थी । उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि मृतका के शरीर के किसी भी भाग पर मृत्यु-पूर्व कोई क्षति नहीं पाई गई थी । तथापि, उसने भी यह कथन किया है कि मृतका की नासिका और मुख से झाग निकल रहा था । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि चूंकि मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था इसलिए विसरा को परिरक्षित किया गया । अभि. सा. 5 के अनुसार मृत्यु के पश्चात् से काफी समय व्यतीत हो चुका था और शव-परीक्षा मृत्यु के 12 घंटों के पश्चात् की गई थी । उसने शव-परीक्षा रिपोर्ट, जो प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित है, पर विद्यमान अपने हस्तलेख और हस्ताक्षरों को साबित किया है । अभि. सा. 5 ने यह भी कथन किया है कि उसने मृतका के शव-परीक्षा करने हेतु एक चिकित्सा बोर्ड का गठन किया था जिसमें उसके अलावा डा. प्रेम प्रकाश एक सदस्य के रूप में सम्मिलित थे । उसने शव-परीक्षा रिपोर्ट पर विद्यमान डा. प्रेम प्रकाश के हस्ताक्षर को भी साबित किया है जिसे प्रदर्श-3/1 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

33. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 5 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मिरगी के दौरे की दशा में मुख और नासिका से झाग आ सकता है । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसे मृतका के शरीर के किसी भाग पर कोई बाह्य मृत्यु-पूर्व क्षति दिखाई नहीं दी थी । अभि. सा. 5 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि विसरा की रासायनिक जांच संबंधी रिपोर्ट को कभी भी उसके समक्ष नहीं रखा गया और इसके परिणामस्वरूप वह मृत्यु के कारण के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने में असमर्थ था ।

34. सतेन्द्र नारायण सिंह (अभि. सा. 8), जो वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है, ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 9 जुलाई, 2010 को वह मदनपुर पुलिस थाने में उप निरीक्षक के रूप में तैनात था । उक्त दिवस को, इत्तिलाकर्ता ने मौखिक रूप से उसे यह सूचित किया था कि उसकी पुत्री की उसके पति और ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा विष देकर हत्या की जा रही है । उसने यह कथन किया कि जब वह इत्तिलाकर्ता की पुत्री के ससुराल गया तो वहां उसे धमकी दी गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के आधार पर वह अपीलार्थी के घर गया था जहां उसने यह देखा कि स्वीटी देवी एक चारपाई पर बेहोश पड़ी थी और उसके मुख से झाग निकल रहा था । उस समय स्वीटी देवी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी । उसके पश्चात् उसे एक यान में मदनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया और वहां एक डाक्टर ने उसका उपचार आरंभ किया किन्तु उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । उसने यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता के फर्द बयान को अस्पताल में लेखबद्ध किया गया था । उसने इस तथ्य को साबित किया है कि फर्द बयान को उसके स्वयं को हस्तलेख में लेखबद्ध किया गया है और उस पर विद्यमान हस्ताक्षर भी उसके हैं, जिसे प्रदर्श-2/1 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसने श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, प्रभारी अधिकारी के हस्तलेख में फर्द बयान पर किए गए पृष्ठांकन को भी साबित किया है, जिसे प्रदर्श-2/2 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसने औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर विद्यमान सहायक पुलिस उप निरीक्षक राम

सेवक प्रसाद सिंह के हस्तलेख और हस्ताक्षर को भी साबित किया है जिसे प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित किया गया है । अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संस्थित किए जाने के पश्चात् पुलिस उप निरीक्षक राकेश कुमार द्वारा मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी । उसने मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर विद्यमान राकेश कुमार के हस्ताक्षर और हस्तलेख को भी साबित किया है, जिसे प्रदर्श-1/2 के रूप में चिह्नित किया गया है । उसने यह भी कथन किया है कि उसके पश्चात् चालान तैयार किया गया था और मृतका के शव को शव-परीक्षा हेतु भेजा गया था । उसने चालान की कार्बन प्रति को भी साबित किया है, जिसे प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित किया गया है । अभि. सा. 8 ने यह कथन किया है कि उसने घटनास्थल की जांच-पड़ताल की, इत्तिलाकर्ता के पश्चात्वर्ती कथन को लेखबद्ध किया और साथ ही अन्य साक्षियों, अर्थात् रविन्द्र महतो (अभि. सा. 3), रामचन्द्र महतो (अभि. सा. 7) और केदार महतो (अभि. सा. 6) के कथनों को भी लेखबद्ध किया । उक्त साक्षी ने यह भी प्रतिवाद किया है कि उसने शव-परीक्षा रिपोर्ट को प्राप्त किया, अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और प्रतिरक्षा कथन को लेखबद्ध किया । उसने विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् विसरा को रासायनिक परीक्षा हेतु भेजा और अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात् उसने न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अभि. सा. 8 ने यह भी कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान केदार महतो और रामचंद्र महतो ने यह कथन किया था कि मृतका के मुख से झाग निकल रही थी और दुर्गन्ध आ रही थी ।

35. अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 8 ने यह कथन किया कि पुलिस थाने में इत्तिलाकर्ता से सूचना प्राप्त होने के बावजूद उसने न तो सनाहा प्रविष्टि की और न ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर किया । उसने इस तथ्य को भी स्वीकार कि उसने पीड़ित लड़की को एक चारपाई पर बेहोश पड़े देखने के पश्चात् भी कोई सनाहा प्रविष्टि नहीं की थी । अभि. सा. 8 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसने अड़ोसी-पड़ोसी व्यक्तियों में से किसी के कथन को लेखबद्ध नहीं किया । उसने विसरा रिर्पोट की प्राप्ति के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की । उसने इस

तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसने पीड़ित लड़की के मुख से निकलने वाले झाग के नमूने का संग्रहण नहीं किया । उसने प्रतिरक्षा पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि मामले के अन्वेषण में त्रुटियां विद्यमान हैं ।

36. अभि. सा. 8 की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् अभियोजन के पक्षकथन को समाप्त किया गया तथा मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों की परीक्षा हेतु तारीख नियत की गई ।

37. अभियुक्त व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से, साक्ष्य में उनके विरुद्ध सामने आई परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए विचारण न्यायालय ने एक सामान्य प्रश्नों को तैयार किया और उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य से यह सुझाव प्राप्त होता है कि पीड़िता स्वीटी देवी के साथ उसके ससुराल में दहेज की मांग को पूरा न किए जाने के कारण क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था और तारीख 9 जुलाई, 2020 को विष देकर उसकी मृत्यु कारित की गई । इसके उत्तर में अपीलार्थी और दो अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने मामले में निर्दोष होने का अभिवाक् किया । उन्होंने यह कथन किया कि उन्हें मिथ्या रूप से वर्तमान मामले में फंसाया गया है ।

38. प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अतः, पक्षकारों की ओर से तर्कों को सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए आक्षेपित निर्णय और उनके विरुद्ध दंडादेश को उद्घोषित किया । तथापि, अपीलार्थी के माता और पिता को दोनों आरोपों से दोषमुक्त किया गया ।

39. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री गोरांग चटर्जी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने मामले में अंतर्वलित विधि और तथ्यों के प्रश्नों का मूल्यांकन करने में त्रुटि की है । उन्होंने यह प्रतिवाद भी किया है कि अभियोजन पक्ष ने जान-बुझकर शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक कथन को छिपाया है और अभियोजन पक्ष द्वारा इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक पश्चात्वर्ती कथन को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

विद्वान् काउंसेल के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्वयं में एक संदेहास्पद दस्तावेज है । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि इत्तिलाकर्ता की पुत्री की मृत्यु अप्राकृतिक मृत्यु थी । विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष ने मृतका के मुख और नासिका से झाग निकलने संबंधी कतिपय मिथ्या साक्ष्य सृजित करने का प्रयास किया है । इस प्रकार के आरोप प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विद्यमान नहीं हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में भी मृतका के मुख या नासिका से झाग निकलने या मुख से दुर्गन्ध आने संबंधी कोई उल्लेख विद्यमान नहीं है । उन्होंने यह दलील प्रस्तुत की है कि डाक्टर ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मिरगी के दौरे की दशा में भी मुख से झाग निकल सकता है । इसके अतिरिक्त, डाक्टर ने मृतका के मुख से निकलने वाले झाग का कोई नमूना एकत्रित नहीं किया । विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय के समक्ष यह आग्रह प्रस्तुत किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में मृतका की परीक्षा करने वाला डाक्टर ऐसा सर्वोत्तम व्यक्ति था जो मृत्यु के कारण को प्रकट कर सकता था और साथ ही वह उस उपचार के संबंध में भी न्यायालय को जानकारी दे सकता था, जिसे पीड़िता को उस समय उपलब्ध कराया गया था जब उसे उपचार हेतु अस्पताल लाया गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में पीड़िता का उपचार करने वाले डाक्टर की विचारण के दौरान न तो परीक्षा की गई और न ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर से मृतका के उपचार से संबंधित किसी दस्तावेज को न्यायालय के अभिलेख पर रखा गया । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का आचार सद्भावपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि उसने इत्तिलाकर्ता को उसकी पुत्री की बीमारी के संबंध में फोन पर सूचना उपलब्ध कराई तथा उससे अनुरोध किया कि आकर अपनी बीमार पुत्री से मिल ले । विद्वान् काउंसेल ने यह भी प्रतिवाद किया है कि इस संबंध में कोई भी निर्दिष्ट कथन अभिलेख पर विद्यमान नहीं है कि दहेज के रूप में क्या मांग की जा रही थी या ऐसी मांग किस समय की गई । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया है कि

स्वीकार्य रूप से इत्तिलाकर्ता की पुत्री का विवाह एक मंदिर में अनुष्ठापित हुआ था क्योंकि अपीलार्थी और उसके ससुराल पक्ष के लोग निर्धन और दबे कुचले वर्ग से संबंध रखते हैं । अतः, इत्तिलाकर्ता की पुत्री से अभियुक्त व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग, किसी अन्य अकाट्य सामग्री के अभाव में एक अस्पष्ट कहानी प्रतीत होती है जिसे बाद में तैयार किया गया ।

40. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने यह दलील प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय ने सही रूप से मामले में अंतर्वलित तथ्यों तथा विधि के प्रश्नों का मूल्यांकन किया है तथा विचारण न्यायालय ने उक्त मूल्यांकन के आधार पर सही रूप से अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराते हुए दंडादिष्ट किया है । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील प्रस्तुत की है कि पीड़िता स्वीटी देवी का विवाह तारीख 4 मार्च, 2009 को अनुष्ठापित हुआ था । पीड़िता की मृत्यु तारीख 9 जुलाई, 2010 को ऐसी परिस्थितियों में हुई जो प्राकृतिक नहीं थी । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह प्रतिवाद किया है कि यह एक ऐसा गंभीर मामला है जहां पीड़िता की मृत्यु विवाह के डेढ़ वर्ष के भीतर हो गई । विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा यह प्रतिवाद भी किया गया है कि चूंकि मृतका किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त नहीं थी इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित रूप से एक अप्राकृतिक मृत्यु है । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया है कि न्यायालय के अभिलेख पर इस संबंध में संगत साक्ष्य विद्यमान है कि अभियुक्त व्यक्ति दहेज की मांग करते थे और उक्त मांग की पूर्ति न होने पर वे पीड़िता के प्रति क्रूरता बरतते थे । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह भी प्रतिवाद किया है कि दंड संहिता की धारा 498क और 304ख के अधीन दंडनीय अपराधों के सभी घटकों को अभियोजन पक्ष द्वारा सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित किया गया है । उनके अनुसार, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है कि मृतका के मुख से झाग और दुर्गन्ध क्यों आ रहे थे । विद्वान् अपर लोक अभियोजक के अनुसार, उक्त स्पष्टीकरण की

अनुपस्थिति में यह उपधारणा की जाएगी कि पीड़िता को विष दिया गया था । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया कि मात्र इस कारण से कि विसरा रिपोर्ट को साबित नहीं किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता कि यह विष के कारण मृत्यु का मामला नहीं है । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया है कि चूंकि साक्षियों द्वारा प्रस्तुत चाक्षुष साक्ष्य अक्षुण्ण बना रहा है इसलिए विसरा रिपोर्ट की अनुपस्थिति महत्वहीन है ।

41. हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यान से परिशीलन किया है ।

42. जहां तक दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि का संबंध है, दहेज मृत्यु संबंधी विधि का विश्लेषण करना अनिवार्य है ।

43. दंड संहिता की धारा 304ख, जिसमें दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है तथा जिसमें दहेज मृत्यु के लिए दंड को उपबंधित किया गया है, निम्नानुसार है :–

> "**304ख. दहेज मृत्यु** – (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।
>
> (2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।"

44. दंड संहिता की धारा 304ख के परिशीलन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर प्राकृतिक परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होती है

और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके प्रति क्रूरता की गई थी तो ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार को उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।

45. **मेजर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए पूर्ववर्ती परिस्थितियों को अपने निर्णय के पैरा 10 में स्पष्ट किया था, जो निम्नानुसार है :–

> "10. दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए निम्नलिखित अनिवार्य घटकों को स्थापित किया जाना चाहिए :
>
> (i) स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षतियों या 'सामान्य परिस्थिति' से अन्यथा परिस्थिति में होनी चाहिए ;
>
> (ii) ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए ;
>
> (iii) उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा उसके प्रति कोई क्रूरता की गई हो या उसका उत्पीड़न किया गया हो ;
>
> (iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज के लिए या उसकी मांग से संबंधित होना चाहिए ; और
>
> (v) यह दर्शित किया जाना चाहिए कि ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से तुरंत पूर्व किया गया है ।"

46. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 113ख दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से संबंधित है । उक्त धारा निम्नानुसार है :–

> "**113ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा** – जब प्रश्न यह है

---

[1] (2015) 5 एस. सी. सी. 201 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2081.

कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी ।"

47. दंड संहिता की धारा 304ख में उपबंधित दहेज की मृत्यु की परिभाषा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के अनुसार, अन्य बातों के साथ, अनिवार्य घटक ये हैं कि किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति के कारण या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों के अधीन होनी चाहिए ।

48. अन्य शब्दों में, अभियोजन पक्ष को किसी स्त्री की मृत्यु को सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों के अधीन पद के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए प्राकृतिक या दुर्घटनावश की मृत्यु की सभी संभावनाओं को दूर करना होगा ।

49. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जब हम न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य का विश्लेषण करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मृतका के पति ने स्वयं इत्तिलाकर्ता को सर्वप्रथम टेलीफोन के माध्यम से मृतका की बीमारी के संबंध में सूचना दी थी और यह अनुरोध किया था कि वह आकर अपनी बीमार पुत्री से मिल ले । जिस समय इत्तिलाकर्ता अपनी पत्नी, पुत्र और अन्य व्यक्तियों के साथ मृतक के वैवाहिक घर पहुंचा तो उस समय तक उसकी पुत्री जीवित थी । उस समय मृतका का पति और उसके माता-पिता भी उक्त घर में मौजूद थे ।

50. इत्तिलाकर्ता और साक्षियों द्वारा यह कथन किया गया है कि बीमारी के कारण के बारे में पूछताछ किए जाने पर अपीलार्थी और उसके कुटुम्ब के सदस्यों ने उनके साथ झगड़ा करना आरंभ कर दिया । उसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ पुलिस थाने गया और उसने इस संपूर्ण घटना का उल्लेख पुलिस के समक्ष किया । इत्तिलाकर्ता को यह संदेह था कि उसकी पुत्री को विष दिया गया है और

अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य से यह तथ्य सामने आया है कि उन्होंने पुलिस थाने में पुलिस के समक्ष अपने-अपने कथन प्रस्तुत किए थे और वे दोनों इत्तिलाकर्ता के साथ पुलिस थाने गए थे ।

51. यदि साक्षी सत्य बोल रहे हैं तो पुलिस थाने में पुलिस को दी गई सूचना निश्चित रूप से एक संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने से संबंधित थी ।

52. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 इस बात को आज्ञापक बनाती है कि जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने के संबंध में मौखिक रूप से कोई सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस को अवश्य ही उसे लेखबद्ध करना चाहिए ।

53. अन्यथा भी, यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो यदि ऐसी जानकारी कूटरचित नहीं है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है तो वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर करे ।

54. यह सुस्थापित है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि उसी के आधार पर दांडिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया को आरंभ किया जाता है । किसी पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर किए जाने के पश्चात् ही पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण आंरभ किया जाता है

55. इत्तिलाकर्ता और साथ ही अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 द्वारा एक संज्ञेय अपराध के कारित किए जाने के संबंध में पुलिस थाने में दी गई प्रारंभिक सूचना को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं माना गया है ।

56. इसी प्रकार, घटना के दिन पुलिस थाने पर किए गए उनके कथनों को स्टेशन डायरी या मामला डायरी में प्रविष्ट नहीं किया गया है ।

57. इस प्रकार इस संबंध में रहस्य विद्यमान है कि इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ ।

58. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जब हम साक्ष्य की

आगे और समीक्षा करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इत्तिलाकर्ता के मौखिक कथन को तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 8.00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में लेखबद्ध किया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि सर्वप्रथम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर की गई थी और उसके पश्चात् मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट को तैयार किया गया था । तथापि, जब हम मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट का अवलोकन करते हैं तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तारीख 9 जुलाई, 2010 को सायं 7.00 बजे, अर्थात् फर्द बयान लेखबद्ध किए जाने से एक घंटा पूर्व तैयार की गई थी । हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर इत्तिलाकर्ता बैज नाथ महतो और अभि. सा. 3 - रविन्द्र महतो के हस्ताक्षर मौजूद हैं ।

59. स्पष्ट रूप से, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व तैयार की गई थी । उसके पश्चात्, तारीख 9 जुलाई, 2010 को रात्रि 8.00 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में बैज नाथ महतो के मौखिक कथन को लेखबद्ध किया गया जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट माना गया । अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिसाक्ष्य, फर्द बयान और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में विद्यमान विसंगतियां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की सत्यता और विश्वसनीयता के संबंध में संदेह उत्पन्न करती हैं ।

60. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने सही रूप से यह दलील प्रस्तुत की है कि वर्तमान मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है विशेष रूप से इसलिए कि उसके प्राथमिक पाठ को न्यायालय से छिपाया गया है ।

61. अब इस बात की समीक्षा की जाएगी कि क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतका की मृत्यु अप्राकृतिक थी । हमने यह देखा है कि मृतका की मृत्यु के संबंध में नितांत रूप से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि मृतका को विष दिया गया था । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर में पीड़िता की मृत्यु से पूर्व उसका उपचार करने वाले डाक्टर की विचारण के दौरान परीक्षा नहीं की गई । अभियोजन पक्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपुर

में मृतका को उपलब्ध कराए गए उपचार के संबंध में कोई भी दस्तावेज/कागज-पत्र न्यायालय के अभिलेख पर रखने में असमर्थ रहा है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदनपर में पीड़िता का उपचार करने वाला डाक्टर ऐसा सर्वोत्तम व्यक्ति था, जो उसकी मृत्यु के कारण के संबंध में कुछ जानकारी उपलब्ध करा सकता था और साथ ही वह उस बीमारी के संबंध में भी बता सकता था जिससे मृतका पीड़ित थी । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 5, जो एक डाक्टर है और साथ ही उस चिकित्सा बोर्ड का सदस्य है, जिसने मृतका के शव की शव-परीक्षा की थी, ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे मृतका के शरीर पर किसी प्रकार की कोई मृत्यु-पूर्व क्षति या हिंसा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया । किसी विष का उपयोग करते हुए, बलपूर्वक विष दिए जाने के मामले में पीड़ित की ओर से अवश्य ही किसी प्रकार का कोई संघर्ष और विरोध होना चाहिए तथा उसके शरीर पर इस संघर्ष के कतिपय चिन्ह भी विद्यमान होने चाहिए । जैसा कि ऊपर कथन किया गया है मृतका के शरीर पर किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई चिन्ह विद्यमान नहीं था ।

62. जहां तक मृतका के मुख और नासिका से झाग और दुर्गन्ध आने का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा सही रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उक्त झाग या दुर्गन्ध के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

63. यह सत्य है कि विचारण के दौरान परीक्षा किए गए साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि मृतका के मुख से दुर्गन्ध और झाग आ रहा था, किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान डाक्टर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मिरगी के दौरे की दशा में भी मुख और नासिका से झाग आ सकता है । शव-परीक्षा का संचालन करने वाले डाक्टर ने मृतका के मुख या नासिका से आने वाली किसी प्रकार की दुर्गन्ध के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा है । इसके अतिरिक्त, डाक्टर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि विसरा रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता ।

64. स्वीकार रूप से विसरा को परिरक्षित किया गया था किन्तु उसकी रासायनिक परीक्षा संबंधी रिपोर्ट अभिलेख पर मौजूद नहीं है । उक्त रासायनिक परीक्षा रिपोर्ट की अनुपस्थिति में इस संबंध में परिकल्पना करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता की मृत्यु विष दिए जाने के कारण हुई है ।

65. **शरद बिरद्धीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] और **अनंत चिंतामण लागू** बनाम **बम्बई राज्य**[2] वाले मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसी परिस्थितियों को निर्दिष्ट किया है, जो विष द्वारा मृत्यु को साबित करने हेतु आवश्यक हैं और जो निम्नानुसार हैं :–

> "(i) अभियुक्त के पास मृतक को विष देने का स्पष्ट हेतुक होना चाहिए ;
>
> (ii) इस प्रकार दिया गया विष ही मृत्यु का कारण होना चाहिए ;
>
> (iii) उक्त विष अभियुक्त के कब्जे में होना चाहिए ; और
>
> (iv) अभियुक्त के पास मृतक को विष देने का अवसर होना चाहिए ।"

66. वर्तमान मामले में, हमने यह देखा है कि शव-परीक्षा का संचालन करने वाले डाक्टर ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि विसरा रिपोर्ट की अनुपस्थिति में वह इस संबंध में कोई राय नहीं बना सकता कि मृतका की मृत्यु का कारण क्या था । इस प्रकार शव-परीक्षा रिपोर्ट से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि मृत्यु विष दिए जाने के कारण हुई है । यदि हम इस बात पर विश्वास भी कर लें कि मृतका के मुख और नासिका से झाग बाहर आ रहा था तो भी उक्त झाग के नमूने को एकत्रित नहीं किया गया । डाक्टर ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मिरगी के दौरे की दशा में भी मुख से झाग आ सकता है । मृतका के शरीर पर या अपराध के स्थल पर किसी प्रकार के विष का कोई चिन्ह

---

[1] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

[2] ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 500.

नहीं पाया गया और अपीलार्थी के कब्जे से भी कोई विष बरामद नहीं हुआ ।

67. इस प्रकार, हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने में त्रुटि की है । विचारण न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने में पूरी तरह असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु एक अप्राकृतिक मृत्यु थी । दंड संहिता की धारा 304ख के पूर्वोक्त अनिवार्य घटकों के पूरा न होने के कारण दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि नहीं की जा सकती ।

68. जहां तक दंड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराध का संबंध है, हमारा ध्यान अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत इस अभिसाक्ष्य की ओर जाता है कि इत्तिलाकर्ता की पुत्री का विवाह एक मंदिर में अनुष्ठापित हुआ था । अभियोजन साक्षियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतका और अपीलार्थी एक निर्धन और दबे-कुचले वर्ग से संबंध रखते थे । किसी भी साक्षी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया गया है कि दहेज के रूप में किस वस्तु की मांग की जा रही थी और दहेज की मांग किस समय की गई । साक्षियों द्वारा इस संबंध में अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं कि दहेज की मांग की जा रही थी ।

69. प्रतिपरीक्षा के दौरान साक्षियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मृतका लिखने पढ़ने में सक्षम थी, किन्तु उसने कभी भी अपने माता-पिता या भाई को अपने ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग के संबंध में कोई भी पत्र नहीं लिखा और न ही उसने इस संबंध में कोई पत्र लिखा कि दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण उसके साथ क्रूरता की जा रही है । इसके प्रतिकूल मृतका की माता (अभि. सा. 1) ने अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री विवाह के पश्चात् 4-5 बार अपने मायके आई थी । अभि. सा. 1 ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि वह अपने दामाद का सम्मान करती थी और उसका दामाद भी सम्यक् रूप से उसका सम्मान करता था । अन्य साक्षियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दहेज की मांग या दहेज

की मांग को पूरा न किए जाने के लिए मृतका पर हमला करने के संबंध में पुलिस के समक्ष कोई भी पूर्व शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी ।

70. इसके अतिरिक्त, दहेज की मांग या मृतका के प्रति क्रूरता किए जाने संबंधी अस्पष्ट आरोप बहुप्रयोजन और साधारण प्रकृति के हैं । अपीलार्थी का अभिकथित अपराधों के लिए उसके पिता और माता के साथ विचारण किया गया था । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपीलार्थी के माता और पिता को दंड संहिता की धारा 304ख तथा 498क के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया था ।

71. हमारा मत यह है कि चूंकि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप और उसके विरुद्ध अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य उसी प्रकृति का है जैसा कि उसके पिता और माता के विरुद्ध विद्यमान था, जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है, इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप भी साबित नहीं हुए हैं । चूंकि अपीलार्थी और अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पक्षकथन में कोई अंतर नहीं है इसलिए अपीलार्थी भी दोषमुक्ति के लिए हकदार है ।

72. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-III, औरंगाबाद द्वारा सेशन विचारण सं. 2011 का 75/2014 का 70 में पारित तारीख 7 फरवरी, 2015 के दोषसिद्धि के आदेश और तारीख 12 फरवरी, 2015 के पारिणामिक दंडादेश को अपास्त किया जाता है ।

73. अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 304ख और 498क के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यह निदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है तो उसे तुरंत निर्मुक्त किया जाए ।

74. अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

पु.

शरवण कुमार

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

(2021 की दांडिक एम.एम.ओ. सं. 318)

तारीख 2 अगस्त, 2021

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 [सपठित दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 और मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) – धारा 187] – याची पर यह आरोप लगाया जाना कि उसने अत्यंत उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन से अपने वाहन का चालन करते हुए प्रत्यर्थी की कार में सामने से टक्कर मारी – इस संबंध में याची के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना और विधि के सक्षम न्यायालय में दांडिक कार्यवाहियां आरंभ किया जाना – याची और प्रत्यर्थी के बीच परस्पर समझौता करार होना और उक्त समझौता करार के अनुसार दोनों पक्षकारों द्वारा उनके बीच विद्यमान विवाद का समाधान किया जाना – याची द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए वर्तमान याचिका फाइल किया जाना कि उपरोक्त समझौता करार को स्वीकार करते हुए उसके विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाए – उच्च न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करते हुए और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए अनेक निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि याची के विरुद्ध अभिकथित अपराधों में नैतिक अधमता सम्मिलित नहीं है और उक्त अपराध जघन्य/गंभीर अपराध नहीं है और चूंकि दोनों पक्षकारों के बीच परस्पर समझौता हो गया है इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण है और ऐसी परिस्थिति में दांडिक

कार्यवाहियों को जारी रखे जाने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । अत:, याचिका को स्वीकार करते हुए याची के विरुद्ध दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया गया ।

वर्तमान याचिका का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्तमान कार्यवाहियों में अभिखंडित किए जाने के लिए ईप्सित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रत्यर्थी सं. 5/शिकायतकर्ता, अर्थात् श्री भूपेश कुमार की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसने यह अभिकथन किया है कि तारीख 6 जून, 2016 को जब वह अपनी कार, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. एचपी-25-सी-0990 है, से बिट्टल रामपुर से लौट रहा था तो उसी समय एक ऑल्टो कार, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. एचपी-26-ए-1322 था और जिसका चालन याची/अभियुक्त द्वारा अत्यंत उतावलेपन और लापरवाही से किया जा रहा था, सामने की दिशा से आई और उसने उसकी कार में टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसके वाहन को अत्यधिक नुकसान पहुंचा । यद्यपि, पुलिस ने अन्वेषण कार्य पूरा करने के पश्चात् विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर बुशहर के न्यायालय में उपरोक्त के संबंध में एक चालान प्रस्तुत किया, किन्तु इससे पूर्व कि न्यायालय से संबंधित कार्यवाहियों को किसी तर्कपूर्ण रीति से समाप्त किया जा सकता, याची ने प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता से एक समझौता कर लिया जैसा कि समझौता करार, (अनुलग्नक पी-3) से उपदर्शित होता है और इस प्रकार याची ने वर्तमान कार्यवाहियों के माध्यम से इस न्यायालय से यह प्रार्थना करते हुए संपर्क किया है कि उसके विरुद्ध उपरोक्तानुसार रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और विधि के किसी समक्ष न्यायालय के समक्ष लंबित किन्हीं पारिणामिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को अभिखंडित किया जाए । उच्च न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का मूल्यांकन करते हुए और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए अनेक निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् याचिका को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 19 जुलाई, 2021 के

एक आदेश द्वारा एक सूचना जारी करते हुए यह आवश्यक समझा कि न्यायालय में दोनों पक्षकारों विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जिससे कि अभिलेख पर रखे गए समझौते के सही होने और उसकी वास्तविकता को अभिनिश्चित किया जा सके । उपरोक्त के अतिरिक्त, इस न्यायालय ने विद्वान् अपर महाधिवक्ता को यह भी निदेश दिया कि वे संबंधित पुलिस थाने से दोनों पक्षकारों के बीच हुए पूर्वोक्त समझौते, यदि कोई हो, के तथ्य को सत्यापित करे । पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थी सं. 4/ शिकायतकर्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ है और उसका प्रतिनिधित्व सुश्री किरण धीमन, अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है । प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता ने शपथ लेते हुए यह कथन किया है कि उसने अपने विवेकानुसार तथा बिना किसी बाहरी दवाब के वर्तमान याची के साथ समझौता करार किया है, जिसके माध्यम से दोनों पक्षकारों ने उनके बीच विद्यमान विवाद का सौहार्द्रपूर्ण रूप से समाधान करने का संकल्प लिया है और इसलिए उसे इस बात के प्रति कोई आक्षेप नहीं है यदि वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थना के अनुसार ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और विधि के किसी सक्षम न्यायालय में लंबित किन्हीं पारिणामिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को अभिखंडित किया जाता है । प्रत्यर्थी सं.4/शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि अभिलेख पर रखा गया समझौता करार वास्तविक है और उस पर उसके हस्ताक्षर विद्यमान हैं । उसके कथन को अभिलेख पर रखा गया है । प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त कथन को सुनने के पश्चात् विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने उचित रूप से यह कथन किया है कि यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और साथ ही पारिणामिक कार्यवाहियों, जिन्हें अभिखंडित करने की ईप्सा की गई है, को अभिखंडित न करके उन्हें जारी रखा जाता है तो इससे किसी प्रकार का कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि अन्यथा भी इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 4/ शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन को ध्यान में रखते हुए याची/अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराए जाने की संभावना अत्यंत क्षीण है और इसलिए प्रत्यर्थी-राज्य को इस संबंध में कोई आक्षेप नहीं है, यदि वर्तमान याचिका को मंजूर करते हुए उसमें की गई प्रार्थना को स्वीकार

किया जाता है । इस न्यायालय को, समझौता करार, जिसे दोनों पक्षकारों के बीच सम्यक् रूप से निष्पादित किया गया है, का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा की गई इस प्रार्थना में सारवान् बल प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में अंतर्वलित अपराधों के संबंध में उनका शमन किए जाने संबंधी आदेश जारी किया जा सकता है । यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी उच्च न्यायालय के पास ऐसे मामलों में भी, जो शमनीय नहीं हैं, दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान हैं, किन्तु ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग यदा-कदा और अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए । अपने अनेक निर्णयों के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते समय शमन किए जाने के लिए ईप्सित अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर सम्यक् रूप से विचार करना चाहिए । यद्यपि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मानसिक दुराचारिता को अंतर्वलित करने वाले जघन्य और गंभीर अपराधों तथा हत्या, बलात्संग, डकैती जैसे अपराधों में दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करना उचित नहीं कहा जा सकता, चाहे ऐसे किसी मामले में पीड़ित या पीड़ित के कुटुम्ब ने अपराधी/अभियुक्त व्यक्ति के साथ कोई समझौता कर लिया हो, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षण किया है कि उपरोक्त शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को इस प्रश्न की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या दांडिक कार्यवाहियों में दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण है और दांडिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त व्यक्ति पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और दांडिक मामले पर अभिखंडित न किए जाने के कारण उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय कोई उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित हो सकता है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप उनमें सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होंगे जिससे उनके भावी संबंधों में सुधार आएगा । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 उच्च न्यायालय की किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण

करने या न्याय के हितों की संरक्षा करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों को परिरक्षित करती है और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की शक्ति ऐसे अपराधों के संबंध में भी लागू होती है जो शमनीय प्रकृति के नहीं हैं । इस संबंध में कोई राय बनाते समय कि क्या किसी दांडिक कार्यवाही या परिवाद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अभिखंडित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, किसी उच्च न्यायालय को इस प्रश्न का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उक्त अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न्याय के हित के लिए न्यायोचित है अथवा नहीं । वर्तमान मामले में भी, याची द्वारा अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में नैतिक अधमता को सम्मिलित करने वाला कोई अपराध या कोई गंभीर/जघन्य अपराध सम्मिलित नहीं है, इसके विपरीत वर्तमान मामले में केवल छिटपुट अपराध सम्मिलित है, इसलिए उच्च न्यायालय इस बात को उपयुक्त समझता है कि वर्तमान मामले में संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों ने स्वयंमेव इस मामले में परस्पर समझौता कर लिया है और ऐसी स्थिति में अभियुक्त की दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण है और दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । चूंकि पक्षकारों के बीच वर्तमान मामले के संबंध में समझौता हो गया है और प्रत्यर्थी सं. 4 याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है इसलिए प्रत्यर्थी सं. 4 के निमित्त आरंभ की गई मामले संबंधी कार्यवाहियों को जारी रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और इसलिए याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जा सकता है । परिणामतः, याचिका में अंतर्विष्ट प्रकथनों और साथ ही पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए कि मामले में परस्पर समझौता हो गया है और साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत और साथ ही दोनों पक्षकारों के बीच हुआ समझौता वास्तविक है, इस न्यायालय के समझौते को स्वीकार करने तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा साथ ही विधि के सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है ।

तद्नुसार, निर्णय में ऊपर की गई ब्यौरेवार परिचर्चा को और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए मोटर यान अधिनियम की धारा 187 और दंड संहिता की धारा 279 के अधीन पुलिस थाना रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत वर्ष 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 0116, तारीख 6 जून, 2016 और साथ ही विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के न्यायालय में न्याय-निर्णय के लिए लंबित पारिणामिक अभियोजन कार्यवाहियों को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । वर्तमान याचिका को पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर किया जाता है । लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है । (पैरा 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019] (2019) 5 एस. सी. सी. 688 =
ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1296 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **लक्ष्मी नारायण** ; 10

[2017] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 4843 :
परबत भाई अहीर उर्फ **परबत भाई भीमसिंह भाई कारमूर और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** ; 9

[2016] (2016) 1 एस. सी. सी. 376 =
ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3691 :
तमिलनाडु राज्य बनाम **आर. वसंती स्टेनली** ; 11

[2014] (2014) 6 एस. सी. सी. 466 =
2014 क्रिमिनल ला जर्नल 2436 एस. सी. :
नरिन्दर सिंह और अन्य बनाम
पंजाब राज्य और अन्य ; 7,8,9

[2013] (2013) 11 एस. सी. सी. 497 =
ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 518 :
डिम्पी गुजराल और अन्य बनाम **संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक के माध्यम से, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ और अन्य** ; 8

[2012] (2012) 10 एस. सी. सी. 303 =
2012 क्रिमिनल ला जर्नल 4934 एस. सी. :
ज्ञान सिंह बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** । 8

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2021 की दांडिक एम.एम.ओ. सं. 318.

वर्तमान दांडिक याचिका के माध्यम से याची द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि उसके विरुद्ध पुलिस थाना रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत तारीख 6 जून, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 0116 और उसकी पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाए ।

याची की ओर से श्री गुरदेव सिंह और श्री राजीव राय

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री सुधीर भटनागर और देशराज ठाकुर, अपर महाधिवक्ता, नरेन्द्र ठाकुर, उप महाधिवक्ता और सुश्री किरण धीमन सहित

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 482 के अधीन वर्तमान याचिका फाइल करके याची ने उच्च न्यायालय से यह प्रार्थना की है कि उसके विरुद्ध पुलिस थाना रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमालच प्रदेश में मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 187 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 279 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वर्ष 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 0116, तारीख 6 जून, 2016 को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है और साथ ही याची ने विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के न्यायालय में लंबित पारिणामिक न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को भी इस आधार पर अभिखंडित करने की प्रार्थना की है कि दोनों पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया है ।

2. अभिलेख से सामने आने वाले मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्तमान कार्यवाहियों में अभिखंडित किए जाने के लिए

ईप्सित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रत्यर्थी सं. 5/शिकायतकर्ता, अर्थात् श्री भूपेश कुमार की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसने यह अभिकथन किया है कि तारीख 6 जून, 2016 को जब वह अपनी कार, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. एचपी-25-सी-0990 है, से बिट्टल रामपुर से लौट रहा था तो उसी समय एक ऑल्टो कार, जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. एचपी-26-ए-1322 था और जिसका चालन याची/अभियुक्त द्वारा अत्यंत उतावलेपन और लापरवाही से किया जा रहा था, सामने की दिशा से आई और उसने उसकी कार में टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसके वाहन को अत्यधिक नुकसान पहुंचा । यद्यपि, पुलिस ने अन्वेषण कार्य पूरा करने के पश्चात् विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर बुशहर के न्यायालय में उपरोक्त के संबंध में एक चालान प्रस्तुत किया, किन्तु इससे पूर्व कि न्यायालय से संबंधित कार्यवाहियों को किसी तर्कपूर्ण रीति से समाप्त किया जा सकता, याची ने प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता से एक समझौता कर लिया जैसा कि समझौता करार, (अनुलग्नक पी-3) से उपदर्शित होता है और इस प्रकार याची ने वर्तमान कार्यवाहियों के माध्यम से इस न्यायालय से यह प्रार्थना करते हुए संपर्क किया है कि उसके विरुद्ध उपरोक्तानुसार रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और विधि के किसी समक्ष न्यायालय के समक्ष लंबित किन्हीं पारिणामिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को अभिखंडित किया जाए ।

3. इस न्यायालय ने अपने तारीख 19 जुलाई, 2021 के एक आदेश द्वारा एक सूचना जारी करते हुए यह आवश्यक समझा कि न्यायालय में दोनों पक्षकारों विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जिससे कि अभिलेख पर रखे गए समझौते के सही होने और उसकी वास्तविकता को अभिनिश्चित किया जा सके । उपरोक्त के अतिरिक्त, इस न्यायालय ने विद्वान् अपर महाधिवक्ता को यह भी निदेश दिया कि वे संबंधित पुलिस थाने से दोनों पक्षकारों के बीच हुए पूर्वोक्त समझौते, यदि कोई हो, के तथ्य को सत्यापित करे ।

4. पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता न्यायालय में उपस्थित हुआ है और उसका प्रतिनिधित्व सुश्री किरण

धीमन, अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है । प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता ने शपथ लेते हुए यह कथन किया है कि उसने अपने विवेकानुसार तथा बिना किसी बाहरी दबाव के वर्तमान याची के साथ समझौता करार किया है, जिसके माध्यम से दोनों पक्षकारों ने उनके बीच विद्यमान विवाद का सौहार्दपूर्ण रूप से समाधान करने का संकल्प लिया है और इसलिए उसे इस बात के प्रति कोई आक्षेप नहीं है यदि वर्तमान याचिका में की गई प्रार्थना के अनुसार ऊपर उल्लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और विधि के किसी सक्षम न्यायालय में लंबित किन्हीं पारिणामिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को अभिखंडित किया जाता है । प्रत्यर्थी सं.4/शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि अभिलेख पर रखा गया समझौता करार वास्तविक है और उस पर उसके हस्ताक्षर विद्यमान हैं । उसके कथन को अभिलेख पर रखा गया है ।

5. प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त कथन को सुनने के पश्चात् विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने उचित रूप से यह कथन किया है कि यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और साथ ही पारिणामिक कार्यवाहियों, जिन्हें अभिखंडित करने की ईप्सा की गई है, को अभिखंडित न करके उन्हें जारी रखा जाता है तो इससे किसी प्रकार का कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह भी दलील प्रस्तुत की है कि अन्यथा भी इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 4/शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कथन को ध्यान में रखते हुए याची/अभियुक्त को सिद्धदोष ठहराए जाने की संभावना अत्यंत क्षीण है और इसलिए प्रत्यर्थी राज्य को इस संबंध में कोई आक्षेप नहीं है, यदि वर्तमान याचिका को मंजूर करते हुए उसमें की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है ।

6. इस न्यायालय को, समझौता करार, जिसे दोनों पक्षकारों के बीच सम्यक् रूप से निष्पादित किया गया है, का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा की गई इस प्रार्थना में सारवान् बल प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में अंतर्वलित अपराधों के संबंध में उनका शमन किए जाने संबंधी आदेश जारी किया जा सकता है ।

7. चूंकि वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई है इसलिए यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नरिन्दर सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में पारित निर्णय के आलोक में वर्तमान याचिका पर विचार करना उचित समझता है, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझौता करार को स्वीकार करने और कार्यवाहियों को अभिखंडित करने या दांडिक प्रक्रियाओं को जारी रखने के निदेश के साथ समझौता करार को स्वीकार किए जाने से इनकार करने संबंधी दिशा-निर्देश सूत्रबद्ध किए थे । ऊपरनिर्दिष्ट निर्णय का परिशीलन करने से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा 29(1) में ये निष्कर्ष निकाले हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रदत्त शक्ति, उस शक्ति से भिन्न है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधों का शमन करने के लिए न्यायालय में निहित है । निस्संदेह रूप से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन किसी उच्च न्यायालय के पास दांडिक कार्यवाहियों, जिनमें ऐसे मामले भी सम्मिलित हैं, जो शमनीय नहीं हैं, को उस समय अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान है, जहां पक्षकारों ने स्वयं मामले में कोई समझौता कर लिया है । तथापि, इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए करना होगा :–

> "29. उपरोक्त परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए हम निम्नलिखित सिद्धांतों को अधिकथित करते हैं, जो किसी उच्च न्यायालय को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के संबंध में पर्याप्त रूप से कार्यवाही करने तथा उक्त समझौते को स्वीकार करते हुए तथा कार्यवाहियों को अभिखंडित करते हुए या दांडिक प्रक्रियाओं को जारी रखने के निदेश के साथ समझौता करार को स्वीकार किए जाने से इनकार करते समय और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग किए जाने के संबंध में मार्गदर्शित करेंगे :–

[1] (2014) 6 एस. सी. सी. 466 = 2014 क्रिमिनल ला जर्नल 2436 (एस. सी.).

29.1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रदत्त शक्ति, उस शक्ति से भिन्न है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधों का शमन करने के लिए न्यायालय में निहित है । निस्संदेह रूप से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन किसी उच्च न्यायालय के पास दांडिक कार्यवाहियों, जिनमें ऐसे मामले भी सम्मिलित हैं, जो शमनीय नहीं हैं, को उस समय अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान है, जहां पक्षकारों ने स्वयं मामले में कोई समझौता कर लिया है । तथापि, इस शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक और यदा-कदा ही करना चाहिए ।

29.2 जब पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है और उस आधार पर दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए कोई याचिका फाइल की जाती है तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक निम्नानुसार होंगे –

(i) न्याय के हित को सुनिश्चित करना, या

(ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करना । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय किसी उच्च न्यायालय को उपरोक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक के आधार पर अपनी राय बनानी होगी ।

29.3 ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग ऐसी अभियोजन कार्यवाहियों में कदापि नहीं किया जाएगा जिनमें मानसिक दुराचारिता के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्संग, डकैती आदि जैसे अपराध अंतर्वलित हैं । ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और उनका समाज पर गंभीर प्रभाव होता है । इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) जैसे विशेष कानूनों के अधीन अभिकथित रूप से किए गए अपराधों या लोक सेवकों द्वारा, उस हैसियत में कार्य करते हुए किए गए अपराधों को भी केवल इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा

सकता कि पीड़ित व्यक्ति और अपराधी के बीच कोई समझौता हो गया है ।

29.4 दूसरी ओर, ऐसे दांडिक मामलों, जो मुख्य रूप से और प्रमुख रूप से सिविल प्रकृति के हैं, विशेष रूप से ऐसे आपराधिक मामले जो वाणिज्यिक संव्यवहारों से उद्भूत हुए हैं या ऐसे मामले जो वैवाहिक नातेदारी या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हैं, उस समय अभिखंडित किए जाने चाहिए जब पक्षकार, उनके बीच विद्यमान संपूर्ण विवादों का स्वयमेव समाधान कर लेते हैं ।

29.5 उक्त धारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय किसी उच्च न्यायालय को इस बात की परीक्षा करनी होगी कि क्या ऐसे किसी विशिष्ट मामले में दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण और निम्न है तथा दांडिक मामले को जारी रखना अभियुक्त के लिए अत्यधिक संताप को उत्पन्न करने वाला और दांडिक मामलों को अभिखंडित न किए जाने के कारण अभियुक्त पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके प्रति घोर अन्याय होगा ।

29.6 दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आने वाले अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों के प्रवर्ग के अंतर्गत आते हैं और इसलिए उन्हें साधारण रूप से समाज के विरुद्ध किए गए अपराध के रूप में माना जाता है और न कि केवल किसी एक व्यष्टि के विरुद्ध किए गए अपराध के रूप में समझा जाता है । तथापि, कोई उच्च न्यायालय अपना निर्णय मात्र इस आधार पर तैयार नहीं करेगा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दंड संहिता की धारा 307 का उल्लेख किया गया है या इस उपबंध के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए हैं । उच्च न्यायालय का यह विवेकाधिकार होगा कि वह इस संबंध में परीक्षा करे कि क्या दंड संहिता की धारा 307 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में केवल नाम के लिए वर्णित किया गया है या अभियोजन पक्ष ने ऐसे पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं, जिन्हें यदि साबित कर दिया जाता है तो दंड

संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप को साबित किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय को इस संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा कि वह ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आहत व्यक्ति को हुई क्षति की प्रकृति का अवलोकन करे, इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या ऐसी क्षति आहत व्यक्ति के शरीर के मुख्य/नाजुक अंगों पर कारित की गई है और उक्त क्षति कारित करने के लिए किस प्रकार और प्रकृति के हथियारों का प्रयोग किया गया है । साधारण रूप से आहत व्यक्ति को कारित की गई क्षतियों से संबंधित चिकित्सा रिपोर्ट भी मार्गदर्शक कारक के रूप में विचार में ली जा सकती है । इस प्रथमदृष्ट्या विश्लेषण के आधार पर उच्च न्यायालय इस बात की परीक्षा कर सकता है कि क्या किसी विशिष्ट मामले में दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है या दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण और निम्न है । पूर्वतर मामले में उच्च न्यायालय समझौते को स्वीकार करने तथा दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने से इनकार कर सकता है जबकि पश्चात्वर्ती मामले में उच्च न्यायालय के लिए यह अनुज्ञेय होगा कि वह पक्षकारों के बीच हुए संपूर्ण समझौते के आधार पर अपराध का शमन करने के अभिवाक् को स्वीकार करे । इस प्रक्रम पर न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित हो सकता है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होंगे जिससे उनके भावी संबंधों में सुधार होगा ।

29.7 इस संबंध में विनिश्चय करते समय कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाए अथवा नहीं, किसी उच्च न्यायालय के लिए समझौते का समय भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । ऐसे मामलों में, जहां समझौता अपराध के अभिकथित करण के तुरंत पश्चात् ऐसे समय पर हो जाता है जबकि मामला अन्वेषणाधीन है, तो ऐसी दशा में उच्च न्यायालय दांडिक कार्यवाहियों/अन्वेषण को अभिखंडित करने के लिए समझौते को स्वीकार करने में उदारतापूर्ण

राय बना सकता है । ऐसा इस कारणवश किया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रक्रम पर अन्वेषण अभी पूरा नहीं हुआ है और आरोप पत्र भी फाइल नहीं किया गया है । इसी भांति, ऐसे मामलों में जहां आरोप विरचित कर दिए गए हैं किन्तु विचारण न्यायालय में साक्ष्य का प्रक्रम अभी आरंभ नहीं हुआ है या यदि आरंभ हुआ है तो अभी वह आरंभिक प्रक्रम पर ही है तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय उदारता दर्शित करते हुए समझौते को स्वीकार किए जाने के पक्ष में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है किन्तु ऐसा ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों/सामग्री के प्रथमदृष्ट्या मूल्यांकन के पश्चात् ही किया जाना चाहिए । दूसरी ओर, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है या संपूर्ण साक्ष्य संबंधी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और मामला अंतिम बहस के प्रक्रम पर है तो ऐसी दशा में सामान्यत: किसी उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय गुणागुण के आधार पर अंतिम रूप से मामले का विनिश्चय करने और इस संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होगा कि क्या दंड संहिता की धारा 307 के अधीन कोई अपराध किया गया है अथवा नहीं । इसी प्रकार, ऐसे मामलों में, जहां विचारण न्यायालय ने पहले ही दोषसिद्धि संबंधी निर्णय जारी कर दिया है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के प्रक्रम पर है तो केवल पक्षकारों के बीच कोई समझौता करार हो जाने के आधार पर दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करके ऐसे दोषी व्यक्ति/अपराधी को दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सिद्धदोष ठहरा दिया गया है । ऐसे मामले में दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप साबित कर दिया गया है और किसी जघन्य अपराध के संबंध में दोषसिद्धि को पहले ही लेखबद्ध कर दिया गया है और इसलिए ऐसे किसी अपराध के करण का दोषी पाए गए सिद्धदोष व्यक्ति को निर्मुक्त किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।"

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ज्ञान सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**

और अन्य[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी उच्च न्यायालय में किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या किसी शिकायत को अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति किसी दांडिक न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधों का शमन करने की शक्ति से भिन्न है । **नरिन्दर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा उसके सामाजिक प्रभाव पर सम्यक् रूप से विचार करना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों को मानसिक दुराचारिता, हत्या, बलात्संग, डकैती आदि जैसे जघन्य तथा गंभीर अपराधों में दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग न करने हेतु सावधान किया है । तथापि, उसके पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने **डिम्पी गुजराल और अन्य** बनाम **संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक के माध्यम से, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ और अन्य**[2] वाले मामले में भी निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> "7. इस न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में पक्षकारों द्वारा किए गए परस्पर समझौता करार को ध्यान में रखते हुए प्रथम इत्तिला रिर्पोटों को अभिखंडित किया है, हालांकि उनमें से कुछ अशमनीय अपराध थे । इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने उपरोक्त निर्णयों के सही होने के संबंध में अपने संदेह को अभिव्यक्त किया था । विद्वान् न्यायाधीशों को यह महसूस हुआ था कि उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय ने अशमनीय अपराधों का शमन करने की अनुमति प्रदान की है । अतः, उक्त विवाद्यक को एक बड़ी न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया । माननीय उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी न्यायपीठ ने **ज्ञान सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों और इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया और निम्नानुसार अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए (एस. सी. पृष्ठ 342-43, पैरा 61) :–

---

[1] (2012) 10 एस. सी. सी. 303 = 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 4934 (एस. सी.).

[2] (2013) 11 एस. सी. सी. 497 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 518.

'61. उपरोक्त परिचर्चा से जो स्थिति सामने आती है उसे संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है – किसी उच्च न्यायालय की, उसमें अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी दांडिक कार्यवाही या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या परिवाद को अभिखंडित करने की शक्ति उस शक्ति से सर्वथा भिन्न है जो किसी दांडिक न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधों का शमन करने के लिए प्रदत्त की गई है । अंतर्निहित शक्ति का विस्तार व्यापक है और उस पर कोई कानूनी परिसीमाएं भी विहित नहीं की गई हैं, किन्तु उक्त शक्ति का प्रयोग, ऐसी शक्ति में अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अर्थात् (i) न्याय के हित को सुनिश्चित करने के लिए ; या (ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए । किस प्रकार के मामलों में, जहां अपराधी और पीड़ित व्यक्ति ने परस्पर समझौता करके अपने विवाद का समाधान कर लिया है, दांडिक कार्यवाही या परिवाद या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अभिखंडित करने के लिए उपरोक्त शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, यह प्रश्न प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होगा और इस संबंध में किसी प्रकार के प्रवर्ग को विहित नहीं किया जा सकता । तथापि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व किसी उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर सम्यक् रूप से विचार करना होगा । जघन्य और गंभीर अपराध न केवल व्यष्टि पर अपितु समाज पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं । इसी प्रकार, विशेष कानूनों जैसे कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों या लोक सेवकों द्वारा, अपनी उपरोक्त हैसियत में कार्रवाई करते समय किए जाने वाले अपराधों आदि के संबंध में पीड़ित व्यक्ति और अपराधी के बीच किया गया कोई समझौता ऐसे किसी अपराध को अंतर्वलित करने वाली दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने का आधार नहीं बन सकता । किन्तु, ऐसे

आपराधिक मामलों में जिनमें प्रमुख और मुख्य रूप से सिविल प्रकृति के विवाद्यक अंतर्वलित हैं, अभिखंडन के प्रयोजनों के लिए एक पृथक् प्रवर्ग के अधीन आते हैं, विशेष रूप से ऐसे अपराध, जो वाणिज्यिक, वित्तीय, वाणिज्य, सिविल, भागीदारी या ऐसे ही समान प्रकृति के संव्यवहारों से उद्भूत होते हैं या दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक विवादों से उद्भूत होने वाले अपराध या ऐसे पारिवारिक विवादों से उद्भूत होने वाले अपराध, जहां अपराध मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया है । इस प्रवर्ग के मामलों में, उच्च न्यायालय उस समय दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित कर सकेगा, यदि उसका यह मत है कि चूंकि अपराधी और पीड़ित व्यक्ति के बीच समझौता करार हो गया है और इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि संभावना अत्यंत क्षीण और निम्न है तथा आपराधिक मामले को जारी रखे जाने से अभियुक्त को अत्यधिक अवसाद और प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित व्यक्ति के साथ पूर्ण और अंतिम समाधान और समझौता करने के बावजूद यदि अभियुक्त के विरुद्ध जारी की गई दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित नहीं किया जाता है तो इससे उस पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा । अन्य शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखना न्याय के हित के प्रति पक्षपातपूर्ण या प्रतिकूल है या दांडिक कार्यवाही को जारी रखने से, पीड़ित और गलत कार्य करने वाले व्यक्ति के बीच समाधान और समझौते के बावजूद यह विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के तत्समान होगा तथा क्या न्याय के हित को सुनिश्चित करने के लिए यह समुचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त किया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है तो उच्च न्यायालय दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करके अपनी अधिकारिता का उल्लंघन नहीं करेगा ।'

8. **ज्ञान सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के उपरोक्त संप्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए, हम यह महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा मामला है कि जहां दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखना विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के तत्समान होगा क्योंकि अभिकथित अपराध ऐसे जघन्य अपराध नहीं हैं, जिनमें अत्यधिक मानसिक दुराचारिता को उपदर्शित किया गया हो और न ही उनकी प्रकृति ऐसी है कि उन्हें समाज के विरुद्ध माना जाए । उपरोक्त मामले में अंतर्वलित अपराध व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और उन्हें समाप्त करने से दोनों पक्षों के बीच शांति और परस्पर सौहार्द स्थापित होगा । मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाना सेक्टर-3, चंडीगढ़ में दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 307, 452 और 506 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 163, तारीख 26 अक्तूबर, 2006 और उससे उद्भूत होने वाली पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों, जिनके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट भी है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप भी हैं, को अभिखंडित किया जाता है ।"

9. हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **परबत भाई अहीर** उर्फ **परबत भाई भीमसिंह भाई कारमूर और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[1] वाले मामले, जो वर्ष 2016 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 9549 से उद्भूत होने वाली 2017 की दांडिक अपील सं. 1723 से संबंधित है, में तारीख 4 अक्तूबर, 2017 को पारित अपने नवीनतम निर्णय में **नरिन्दर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित सिद्धांतों/संनियमों को दोहराया है, जो समझौते को स्वीकार करने तथा कार्यवाहियों को अभिखंडित करने से संबंधित हैं । उक्त निर्णय के पैरा 13 को यहां नीचे उद्धृत करना सुसंगत होगा, जो निम्नानुसार है :–

"13. इसी सिद्धांत को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो **बनाम** मनिन्दर सिंह [(2016) 1 एस. सी. सी. 389 = ए. आई. आर. 2015 एस.

[1] ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 4843.

सी. 3657] वाले मामले में इस न्यायालय के दो विद्वान् न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा अनुसरित किया गया था । उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित धारा 420, 467, 468, और 471 के अधीन दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया था । न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (तत्कालीन विद्वान् मुख्य न्यायमूर्ति) ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा फाइल की गई अपील को स्वीकार करते हुए यह संप्रेक्षण किया कि वर्तमान मामले में बैंक की निधियों का गबन करने के लिए दस्तावेजों की कूटरचना किया जाना अंतर्वलित है । ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य कि विवाद का बैंक के साथ समाधान हो गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग को उचित नहीं ठहराता है –

> '... आर्थिक अपराधों का विचारण करने वाले किसी न्यायालय को न केवल इस बात को विचार में लेना चाहिए कि बैंक को ऐसे किसी धन का संदाय किया गया है जिसे कपटपूर्वक प्राप्त किया गया था अपितु इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह अपराध संपूर्ण समाज के विरुद्ध है । यह किसी छुट-पुट रकम की चोरी या किसी साधारण हमले से संबंधित कोई मामला नहीं है, अपितु यह एक ऐसा मामला है जिसके संबंध में भलीभांति योजना बनाई गई थी और उस योजना को कार्यान्वित करते हुए जानबूझकर समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामों की अनदेखी करते हुए तथा निजी लाभ को ध्यान में रखते हुए अपराध कारित किया गया था । केवल इस आधार पर कि अभियुक्त ने बैंक के साथ रकम से संबंधित समझौता कर लिया है, दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करना, अभियुक्तों के प्रति अनुचित दया दिखाने के तत्समान है । यदि आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे पूर्ण समुदाय व्यथित होगा ।'

14. तमिलनाडु राज्य **बनाम** आर. वसंती स्टेनली [(2016) 1 एस. सी. सी. 376 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3691] वाले मामले में दिए गए एक पश्चातवर्ती निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रथम प्रत्यर्थी एक महिला थी 'जो अपने पति द्वारा दिए गए अनुदेशों का अनुसरण कर रही थी' और उसने कतिपय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे किन्तु वह उस कपट की प्रकृति के संबंध में अनजान थी, जो बैंक के साथ किया जा रहा था । उक्त दलील को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–

> '... आर्थिक अपराधों के संबंध में जागरूकता और जानकारी की कमी या आशय पर कभी भी न तो विचार किया जाता है और न ही उसे स्वीकार किया जाता है । लिंग भेद को अग्रसर करते हुए इस प्रकार प्रस्तुत की गई उपरोक्त प्रभाव की दलील हमें प्रभावित नहीं करती है । दांडिक विधि के अधीन किया गया कोई भी अपराध, अपराध ही है और वह किसी अभियुक्त के लिंग पर निर्भर नहीं करता । यह सत्य है कि दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 437 आदि के अधीन अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों को विहित किया गया है किन्तु वह एक पूर्ण भिन्न क्षेत्र से संबंधित है । हत्या करने वाला कोई व्यक्ति किसी वित्तीय घोटाले या दस्तावेजों की कूट रचना में संलिप्त कोई व्यक्ति अपने लिंग के आधार पर निर्मुक्त किए जाने या दोषमुक्त किए जाने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह न तो सांविधानिक रूप से और न ही कानूनी रूप से विधिमान्य तर्क है । वर्तमान मामले में अपराध लिंग संबंधी कोई भेदभाव नहीं करता है । इस संबंध में, हमें और कुछ नहीं कहना है ...।'
>
> '...किसी गंभीर दांडिक अपराध या घोर आर्थिक अपराध या किसी अपराध को, जिसके द्वारा संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए कि विचारण में विलंब

हुआ है या उसे इस सिद्धांत पर भी अभिखंडित नहीं किया जा सकता कि मामले में समझौता किया गया है और उसका समाधान हो गया है तो प्रणाली पर भार को कम करने के लिए उसे अभिखंडित किया जाना चाहिए ....।'

15. इस विषय पर दिए गए पूर्व-निर्णयों से व्यापक रूप से सामने आने वाले सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप से संक्षिप्ततः प्रतिपादित किया जा सकता है –

(i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 किसी उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को इसलिए परिलक्षित करती है ताकि न्यायालय की किसी प्रक्रिया का दुरुपयोग न किया जा सके या न्याय के हित को सुरक्षित किया जा सके । उक्त उपबंध उच्च न्यायालय को किसी प्रकार की कोई नई शक्ति प्रदत्त नहीं करता है । उक्त उपबंध केवल उच्च न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति को मान्यता प्रदान करता है तथा उसे परिलक्षित करता है ;

(ii) इस आधार पर कि अपराधी और पीड़ित व्यक्ति के बीच कोई समझौता हो गया है, किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या किसी दांडिक प्रक्रिया को अभिखंडित करने हेतु उच्च न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब लिया जाना, किसी अपराध का शमन करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता का अवलंब लिए जाने का तत्समान नहीं है । किसी अपराध का शमन करते समय कोई न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में अंतर्विष्ट उपबंधों से शासित होता है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की शक्ति का अवलंब उस दशा में लिया जाता है जब अपराध अशमनीय हो ;

(iii) इस संबंध में राय बनाने के लिए कि क्या किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों या परिवाद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए

अभिखंडित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, उच्च न्यायालय को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि उक्त अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग से न्याय के हित की पूर्ति होगी ;

(iv) यद्यपि, उच्च न्यायालय के पास व्यापक अंतर्निहित शक्ति है, फिर भी इस प्रभाव का उपबंध किया गया है कि उक्त शक्ति का प्रयोग, (i) न्याय के हित को सुरक्षित करने ; या (ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए किया जाना चाहिए ;

(v) यह प्रश्न कि क्या किसी परिवाद या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को इस आधार पर अभिखंडित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, कि अपराधी और पीड़ित व्यक्ति के बीच विवाद का समाधान हो गया है, अंततोगत्वा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इस संबंध में कोई व्यापक सिद्धांत सूत्रबद्ध नहीं किए जा सकते ;

(vi) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते समय तथा इस अभिवाक् के संबंध में कार्यवाही करते समय कि विवाद का समाधान हो गया है, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर सम्यक् रूप से विचार करना चाहिए । जघन्य और गंभीर अपराधों, जिनमें मानसिक दुराचारिता को अंतर्वलित करने वाले अपराध या हत्या, बलात्संग और डकैती जैसे अपराध सम्मिलित हैं, को उपयुक्त रूप से अभिखंडित नहीं किया जा सकता, चाहे ऐसे किसी मामले में पीड़ित या पीड़ित व्यक्ति के कुटुम्ब ने अपराधी के साथ विवाद का समाधान करते हुए कोई समझौता कर लिया हो । सत्य रूप से ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं हैं अपितु उनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है । ऐसे मामलों में विचारण को जारी रखने का निर्णय लोक हित के ऐसे सिद्धांत और इस कारक पर आधारित है कि ऐसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडादिष्ट किया जाना चाहिए ;

(vii) गंभीर अपराधों से पूर्णत: भिन्न ऐसे दांडिक मामले हो सकते हैं जिनमें मुख्य या प्रमुख रूप से सिविल प्रकृति का विवाद अंतर्वलित है । जहां तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने संबंधी उच्च न्यायालय में अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग का संबंध है, उपरोक्त प्रकृति के अपराध पूर्णत: भिन्न प्रवर्ग से संबंधित हैं ;

(viii) वाणिज्यिक, वित्तीय, वाणिज्य, भागीदारी या समान प्रकार के संव्यवहारों से उद्भूत होने वाले अपराधों को अंतर्वलित करने वाले दांडिक मामलों में अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति का विवाद अंतर्वलित होता है और ऐसे मामलों में जहां पक्षकारों के बीच परस्पर विवाद का समाधान हो गया है तो ऐसी दशा में दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करना उचित होगा ;

(ix) ऐसे किसी मामले में उच्च न्यायालय उस समय दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित कर सकता है, यदि उसके मतानुसार पक्षकारों के बीच विद्यमान विवाद के संबंध में समझौता हो गया है और दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण प्रतीत होती है और दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने से अभियुक्त व्यक्ति पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(x) ऊपर कथित पैरा (viii) और (ix) में अधिकथित सिद्धांतों का एक अपवाद भी विद्यमान है । राज्य की वित्तीय और आर्थिक उन्नति को प्रभावित करने वाले आर्थिक अपराधों, जिनकी विवक्षाएं पक्षकारों के बीच निजी प्रकृति के विवादों से परे जाती हैं, से संबंधित दांडिक कार्यवाहियों के शमन के संबंध में इस अपवाद को प्रतिपादित किया गया है । यदि उच्च न्यायालय ऐसे किसी मामले में दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने से इनकार करता है, जहां अपराधी किसी वित्तीय या आर्थिक कपट या दुराचार के तत्समान किसी क्रियाकलाप में संलिप्त है तो उच्च न्यायालय ऐसा करने में

पूर्णत: न्यायोचित कार्य करेगा । इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि ऐसे आपराधिक कार्य के वित्तीय या आर्थिक प्रणाली पर किस प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है और इस बात का मूल्यांकन करते हुए उक्त अधिकारिता का प्रयोग किया जाना चाहिए ।"

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **लक्ष्मी नारायण**[1] वाले मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

"15. इस विवाद्यक संबंधी विधि और इस विवाद्यक के संबंध में इस न्यायालय के अन्य निर्णयों, जिन्हें ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, पर विचार करते हुए यह संप्रेक्षण किया जाता है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता है –

15.1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन, उक्त संहिता की धारा 320 के अंतर्गत आने वाले अशमनीय अपराधों के लिए दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने हेतु प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ऐसे मामलों में किया जा सकता है जिनमें मुख्य और प्रमुख रूप से सिविल प्रकृति के विवाद्यक सम्मिलित हैं, विशेष रूप से ऐसे मामले, जो वाणिज्यिक संव्यवहारों उदभूत हुए हैं या वैवाहिक विवादों से उत्पन्न हुए हैं या कुटुम्ब संबंधी विवादों से उद्भूत हुए हैं और जब पक्षकारों ने संपूर्ण विवाद का स्वयमेव समाधान कर लिया हो ।

15.2 इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग ऐसे अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें मानसिक दुराचारिता के जघन्य और गंभीर अपराध सम्मिलित हैं या जिनमें हत्या, बलात्संग, डकैती आदि जैसे घोर अपराध सम्मिलित हैं । ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं माने जा सकते और ऐसे अपराधों पर समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है ।

15.3 इसी प्रकार, ऐसी शक्ति का प्रयोग भ्रष्टाचार निवारण

[1] (2019) 5 एस. सी. सी. 688 = ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1296.

अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराधों या लोक सेवकों द्वारा अपनी उपरोक्त हैसियत में कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में नहीं किया जा सकता और ऐसे अपराधों से संबंधित दांडिक कार्यवाहियों को केवल इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति और अपराधी के बीच कोई समझौता हो गया है ।

15.4 दंड संहिता की धारा 307 और आयुध अधिनियम आदि के अंतर्गत आने वाले अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आएंगे और इसलिए उन्हें समाज के विरुद्ध अपराध के रूप में माना जाएगा और न कि किसी विशिष्ट व्यष्टि के विरुद्ध किया गया अपराध और इसलिए दंड संहिता की धारा 307 और/या आयुध अधिनियम आदि के अंतर्गत आने वाले अपराधों, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, से संबंधित दांडिक कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आधार पर अभिखंडित नहीं किया जा सकता कि पक्षकारों ने स्वयमेव उनके बीच विद्यमान संपूर्ण विवादों का समाधान कर लिया है । तथापि, कोई उच्च न्यायालय अपना निर्णय केवल इस तथ्य पर आधारित नहीं करेगा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दंड संहिता की धारा 307 का उल्लेख किया गया है या उक्त उपबंध के अधीन कोई आरोप विरचित किया गया है । किसी उच्च न्यायालय का यह विवेकाधिकार होगा कि वह इस बात की समीक्षा करे कि क्या दंड संहिता की धारा 307 को केवल नाम के लिए दांडिक कार्यवाहियों में सम्मिलित किया गया है या अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया है, जिसे यदि साबित कर दिया जाता है तो दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप के साबित होने की प्रबल संभावना है । इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय का यह विवेकाधिकार होगा कि वह आहत व्यक्ति को कारित की गई क्षतियों की प्रकृति की समीक्षा करे और यह पता लगाए कि ऐसी कोई क्षति शरीर के मुख्य/नाजुक अंग पर कारित की गई है और क्षति कारित करने के लिए प्रयुक्त हथियारों की

प्रकृति क्या है । तथापि, किसी उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही केवल उस दशा में अनुज्ञेय होगी जहां अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् साक्ष्य एकत्रित कर लिया गया है और मामले में आरोप पत्र फाइल कर दिया गया है/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर दिए गए हैं और/या मामले का विचारण आरंभ हो गया है । ऐसी कोई कार्यवाही उस दशा में अनुज्ञेय नहीं है जब मामला अन्वेषणाधीन हो । अतः, इस न्यायालय द्वारा नरिन्दर सिंह (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 29.6 और पैरा 29.7 में अधिकथित अंततोगत्वा निष्कर्ष को सामंजस्यपूर्ण रूप से विचार में लिया जाना चाहिए और साथ ही ऊपर कथित किए गए अनुसार मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को भी उक्त निष्कर्ष के आलोक में विचार में लेना चाहिए ।

15.5 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अशमनीय अपराधों के संबंध में, जो निजी प्रकृति के हैं और जिनका समाज पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं है, इस आधार पर कि पीड़ित व्यक्ति और अपराधी के बीच कोई समाधान/समझौता हो गया है, दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अभियुक्त के पूर्ववृत्त को विचार में ले और साथ ही अभियुक्त के आचार को भी विचार में ले, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और यदि हो, तो वह क्यों फरार था और वह किस प्रकार परिवादी से समझौता करार आदि करने में सफल हो सका ।"

11. विधि के पूर्वोक्त प्रतिपादन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी उच्च न्यायालय के पास ऐसे मामलों में भी, जो शमनीय नहीं हैं, दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की अंतर्निहित शक्ति विद्यमान हैं, किन्तु ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग यदा-कदा और अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए । ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते समय शमन किए जाने के लिए

ईप्सित अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर सम्यक् रूप से विचार करना चाहिए । यद्यपि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मानसिक दुराचारिता को अंतर्वलित करने वाले जघन्य और गंभीर अपराधों तथा हत्या, बलात्संग, डकैती जैसे अपराधों में दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करना उचित नहीं कहा जा सकता, चाहे ऐसे किसी मामले में पीड़ित या पीड़ित के कुटुम्ब ने अपराधी/अभियुक्त व्यक्ति के साथ कोई समझौता कर लिया हो, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी संप्रेक्षण किया है कि उपरोक्त शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को इस प्रश्न की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या दांडिक कार्यवाहियों में दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण है और दांडिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त व्यक्ति पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और दांडिक मामले पर अभिखंडित न किए जाने के कारण उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय कोई उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित हो सकता है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप उनमें सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होंगे जिससे उनके भावी संबंधों में सुधार आएगा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **तमिलनाडु राज्य** बनाम **आर. वसंती स्टेनली**[1] वाले मामले में दिए गए अपने निर्णय में इस बात को दोहराया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 उच्च न्यायालय की किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का निवारण करने या न्याय के हितों की संरक्षा करने के लिए अंतर्निहित शक्तियों को परिरक्षित करती है और साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने की शक्ति ऐसे अपराधों के संबंध में भी लागू होती है जो शमनीय प्रकृति के नहीं हैं । पूर्वोक्त निर्णय के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस संबंध में कोई राय बनाते समय कि क्या किसी दांडिक कार्यवाही या परिवाद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए

[1] (2016) 1 एस. सी. सी. 376 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3691.

अभिखंडित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, किसी उच्च न्यायालय को इस प्रश्न का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या उक्त अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न्याय के हित के लिए न्यायोचित है अथवा नहीं ।

12. वर्तमान मामले में भी, याची द्वारा अभिकथित रूप से किए गए अपराधों में नैतिक अधमता को सम्मिलित करने वाला कोई अपराध या कोई गंभीर/जघन्य अपराध सम्मिलित नहीं है, इसके विपरीत वर्तमान मामले में केवल छिटपुट अपराध सम्मिलित है, इसलिए यह न्यायालय इस बात को उपयुक्त समझता है कि वर्तमान मामले में संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और पारिणामिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों ने स्वयमेव इस मामले में परस्पर समझौता कर लिया है और ऐसी स्थिति में अभियुक्त की दोषसिद्धि की संभावना अत्यंत क्षीण है और दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

13. चूंकि पक्षकारों के बीच वर्तमान मामले के संबंध में समझौता हो गया है और प्रत्यर्थी सं. 4 याची के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है इसलिए प्रत्यर्थी सं. 4 के निमित्त आरंभ की गई मामले संबंधी कार्यवाहियों को जारी रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा और इसलिए याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार किया जा सकता है ।

14. परिणामतः, याचिका में अंतर्विष्ट प्रकथनों और साथ ही पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए कि मामले में परस्पर समझौता हो गया है और साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत और साथ ही दोनों पक्षकारों के बीच हुआ समझौता वास्तविक है, इस न्यायालय को समझौते को स्वीकार करने तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा साथ ही विधि के सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित पारिणामिक दांडिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है ।

15. तद्नुसार, निर्णय में ऊपर की गई ब्यौरेवार परिचर्चा को और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान

में रखते हुए मोटर यान अधिनियम की धारा 187 और दंड संहिता की धारा 279 के अधीन पुलिस थाना रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत वर्ष 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 0116, तारीख 6 जून, 2016 और साथ ही विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के न्यायालय में न्याय-निर्णय के लिए लंबित पारिणामिक अभियोजन कार्यवाहियों को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है ।

16. वर्तमान याचिका को पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर किया जाता है । लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है ।

याचिका मंजूर की गई ।

पु.

संसद् के अधिनियम

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 6)

[7 जनवरी, 2009]

सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना और विनियमन का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2. परिभाषाएं – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के संबंध में "पते" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) यदि व्यष्टि है तो उसके प्रायिक निवास स्थान का पता ; और

(ii) यदि निगम निकाय है तो उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता ;

(ख) "अधिवक्ता" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में यथापरिभाषित अधिवक्ता अभिप्रेत है ;

(ग) "अपील अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10चद की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) "निगम निकाय" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं –

(i) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी ;

(ii) भारत के बाहर निगमित सीमित दायित्व भागीदारी ; और

(iii) भारत के बाहर निगमित कंपनी,

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं –

(i) एकल निगम ;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी ; और

(iii) कोई अन्य निगम निकाय [जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी या इस अधिनियम में यथापरिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है], जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ङ) "कारबार" में प्रत्येक व्यापार, वृत्ति, सेवा और उपजीविका सम्मिलित हैं ;

(च) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(छ) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(ज) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में "न्यायालय" से धारा 77 के उपबंधों के अनुसार अधिकारिता रखने वाला न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ञ) "अभिहित भागीदार" से धारा 7 के अनुसरण में भागीदार के रूप में अभिहित कोई भागीदार अभिप्रेत है ;

(ट) "अस्तित्व" से कोई निगम निकाय अभिप्रेत है और धारा 18, धारा 46, धारा 47, धारा 48, धारा 49, धारा 50, धारा 52 और धारा 53 के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन स्थापित फर्म भी है ;

(ठ) सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में "वित्तीय वर्ष" से वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है :

परंतु वर्ष की 30 सितंबर के पश्चात् निगमित सीमित दायित्व

भागीदारी की दशा में, वित्तीय वर्ष, उस वर्ष के अगले आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो सकेगा ;

(ड) "विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी" से भारत के बाहर विरचित, निगमित या रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है और जो भारत के भीतर कारबार का कोई स्थान स्थापित करती है ;

(ढ) "सीमित दायित्व भागीदारी" से इस अधिनियम के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत भागीदारी अभिप्रेत है ;

(ण) "सीमित दायित्व भागीदारी करार" से सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के बीच या सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच कोई लिखित करार अभिप्रेत है, जो भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा उस सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में उनके अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण करता है ;

(त) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के संबंध में "नाम" से निम्नलिखित अभिप्रेत है –

(i) यदि व्यष्टि है तो उसका मुख्य नाम, मध्य नाम और उपनाम ; और

(ii) यदि निगम निकाय है तो उसका रजिस्ट्रीकृत नाम ;

(थ) सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में "भागीदार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार बनता है ;

(द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) "रजिस्ट्रार" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन कंपनियों को रजिस्ट्रीकृत करने के कर्तव्य वाला रजिस्ट्रार, या अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(न) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(प) "अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10चख की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

सीमित दायित्व भागीदारी की प्रकृति

3. सीमित दायित्व भागीदारी का निगम निकाय होना – (1) सीमित दायित्व भागीदारी ऐसा निगम निकाय है, जिसे इस अधिनियम के अधीन विरचित और निगमित किया गया है तथा जिसका इसके भागीदारों से पृथक् विधिक अस्तित्व है ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों में किसी परिवर्तन से सीमित दायित्व भागीदारी की विद्यमानता, अधिकार या दायित्व प्रभावित नहीं होंगे ।

4. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का लागू न होना – जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के उपबंध सीमित दायित्व भागीदारी को लागू नहीं होंगे ।

5. भागीदार – कोई व्यष्टि या निगम निकाय सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार हो सकेगा :

परंतु व्यष्टि सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार होने के लिए समर्थ नहीं होगा, यदि, –

(क) वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृतचित्त पाया गया है और ऐसा निष्कर्ष प्रवर्तन में है ;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है ।

6. भागीदारों की न्यूनतम संख्या – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी में कम से कम दो भागीदार होंगे ।

(2) यदि किसी समय सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की संख्या दो से कम हो जाती है और सीमित दायित्व भागीदारी इस प्रकार संख्या के कम होने के दौरान छह मास से अधिक के लिए कारबार जारी रखती है, तो वह व्यक्ति, जो उस समय के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी का एकमात्र भागीदार है जब वह उन छह मास के पश्चात् इस प्रकार कारबार करता रहा है और उसे उस तथ्य की जानकारी है कि वह अकेला ही उसका कारबार चला रहा है, तो वह उस अवधि के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी को उपगत बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

7. अभिहित भागीदार – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के कम से कम दो अभिहित भागीदार होंगे, जो व्यष्टि हों और उनमें से कम से कम एक भारत में निवासी होगा :

परंतु ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसमें सभी भागीदार निगम निकाय हैं या जिसमें एक या अधिक भागीदार व्यष्टि और निगम निकाय हैं, कम से कम दो व्यष्टि जो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार हैं या ऐसे निगम निकायों के नामनिर्देशिती हैं, अभिहित भागीदारों के रूप में कार्य करेंगे ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए "भारत में निवासी" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन से अन्यून की अवधि के लिए भारत में ठहरा है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, –

(i) यदि निगमन दस्तावेज, –

(क) यह विनिर्दिष्ट करता है कि अभिहित भागीदार कौन होंगे तो ऐसे व्यक्ति निगमन पर अभिहित भागीदार होंगे ; या

(ख) यह कथन करता है कि सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक भागीदार समय-समय पर अभिहित भागीदार होगा तो प्रत्येक ऐसा भागीदार अभिहित भागीदार होगा ;

(ii) कोई भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा और उसके अनुसार अभिहित भागीदार बन सकेगा और कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार अभिहित भागीदार नहीं रहेगा ।

(3) कोई व्यष्टि किसी सीमित दायित्व भागीदारी में तभी अभिहित भागीदार होगा जब उसने सीमित दायित्व भागीदारी में उस रूप में कार्य करने के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पूर्व सहमति दे दी हो ।

(4) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की, जिसने अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पूर्व सहमति अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दे दी है, विशिष्टियां रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

(5) अभिहित भागीदार होने के लिए पात्र व्यष्टि ऐसी शर्तों और अपेक्षाओं को जो विहित की जाएं, पूरा करेगा ।

(6) सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार केंद्रीय सरकार से अभिहित भागीदार पहचान संख्या अभिप्राप्त करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क से धारा 266छ (जिसमें दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

8. अभिहित भागीदारों के दायित्व – जब तक कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, कोई अभिहित भागीदार –

(क) ऐसे सभी कार्यों, विषयों और बातों को करने के लिए उत्तरदायी होगा जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की बाबत की जानी अपेक्षित हैं, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे किसी दस्तावेज, विवरणी, विवरण और इसी प्रकार की रिपोर्ट को जो सीमित दायित्व भागीदारी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल करना भी है ; और

(ख) उन उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी पर अधिरोपित सभी शास्तियों के लिए दायी होगा ।

9. अभिहित भागीदारों में परिवर्तन – सीमित दायित्व भागीदारी किसी कारण से हुई रिक्ति के तीस दिन के भीतर अभिहित भागीदार को नियुक्त कर सकेगी और धारा 7 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध ऐसे नए अभिहित भागीदार के संबंध में लागू होंगे :

परंतु यदि कोई अभिहित भागीदार नियुक्त नहीं किया जाता है या यदि किसी समय केवल एक अभिहित भागीदार है तो प्रत्येक भागीदार अभिहित भागीदार समझा जाएगा ।

10. धारा 7, धारा 8 और धारा 9 के उल्लंघन के लिए दंड – (1) यदि सीमित दायित्व भागीदारी धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, धारा 7 की उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 8 या धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अध्याय 3

सीमित दायित्व भागीदारी का निगमन और उसके आनुषंगिक विषय

11. निगमन दस्तावेज – (1) निगमित की जाने वाली सीमित दायित्व भागीदारी के लिए, –

(क) लाभ की दृष्टि से किसी विधि युक्त कारबार को चलाने के लिए सहयोजित दो या अधिक व्यक्ति निगमन दस्तावेज पर अपने नाम हस्ताक्षरित करेंगे ;

(ख) निगमन दस्तावेज ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है ; और

(ग) निगमन दस्तावेज के साथ विहित प्ररूप में या तो किसी अधिवक्ता या कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा, जो सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना में लगा हुआ है और ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसने निगमन दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षरित किया है, किया गया यह कथन फाइल किया जाएगा कि निगमन और उससे पूर्व के और उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है ।

(2) निगमन दस्तावेज, –

(क) ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के नाम का कथन होगा ;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी के प्रस्तावित कारबार का कथन होगा ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते का कथन होगा ;

(ङ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के, जो निगमन पर सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार होंगे, नाम और पते का कथन होगा ;

(च) ऐसे व्यक्तियों के, जो निगमन पर सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार होंगे, नाम और पते का कथन होगा ;

(छ) प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित ऐसी अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी, जो विहित की जाए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसा कथन करता है जिसके बारे में वह –

(क) यह जानता है कि वह मिथ्या है ; या

(ख) यह विश्वास नहीं करता है कि वह सही है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

12. रजिस्ट्रीकरण द्वारा निगमन – (1) जब धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा अधिरोपित अपेक्षाओं का अनुपालन हो गया है तब रजिस्ट्रार निगमन दस्तावेज को रखेगा और जब तक उस उपधारा के खंड (क) द्वारा अधिरोपित अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक वह चौदह दिन की अवधि के भीतर –

(क) निगमन दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा ; और

(ख) यह प्रमाणपत्र नहीं देगा कि सीमित दायित्व भागीदारी निगमन दस्तावेज में विनिर्दिष्ट नाम से निगमित की गई है ।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिदत्त विवरण को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकेगा कि उस उपधारा के खंड (क) द्वारा अधिरोपित अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और उसकी कार्यालय मुद्रा द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(4) प्रमाणपत्र इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि सीमित दायित्व भागीदारी उसमें विनिर्दिष्ट नाम से निगमित की गई है ।

13. सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और उसमें परिवर्तन – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी का एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा जिसको सभी संसूचनाएं और सूचनाएं संबोधित की जा सकेंगी और जहां वे प्राप्त की जाएंगी ।

(2) किसी दस्तावेज की तामील सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार पर डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसी किसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर और ऐसे किसी अन्य पते पर, जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, भेजकर की जा सकेगी ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन कर सकेगी, ऐसे परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, फाइल कर सकेगी और ऐसा परिवर्तन इस प्रकार सूचना फाइल करने पर ही प्रभावी होगा ।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

14. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव – रजिस्ट्रीकरण पर, सीमित दायित्व भागीदारी अपने नाम से –

(क) वाद लाने और उसके विरुद्ध वाद लाए जाने ;

(ख) संपत्ति का, चाहे स्थावर हो या जंगम, मूर्त हो या अमूर्त, अर्जन करने, स्वामित्व रखने, धारण करने, विकास या व्ययन करने ;

(ग) यदि उसने एक मुद्रा रखने का विनिश्चय किया है तो सामान्य मुद्रा रखने ; और

(घ) ऐसे अन्य कार्यों और बातों को करने और कराने, जिन्हें निगम निकाय विधिमान्य रूप से कर या करा सकता है,

के लिए समर्थ होगी ।

15. नाम – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में या तो "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द या "सी. दा. भा." संक्षेपाक्षर, उसके नाम के अंतिम अक्षरों के रूप में होंगे ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी जो केंद्रीय सरकार की राय में –

(क) अवांछनीय है ; या

(ख) किसी अन्य भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न या ऐसे किसी व्यापार चिह्न के समरूप है या उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है, जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की विषयवस्तु है ।

16. नाम का आरक्षण – (1) कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाएं, –

(क) प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के रूप में ; या

(ख) उस नाम के रूप में जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी अपने नाम का परिवर्तन करने का प्रस्ताव करती है,

आवेदन में उपवर्णित नाम के आरक्षण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर और विहित फीस के संदाय पर, रजिस्ट्रार, इस विषय में केंद्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आरक्षित किया जाने वाला नाम वह नाम नहीं है जिसे धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर खारिज किया जाए, रजिस्ट्रार

द्वारा सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकेगा ।

17. सीमित दायित्व भागीदारी के नाम का परिवर्तन – (1) धारा 15 और धारा 16 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत की गई है (चाहे अनवधानता से या अन्यथा और चाहे मूल रूप से या नाम में परिवर्तन द्वारा) जो –

(क) धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नाम है ; या

(ख) किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या अन्य नाम के समरूप है या उससे इतना मिलता-जुलता है, जिससे भूल होने की संभावना है,

वहां केंद्रीय सरकार, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और सीमित दायित्व भागीदारी उक्त निदेश का, निदेश की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जो केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, पालन करेगी ।

(2) कोई ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी जो, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

18. कतिपय परिस्थितियों में नाम के परिवर्तन के निदेश के लिए आवेदन – (1) कोई अस्तित्व जिसका नाम पहले से ही किसी ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसे बाद में निगमित किया गया है, नाम के समरूप है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, धारा 17 में निर्दिष्ट आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपना नाम परिवर्तन करने के लिए निदेश देने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट

आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को कोई निदेश देने के लिए उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर तभी विचार करेगा जब रजिस्ट्रार को उस नाम से सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौबीस मास के भीतर आवेदन प्राप्त हुआ हो ।

19. रजिस्ट्रीकृत नाम का परिवर्तन – कोई सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत अपने नाम में ऐसे परिवर्तन की सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, उसके पास फाइल करके परिवर्तन कर सकेगी ।

20. "सीमित दायित्व भागीदारी" या "सी. दा. भा." शब्दों के अनुचित प्रयोग के लिए शास्ति – यदि किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे नाम या अभिनाम के अधीन कारबार चलाया जाता है जिसके अंत में "सीमित दायित्व भागीदारी" या "सी. दा. भा." शब्द या उनका कोई संक्षिप्त रूप या नकल शब्द हैं तो वह व्यक्ति या उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जब तक सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में सम्यक् रूप से निगमित नहीं किया गया है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

21. नाम और सीमित दायित्व का प्रकाशन – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके बीजकों, शासकीय पत्राचार और प्रकाशनों पर निम्नलिखित अंकित हो, अर्थात् :–

(क) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम, उसके रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या ; और

(ख) यह कथन कि यह सीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत है ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

अध्याय 4

भागीदार और उनके संबंध

22. भागीदार बनने के लिए पात्रता – सीमित दायित्व भागीदारी के

निगमन पर, वे व्यक्ति जिन्होंने निगमन दस्तावेज पर अपने नाम हस्ताक्षरित किए हैं, उसके भागीदार होंगे और कोई अन्य व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा और उसके अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार बन सकेगा ।

23. भागीदारों के संबंध – (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य तथा सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य भागीदारों के बीच या सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा शासित होंगे ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी करार और उसमें किए गए किन्हीं परिवर्तनों को यदि कोई हों, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा ।

(3) उन व्यक्तियों के बीच, जो निगमन दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षरित करते हैं, सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन से पूर्व लिखित में किया गया कोई करार सीमित दायित्व भागीदारी पर बाध्यताएं अधिरोपित कर सकेगा, परंतु यह तब जब ऐसे करार का सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन के पश्चात् सभी भागीदारों द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया हो ।

(4) किसी विषय से संबंधित करार के अभाव में, भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा सीमित दायित्व भागीदारी और भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को उस विषय से संबंधित उपबंधों द्वारा जो पहली अनुसूची में उपवर्णित हैं, अवधारित किया जाएगा ।

24. भागीदारी हित का समाप्त हो जाना – (1) कोई व्यक्ति, भागीदार न रहने के संबंध में अन्य भागीदारों के साथ किसी करार के अनुसार या अन्य भागीदारों के साथ करार के अभाव में, भागीदारी त्यागने के अपने आशय की अन्य भागीदारों को तीस दिन से अन्यून की

लिखित में सूचना देकर सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रह सकेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, –

(क) अपनी मृत्यु या सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन पर ; या

(ख) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित कर दिया गया है ; या

(ग) यदि उसने दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत होने के लिए आवेदन किया है या उसे दिवालिया के रूप में घोषित किए जाने पर,

किसी सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहेगा ।

(3) जहां, कोई व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पूर्व भागीदार" कहा गया है) वहां पूर्व भागीदार को, (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में) सीमित दायित्व भागीदार का तब तक भागीदार माना जाएगा, जब तक –

(क) उस व्यक्ति को यह सूचना नहीं दे दी गई हो कि पूर्व भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है ; या

(ख) रजिस्ट्रार को यह सूचना नहीं दे दी गई हो कि पूर्व भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी में किसी भागीदार के न रहने से ही भागीदार की, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य भागीदार के प्रति या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बाध्यता, जो उसके भागीदार रहने के दौरान उपगत हुई हो, निर्मोचित नहीं होती है ।

(5) जहां सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार, भागीदार नहीं रहता है, वहां जब तक सीमित दायित्व भागीदारी करार में अन्यथा

उपबंधित न हो, पूर्व भागीदार या पूर्व भागीदार की मृत्यु या दिवालिएपन के परिणामस्वरूप उसके हिस्से का हकदार कोई व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी से, पूर्व भागीदार के भागीदार न रहने की तारीख को अवधारित सीमित दायित्व भागीदारी को संचित हानियों की कटौती करने के पश्चात् निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा –

(क) सीमित दायित्व भागीदारी में पूर्व भागीदार के वास्तव में किए गए पूंजी अभिदाय के बराबर रकम ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के संचित लाभों में हिस्सा लेने का उसका अधिकार ।

(6) पूर्व भागीदार या पूर्व भागीदार की मृत्यु या दिवालिएपन के परिणामस्वरूप उसके हिस्से के हकदार किसी व्यक्ति को सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

25. भागीदारों के परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण – (1) प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम या पते में परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर देगा ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी, –

(क) जहां कोई व्यक्ति भागीदार बनता है या भागीदार नहीं रहता है, वहां उसके भागीदार बनने या न रहने की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल करेगी ; और

(ख) जहां भागीदार के नाम या पते में कोई परिवर्तन है, वहां ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल करेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई सूचना –

(क) ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार द्वारा

हस्ताक्षरित की जाएगी और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित की जाएगी जो विहित की जाए ; और

(ग) यदि वह आने वाले भागीदार के संबंध में है तो उसमें उस भागीदार द्वारा यह कथन होगा कि वह भागीदार बनने की सहमति देता है, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित होगा ।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(5) यदि कोई भागीदार उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो, ऐसा भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) कोई व्यक्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है, उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना रजिस्ट्रार के पास स्वयं फाइल कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल नहीं कर सकेगी और भागीदार द्वारा फाइल की गई किसी सूचना की दशा में रजिस्ट्रार, सीमित दायित्व भागीदारी से इस आशय की पुष्टि प्राप्त करेगा जब तक कि सीमित दायित्व भागीदारी ने भी ऐसी सूचना फाइल नहीं कर दी हो :

परंतु जहां सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा पंद्रह दिन के भीतर कोई पुष्टि नहीं की गई है वहां रजिस्ट्रार इस धारा के अधीन भागीदार न रहने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को रजिस्टर करेगा ।

अध्याय 5

सीमित दायित्व भागीदारी और भागीदारों के दायित्वों का विस्तार और परिसीमा

26. अभिकर्ता के रूप में भागीदार – किसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के प्रयोजन के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी का अभिकर्ता है न कि अन्य भागीदारों का ।

27. सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्व की सीमा – (1) सीमित दायित्व भागीदारी, किसी भागीदार द्वारा किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार करने में की गई किसी बात के लिए आबद्ध नहीं है यदि –

(क) भागीदार को वास्तव में सीमित दायित्व भागीदारी के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने का कोई प्राधिकार नहीं है ; और

(ख) वह व्यक्ति यह जानता है कि उसको कोई प्राधिकार नहीं है या वह यह नहीं जानता है या उसे यह विश्वास है कि वह सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार है ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी दायी है, यदि सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के दौरान उसकी ओर से या उसके प्राधिकार से किसी सदोष कार्य या लोप के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के प्रति दायी है ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी की कोई बाध्यता, चाहे वह संविदा से उद्भूत हुई हो या अन्यथा, मुख्य रूप से सीमित दायित्व भागीदारी की बाध्यता होगी ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्वों की पूर्ति सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति से की जाएगी ।

28. भागीदार के दायित्व की सीमा – (1) कोई भागीदार धारा 27 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी बाध्यता के लिए केवल सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार होने के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं है ।

(2) धारा 27 की उपधारा (3) और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंध किसी भागीदार के सदोष कार्य या लोप के लिए उसके व्यक्तिगत

दायित्व को प्रभावित नहीं करेंगे, किंतु कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अन्य भागीदार के सदोष कार्य या लोप के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा ।

29. व्यपदेशन – (1) जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा यह व्यपदेशन करता है या जानकर यह व्यपदेशन किया जाने देता है कि वह सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दायी है जिसने किसी ऐसे व्यपदेशन के भरोसे उस सीमित दायित्व भागीदारी को उधार दिया है चाहे वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का व्यपदेशन किया है या जिसके भागीदार होने का व्यपदेशन किया गया है यह ज्ञान रखता हो या नहीं कि वह व्यपदेशन ऐसे उधार देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है :

परंतु जहां कोई उधार किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने ऐसे व्यपदेशन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया है वहां सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसने इस प्रकार भागीदार होने के बारे में स्वयं व्यपदेशन किया है या जिसका व्यपदेशन किया था उसके द्वारा प्राप्त उधार की सीमा तक या उस पर व्युत्पन्न किसी वित्तीय फायदे की सीमा तक दायी होगा ।

(2) जहां भागीदार की मृत्यु के पश्चात् कारबार उसी सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से चालू रखा जाता है वहां उस नाम का या मृतक भागीदार के नाम का भागरूप उपयोग किए जाते रहना स्वयं में उस भागीदार के विधिक प्रतिनिधि को या उसकी संपदा को सीमित दायित्व, भागीदारी के किसी कार्य के लिए जो उसकी मृत्यु के पश्चात् किया गया हो, दायी नहीं बनाएगा ।

30. कपट की दशा में असीमित दायित्व – (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के साथ कपटपूर्ण आशय या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए किए गए किसी कार्य की दशा में, सीमित दायित्व भागीदारी और उन भागीदारों का दायित्व, जिन्होंने

लेनदारों के साथ कपटपूर्ण आशय से या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए कार्य किया है, सीमित दायित्व भागीदारी के सभी या किन्हीं ऋणों या अन्य दायित्वों के लिए असीमित होंगे :

परंतु यदि ऐसा कोई कार्य किसी भागीदार द्वारा किया गया है तो सीमित दायित्व भागीदारी तब तक उसी सीमा तक दायी होगी जिस तक भागीदार दायी है जब तक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि ऐसा कार्य सीमित दायित्व भागीदारी की जानकारी या प्राधिकार के बिना किया गया था ।

(2) जहां कोई कारबार ऐसे आशय से या ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है जो उपधारा (1) में उल्लिखित है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्वोक्त रीति में कारबार करने के लिए जानबूझकर पक्षकार था, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या अभिहित भागीदार या किसी कर्मचारी ने सीमित दायित्व भागीदारी के कार्य कपटपूर्ण रीति से किए हैं, वहां ऐसी किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्भूत हों, सीमित दायित्व भागीदारी और ऐसा कोई भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी किसी व्यक्ति को, जिसको ऐसे आचरण के कारण कोई हानि या नुकसानी हुई है, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा :

परंतु ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी तब दायी नहीं होगी, यदि ऐसे किसी भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी ने सीमित दायित्व भागीदारी की जानकारी के बिना कपटपूर्वक कार्य किया है ।

31. निर्णायक कार्य – (1) न्यायालय या अधिकरण, किसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या कर्मचारी के विरुद्ध उद्ग्रहणीय किसी शास्ति को कम कर सकेगा या उसका अधित्यजन कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि :–

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे भागीदार या कर्मचारी ने ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के अन्वेषण के दौरान उपयोगी सूचना उपलब्ध कराई है ; या

(ख) जब किसी भागीदार या कर्मचारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर (चाहे अन्वेषण के दौरान हो या नहीं) सीमित दायित्व भागीदारी, या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या कर्मचारी को इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाता है ।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या किसी कर्मचारी को केवल इस कारण सेवोन्मुक्त, पदावनत, निलंबित, धमकाया, उत्पीड़ित न किया जाए या उसके साथ उसकी सीमित दायित्व भागीदारी या नियोजन के निबंधनों और शर्तों के विरुद्ध किसी अन्य रीति में विभेद न किया जाए कि उसने उपधारा (1) के अनुसरण में सूचना प्रदान की है या सूचना उपलब्ध कराई है ।

अध्याय 6

अभिदाय

32. अभिदाय का स्वरूप – (1) किसी भागीदार के अभिदाय में मूर्त, जंगम या स्थावर या अमूर्त संपत्ति या सीमित दायित्व भागीदारी में अन्य फायदे सम्मिलित हो सकेंगे, जिसके अंतर्गत धनराशि, वचनपत्र, नकद या संपत्ति के अभिदाय के लिए अन्य करार और की गई या की जाने वाली सेवाओं के लिए संविदाएं भी हैं ।

(2) प्रत्येक भागीदार के अभिदाय के अधीन धनीय मूल्य का लेखा रखा जाएगा और सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रकट किया जाएगा ।

33. अभिदाय करने की बाध्यता – (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी में धन या अन्य संपत्ति या अन्य फायदे का अभिदाय करने या उसके लिए कोई सेवा करने की किसी भागीदार की बाध्यता सीमित दायित्व भागीदारी के करार के अनुसार होगी ।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई लेनदार, जो उस करार में वर्णित किसी बाध्यता के आधार पर भागीदारों के बीच किसी समझौते की सूचना के बिना ऋण देता है या अन्यथा कार्य करता है, ऐसे भागीदार के विरुद्ध मूल बाध्यता को प्रवृत्त कर सकेगा ।

अध्याय 7

वित्तीय प्रकटन

34. लेखा बहियों, अन्य अभिलेखों का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा, आदि – (1) सीमित दायित्व भागीदारी, अपनी विद्यमानता के प्रत्येक वर्ष के कामकाज के संबंध में, नकदी आधार पर या प्रोद्भवन आधार पर ऐसी समुचित लेखा बहियां, जो विहित की जाएं, और लेखा की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखेगी और उन्हें ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखेगी ।

(2) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर, उक्त वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक का उक्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा और शोधन क्षमता का विवरण ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए तैयार करेगी और ऐसा विवरण सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के अनुसरण में तैयार किए गए लेखा और शोधन क्षमता का विवरण प्रत्येक वर्ष विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, की जाएगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी वर्ग या वर्गों को इस उपधारा की अपेक्षाओं से छूट प्रदान कर सकेगी ।

(5) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों

का अनुपालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

35. वार्षिक विवरणी – (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, अपने वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्ररूप और रीति में, और ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित एक वार्षिक विवरणी फाइल करेगी ।

(2) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

(3) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

36. रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण – प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा रजिस्ट्रार को फाइल किए गए निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम और उसमें किए गए परिवर्तन, यदि कोई हों, लेखा और शोधन क्षमता विवरण तथा वार्षिक विवरणी किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी ।

37. मिथ्या कथन के लिए शास्ति – यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित या उसके प्रयोजनों के लिए किसी विवरणी, विवरण या अन्य दस्तावेज में कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है, –

(क) जो किसी सारवान् विशिष्टि में मिथ्या है और उसे उसके मिथ्या होने का ज्ञान है ; या

(ख) जो किसी सारवान् तथ्य का सारवान् होने की जानकारी होते हुए लोप करता है,

तो वह, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा किंतु जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

38. सूचना प्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति – (1) ऐसी सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से, जो इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार आवश्यक समझे, रजिस्ट्रार सीमित दायित्व भागीदारी के वर्तमान से पूर्व भागीदार या अभिहित या कर्मचारी सहित किसी व्यक्ति से युक्तियुक्त अवधि के भीतर किसी प्रश्न का उत्तर देने या कोई घोषणा करने या कोई ब्यौरे या विशिष्टियां प्रदाय करने की लिखित में अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा मांगे गए ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है या ऐसी घोषणा नहीं करता है या ऐसे ब्यौरों या विशिष्टियों का युक्तियुक्त समय या रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए समय के भीतर प्रदाय नहीं करता है, या जब रजिस्ट्रार का ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर या घोषणा या उपलब्ध कराए गए ब्यौरे या विशिष्टियों से समाधान नहीं होता है तो रजिस्ट्रार को उस व्यक्ति को उसके समक्ष या किसी निरीक्षक या किसी अन्य लोक अधिकारी के समक्ष, जिसे रजिस्ट्रार अभिहित करे, यथास्थिति, ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या घोषणा करने या ऐसे ब्यौरों का प्रदाय करने के लिए उपस्थित होने के लिए समन करने की शक्ति होगी ।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी विधिमान्य कारण के बिना, इस धारा के अधीन किसी समन या रजिस्ट्रार की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

39. अपराधों का शमन – केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के

अधीन ऐसे किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से संदेह है कि उसने अपराध किया है ऐसी राशि का, जो अपराध के लिए विहित अधिकतम जुर्माने की रकम तक की हो सकेगी, संग्रहण करके, शमन कर सकेगी ।

40. पुराने अभिलेखों का नष्ट किया जाना – रजिस्ट्रार, भौतिक रूप में इलैक्ट्रानिक रूप में उसके पास फाइल किए गए या रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को ऐसे नियमों के, जो विहित किए जाएं, अनुसार नष्ट कर सकेगा ।

41. विवरणी आदि देने के कर्तव्य का प्रवर्तन – (1) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी, –

(क) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी उपबंध का, जो किसी रीति में रजिस्ट्रार के पास कोई विवरणी, लेखा या अन्य दस्तावेज फाइल करने या किसी विषय की उसको सूचना देने की अपेक्षा करता है, अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है ; या

(ख) किसी दस्तावेज को संशोधित करने या पूरा करने और पुनः प्रस्तुत करने या नए सिरे से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के रजिस्ट्रार के किसी अनुरोध का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है,

और सीमित दायित्व भागीदारी पर उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील के पश्चात् चौदह दिन के भीतर व्यतिक्रम को दूर करने में असफल रहती है, तो अधिकरण, रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पर, उस सीमित दायित्व भागीदारी या उसके अभिहित भागीदारों या उसके भागीदारों को यह निदेश करते हुए आदेश कर सकेगा कि वे ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, व्यतिक्रम को दूर करें ।

(2) ऐसे किसी आदेश में यह उपबंध हो सकेगा कि आवेदन के सभी खर्चे और उसके आनुषंगिक व्यय उस सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(3) इस धारा की कोई बात, इस धारा में निर्दिष्ट किसी व्यतिक्रम के संबंध में उस सीमित दायित्व भागीदार पर शास्ति अधिरोपित करने

वाले इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध के प्रवर्तन को सीमित नहीं करेगी ।

अध्याय 8

भागीदारी अधिकारों का समनुदेशन और अंतरण

42. भागीदार का अंतरणीय हित – (1) सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के लाभ और हानियों में हिस्सा बंटाने और वितरण प्राप्त करने के भागीदार के अधिकार पूर्णतः या भागतः अंतरणीय हैं ।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में किसी भागीदार द्वारा किसी अधिकार के अंतरण से ही सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार का असहयोजन या विघटन और परिसमापन नहीं हो जाता है ।

(3) इस धारा के अनुसरण में अधिकारों के अंतरण से ही अंतरिती या समनुदेशिती सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में भाग लेने या उसके क्रियाकलापों को संचालित करने का या सीमित दायित्व भागीदारी के संव्यवहारों से संबंधित सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का हकदार नहीं बन जाता है ।

अध्याय 9

अन्वेषण

43. सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण – (1) केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर ऐसी रीति में, जो वह निदेश दे, रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षक के रूप में एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करेगी, यदि –

(क) अधिकरण, या तो स्वःप्रेरणा से या सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के एक बटा पांच से अन्यून भागीदारों से प्राप्त किसी आवेदन पर, आदेश द्वारा यह घोषणा करता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ; या

(ख) कोई न्यायालय, आदेश द्वारा यह घोषणा करता है कि किसी सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

(2) केंद्रीय सरकार किसी सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर ऐसी रीति में जो वह निदेश दे, रिपोर्ट देने के लिए, निरीक्षक के रूप में एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) के अनुसरण में निरीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित दशा में की जा सकेगी, –

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के एक बटा पांच से अन्यून भागीदार समर्थक साक्ष्य और ऐसी प्रतिभूति रकम के साथ, जो विहित की जाएं, आवेदन करते हैं ; या

(ख) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ऐसा आवेदन करती है कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ; या

(ग) यदि केंद्रीय सरकार की राय में, यह सुझाव देने वाली परिस्थितियां हैं कि –

(i) सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार उसके लेनदारों, भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति को कपट वंचित करने के आशय से या अन्यथा किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए या उसके किन्हीं या किसी भागीदार के प्रतिकूल किसी अन्यायपूर्ण या अनुचित रीति में किया जा रहा है या किया गया है या सीमित दायित्व भागीदारी किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए बनाई गई थी ; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं ; या

(iii) रजिस्ट्रार या किसी अन्य अन्वेषण या विनियामक

अभिकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पर्याप्त कारण हैं कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

44. अन्वेषण के लिए भागीदारों द्वारा आवेदन – धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा आवेदन के समर्थन में ऐसा साक्ष्य दिया जाएगा जो अधिकरण यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे कि आवेदकों के पास अन्वेषण की अपेक्षा करने के लिए ठोस कारण है, और केंद्रीय सरकार, निरीक्षक को नियुक्त करने से पूर्व, आवेदकों से अन्वेषण के खर्चों के संदाय के लिए ऐसी राशि की, जो विहित की जाए, प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगी ।

45. फर्म, निगम निकाय या संगम को निरीक्षक के रूप में नियुक्त न किया जाना – किसी फर्म, निगम निकाय या अन्य संगम को निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

46. संबंधित अस्तित्वों आदि के कामकाज का अन्वेषण करने की निरीक्षकों की शक्ति – (1) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अपने अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे अस्तित्व के कामकाज का अन्वेषण करना भी आवश्यक समझता है, जो सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी वर्तमान या पूर्व भागीदार या अभिहित भागीदार से पूर्व में सहयोजित रहा है या वर्तमान में सहयोजित है तो निरीक्षक को ऐसा करने की शक्ति होगी और अन्य अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार के कामकाज की, जहां तक वह यह समझता है कि उसके अन्वेषण के परिणाम सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज के अन्वेषण से सुसंगत हैं, रिपोर्ट करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार की दशा में, निरीक्षक, केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उसके कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर रिपोर्ट देने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार, अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार को यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि ऐसा अनुमोदन क्यों नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, युक्तियुक्त अवसर देगी ।

47. दस्तावेजों और साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना – (1) सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार और भागीदारों का यह कर्तव्य होगा कि –

(क) वे, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व के या उससे संबंधित सभी बहियों और कागजपत्रों को, जो उनकी अभिरक्षा में या शक्ति के अधीन हैं, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

(ख) अन्वेषण के संबंध में ऐसी सभी सहायता निरीक्षक को दें, जिसे देने में वे युक्तियुक्त रूप से समर्थ हैं ।

(2) निरीक्षक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न किसी अस्तित्व से, उस सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने या उसके समक्ष ऐसी बहियों और कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी सूचना देना या ऐसी बहियों या कागजपत्रों को प्रस्तुत करना उसके अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत या आवश्यक है ।

(3) निरीक्षक, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किन्हीं बहियों और कागजपत्रों को तीस दिन के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा और तत्पश्चात् उन्हें सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य अस्तित्व या व्यष्टि को, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से बहियां और कागजपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, लौटा देगा :

परंतु निरीक्षक बहियों और कागजपत्रों को, यदि उनकी पुनः आवश्यकता पड़े, मंगा सकेगा :

परंतु यह और कि यदि उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत बहियों और कागजपत्रों की अधिप्रमाणित प्रतियां निरीक्षक को प्रस्तुत की जाती हैं, तो वह संबंधित अस्तित्व या व्यक्ति को बहियां और कागजपत्र लौटा देगा ।

(4) कोई निरीक्षक शपथ पर निम्नलिखित की जांच कर सकेगा –

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति ;

(ख) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य अस्तित्व के कामकाज से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति ; और

(ग) तद्नुसार शपथ दिला सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति से, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति युक्तियुक्त कारण के बिना –

(क) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई ऐसी बही या कागजपत्र प्रस्तुत करने में, जिसे प्रस्तुत करना उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है ; या

(ख) ऐसी कोई जानकारी देने में, जिसका दिया जाना उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है ;

(ग) निरीक्षक के समक्ष तब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में, जब उपधारा (4) के अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाए या किसी प्रश्न का उत्तर देने में, जो उस उपधारा के अनुसरण में निरीक्षक द्वारा पूछा जाए ; या

(घ) किसी जांच के टिप्पणों पर हस्ताक्षर करने में,

असफल रहता है या उससे इनकार करता है, तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात्, जिसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए से

कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) उपधारा (4) के अधीन किसी जांच के टिप्पण लेखबद्ध किए जाएंगे और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जिसकी शपथ पर परीक्षा की गई थी और ऐसे टिप्पणों की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसकी इस प्रकार शपथ पर परीक्षा की गई है तथा उसके पश्चात् उसे निरीक्षक द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा ।

48. निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों का अभिग्रहण – (1) जहां, अन्वेषण के दौरान, निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या अभिहित भागीदार की या उससे संबंधित बहियों और कागजपत्रों को नष्ट, विरूपित, उनमें फेरफार, मिथ्याकृत किया जा सकता है या उन्हें छिपाया जा सकता है, तो निरीक्षक, यथास्थिति, उस प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता है, ऐसी बहियों और कागजपत्रों को अभिग्रहण करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, आवेदन पर विचार करने और निरीक्षक की सुनवाई करने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो, आदेश द्वारा निरीक्षक को –

(क) उस स्थान या स्थानों में, जहां ऐसी बहियां और कागजपत्र रखे गए हैं, ऐसी सहायता सहित, जो अपेक्षित हो, प्रवेश करने ;

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी लेने ;

(ग) उन बहियों और कागजपत्रों का, जिन्हें निरीक्षक अपने अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अभिग्रहण करने,

के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) निरीक्षक, इस धारा के अधीन अभिगृहीत बहियों और

कागजपत्रों को अन्वेषण के निष्कर्ष के अपश्चात् की ऐसी अवधि के लिए, जो वह आवश्यक समझे, अपनी अभिरक्षा में रखेगा और तत्पश्चात् उन्हें संबंधित अस्तित्व या व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से वे अभिगृहीत किए गए थे, लौटा देगा और ऐसे लौटाए जाने की सूचना मजिस्ट्रेट को देगा :

परंतु बहियां और कागजपत्र छह मास से अधिक की लगातार अवधि के लिए अभिगृहीत नहीं रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि निरीक्षक, यथापूर्वोक्त ऐसी बहियों और कागजपत्रों को लौटाने से पूर्व, उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकेगा ।

(4) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन की गई तलाशियों या अभिग्रहणों से संबंधित उस संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

49. निरीक्षक की रिपोर्ट – (1) निरीक्षक, और यदि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, उस सरकार को अंतरिम रिपोर्ट देंगे और अन्वेषण के निष्कर्ष पर केंद्रीय सरकार को अंतिम रिपोर्ट देंगे और ऐसी रिपोर्ट लिखित में या मुद्रित रूप में होगी, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे ।

(2) केंद्रीय सरकार, –

(क) निरीक्षकों द्वारा दी गई किसी रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट से भिन्न) की एक प्रति सीमित दायित्व भागीदारी को, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर और रिपोर्ट में कार्रवाई किए गए या उससे संबंधित किसी अन्य अस्तित्व या व्यक्ति को भी भेजेगी ;

(ख) यदि, वह ठीक समझे, तो उसकी एक प्रति रिपोर्ट से संबंधित या उससे प्रभावित किसी व्यक्ति या अस्तित्व को, अनुरोध पर और विहित फीस के संदाय पर दे सकेगी ।

50. अभियोजन – यदि, धारा 49 के अधीन रिपोर्ट से, केंद्रीय

सरकार को यह प्रतीत होता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में या किसी अन्य अस्तित्व के संबंध में, जिसके कामकाज का अन्वेषण किया गया है, कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी रहा है, जिसके लिए वह दायी है, तो केंद्रीय सरकार, उस अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का अभियोजन कर सकेगी ; और, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व के सभी भागीदारों, अभिहित भागीदारों और अन्य कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं के अभियोजन के संबंध में, केंद्रीय सरकार को ऐसी सभी सहायता देने का कर्तव्य होगा, जिसे देने के लिए वे युक्तियुक्त रूप से समर्थ हैं ।

51. सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आवेदन – यदि ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसमापन किए जाने के लिए दायी है और धारा 49 के अधीन किसी ऐसी रिपोर्ट से केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किन्हीं ऐसी अन्य परिस्थितियों के कारण जो धारा 43 की उपधारा (3) के खंड (ग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हैं, ऐसा करना समीचीन है, तो केंद्रीय सरकार जब तक कि सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा पहले से परिसमापन नहीं कर दिया जाता है, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, इस आधार पर कि इसका परिसमापन किया जाना न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण है, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए अधिकरण के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत कराएगी ।

52. नुकसानी या संपत्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियां – यदि धारा 49 के अधीन किसी रिपोर्ट से केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य अस्तित्व द्वारा, जिसके कार्यों का अन्वेषण किया गया है, –

(क) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे अन्य अस्तित्व के संवर्धन या विरचना या प्रबंधन के संबंध में कोई कपट, अपकरण या अन्य कदाचार की बाबत नुकसानियों की वसूली के लिए ; या

(ख) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे अन्य अस्तित्व

की किसी संपत्ति की, जिसका दुरुपयोजन किया गया है या जिसे सदोष प्रतिधारित किया गया है, वसूली के लिए, कार्यवाहियां की जानी चाहिएं, तो केंद्रीय सरकार, उस प्रयोजन के लिए स्वयं कार्यवाही कर सकेगी ।

53. अन्वेषण के खर्चे – (1) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक द्वारा अन्वेषण के और उसके आनुषंगिक खर्चों को प्रथम बार केंद्रीय सरकार द्वारा चुकाया जाएगा ; किंतु निम्नलिखित व्यक्ति नीचे वर्णित सीमा तक केंद्रीय सरकार को ऐसे खर्चों की बाबत प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होंगे, अर्थात् :–

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अभियोजन पर सिद्धदोष ठहराया गया है या जिसे धारा 52 के आधार पर की गई कार्यवाहियों में किसी संपत्ति की नुकसानी के लिए संदाय करने या बहाली का आदेश दिया गया है उन्हीं कार्यवाहियों में, उस सीमा तक उक्त खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश दिया जा सकेगा, जो, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाले या ऐसी नुकसानियों का संदाय करने का आदेश करने वाले या ऐसी संपत्ति की बहाली करने वाले न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) कोई अस्तित्व जिसके नाम में यथापूर्वोक्त कार्यवाहियां की जाती हैं, कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उसके द्वारा वसूल की गई किसी धनराशि या संपत्ति की रकम या मूल्य की सीमा तक दायी होगा ;

(ग) जब तक अन्वेषण के परिणामस्वरूप धारा 50 के अनुसरण में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाता तब तक, –

(i) निरीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित कोई अस्तित्व, भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति केंद्रीय सरकार को संपूर्ण व्ययों की बाबत प्रतिपूर्ति करने का तब तक और उस सीमा तक दायी होगा जब तक केंद्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे ; और

(ii) जहां धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, वहां अन्वेषण के लिए आवेदक, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, दायी होंगे ।

(2) ऐसी कोई रकम, जिसके लिए सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व उपधारा (1) के खंड (ख) के आधार पर दायी है, उस खंड में वर्णित धनराशियों या संपत्ति पर पहला प्रभार होगी ।

(3) उन व्ययों की रकम, जिनकी बाबत कोई सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य अस्तित्व, कोई भागीदार या अन्य अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन केंद्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है, भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा उपगत या धारा 52 के आधार पर की गई कार्यवाहियों के संबंध में उपगत कोई लागत या व्यय, कार्यवाहियों को चलाने के लिए अन्वेषण के व्यय समझे जाएंगे ।

54. निरीक्षक की रिपोर्ट का साक्ष्य होना – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक या किन्हीं निरीक्षकों की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित प्रति, रिपोर्ट में अंतर्विष्ट किसी विषय के संबंध में साक्ष्य के रूप में किसी विधिक कार्यवाही में ग्राह्य होगी ।

शेष आगामी अंक में.....

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण) – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145.00
4.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
5.	भारत का सांविधानिक इतिहास - (103वां संशोधन तक) - श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
6.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व - डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in
Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका** और **उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः सिविल और दांडिक के चयनित महत्वपूर्ण निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in